# प्रदेश राजपत्र

प्रदेश नं. ५, प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाशित

खण्ड ४) बुटवल, रूपन्देही, जेठ ०७ गते, २०७७ साल (संख्या ७

# भाग २

## प्रदेश सरकार

## सामाजिक विकास मन्त्रालयको सूचना

प्रदेश सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट मिति २०७७।०२।०१ मा स्वीकृत भएको" प्रदेश स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति नियमावली, २०७७" सर्व साधारणको जानकारीका लागि प्रकाशित गरिएको छ ।

**प्रदेश स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति नियमावली, २०७७**

प्रदेश नं. ५, प्रदेश स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन,नवीकरण तथा स्तरोन्नति ऐन, २०७६ को दफा २८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रदेश नं. ५, प्रदेश सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ ।

## परिच्छेद -१
## प्रारम्भिक

१. **संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः** (१) यी नियमहरूको नाम "प्रदेश स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति नियमावली, २०७७" रहेको छ।

(२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।

२. **परिभाषाः** विषय र प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,

(क) "**अनुगमन समिति**" भन्नाले नियम ७ को उपनियम (३) बमोजिमको समिति सम्झनु पर्छ।

(ख) "**आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा सम्बन्धी कार्यालय**" भन्नाले निर्देशनालय मातहतका आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र र आयुर्वेद चिकित्सालय लगायत यस्तै प्रकृतिका आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा सेवा उपलब्ध गराउने कार्यालय सम्झनु पर्छ।

(ग) **"ऐन"** भन्नाले प्रदेश नं. ५, प्रदेश स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति ऐन, २०७६ सम्झनु पर्छ।

(घ) **"निदान केन्द्र"** भन्नाले निदानात्मक सेवाहरू जस्तै प्रयोगशाला सेवा, रेडियो इमेजिङ जस्ता सेवाहरू प्रदान गर्न कानून बमोजिम दर्ता भई स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्ने संस्थालाई सम्झनु पर्छ।

(ङ) "**परिषद**" भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद, नेपाल नर्सिङ्ग परिषद,

नेपाल फार्मेसी परिषद, नेपाल आयुर्वेद चिकित्सा परिषद लगायत यस्तै प्रकृतिको अन्य परिषद सम्झनु पर्छ।

(च) **"प्राविधिक समिति"** भन्नाले ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको समिति सम्झनु पर्छ ।

(छ) **"भवन निर्माण मापदण्ड"** भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिमको भवन निर्माण मापदण्डलाई सम्झनु पर्छ।

(ज) **"भवन संहिता"** भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिमको भवन संहितालाई सम्झनु पर्छ।

(झ) **"स्वास्थ्य कार्यालय"** भन्नाले निर्देशनालय मातहतका स्वास्थ्य कार्यालय सम्झनु पर्छ।

(ञ) **"समिति"** भन्नाले नियम २५ बमोजिम गठन हुने अस्पताल विकास समिति सम्झनु पर्छ ।

## परिच्छेद - २
## स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनको अनुमति सम्बन्धी व्यवस्था

३. **स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनको अनुमति, नवीकरण तथा स्तरोन्नतिका लागि निवेदन दिनुपर्नेः** (१) स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति गर्न चाहने संस्थाले ऐनको दफा ३ बमोजिमको निकाय समक्ष देहायको विवरण र कागजातहरु सहित अनुसूची -१ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछः

(क) स्वास्थ्य संस्थाको दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी,

(ख) दर्ता नवीकरण गरेको प्रमाणको प्रतिलिपी,

(ग) कर चुक्ता गरेको प्रमाणपत्र वा प्रतिलिपी,

(घ) नवीकरणको लागि भए अनुमतिको प्रमाणपत्र,

(ङ) ऐन तथा यस नियमावली बमोजिमका अन्य कागजात ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम पेश भएको निवेदन सम्बन्धमा अनुमति प्रदान गर्ने निकायले पेश भएका सबै कागजातहरुको अनुगमन समितिबाट यस नियमावली बमोजिम शर्त तथा मापदण्ड पुगे नपुगेको सम्बन्धमा अध्ययन र स्थलगत अनुगमन गरी गराइ सर्त तथा मापदण्ड पुरा भएमा बढीमा तीस दिनभित्र स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनको अनुमति दिन सक्नेछ।

तर यस उपनियममा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि मन्त्रालयले अनुमति दिने अस्पतालको सम्बन्धमा अनुगमन समितिको प्रतिवेदन समेतको आधारमा प्राविधिक समितिबाट पुनः अनुगमन गरी सिफारिस सहितको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मात्र अनुमति दिन सक्नेछ ।

(३) पच्चीस शैय्या भन्दा बढी शैय्या सञ्चालन गर्ने अस्पतालको अनुमतिको लागि प्रचलित कानून बमोजिम स्वीकृत प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन समेत पेश गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपनियम (२) बमोजिम अनुमति दिन नसकिने भएमा सोको कारण सहितको जानकारी निवेदकलाई दिनुपर्नेछ।

४. <u>**स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति प्रदान गर्ने निकायः**</u> (१) प्रदेशको क्षेत्राधिकार भित्रका देहाय बमोजिमका स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति गर्न देहायको निकायले अनुमति प्रदान गर्न सक्नेछः

(क) सोह्र शैय्या देखि चौबीस शैय्या सम्मका अस्पतालको सम्बन्धमा निर्देशनालय,

(ख) पच्चीस शैय्या देखि दुइ सय पचास शैय्या सम्मको अस्पतालको सम्बन्धमा मन्त्रालय,

(ग) स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षण अस्पताल सञ्चालनका सम्बन्धमा मन्त्रालय,

(घ) स्वास्थ्य क्लिनिक, पोलिक्लिनिकको सम्बन्धमा निर्देशनालय,

(ङ) प्रयोगशाला सेवा, निदान केन्द्र सञ्चालनका सम्बन्धमा निर्देशनालय,

(च) आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा सेवा संस्था सञ्चालनका सम्बन्धमा निर्देशनालय।

(२) उपनियम (१) बमोजिम अनुमति प्राप्त संस्थाले देहायका सेवाहरु सञ्चालन गर्न सक्नेछन्:

(क) आकस्मिक सेवा,

(ख) बहिरंग सेवा,

(ग) अन्तरंग सेवा,

(घ) निदानात्मक सेवा (निदान केन्द्र, प्रयोगशाला, रेडियो ईमेजिङ आदि),

(ङ) शल्यक्रिया सेवा,

(च) सघन उपचार सेवा,

(छ) प्रवर्द्धनात्मक तथा प्रतिरोधात्मक सेवा,

(ज) विशेषज्ञ सेवा,

(झ) फार्मेसी सेवा,

(ञ) रक्त सञ्चार सेवा,

(ट) फिजियोथेरापी सेवा,

(ठ) आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा सेवा

(ड) शवगृह व्यवस्थापन,

(ढ) अस्पताल व्यवस्थापन,

(ण) वातावरण व्यवस्थापन,

(त) स्वास्थ्य संस्थाबाट निष्काशित फोहरमैला व्यवस्थापन।

५. **गुणस्तर सुनिश्चित गर्नुपर्नेः** (१) नियम ४ को उपनियम (२) बमोजिमको स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्ने स्वास्थ्य संस्थाले अनुसूची-२ बमोजिमका मापदण्डहरु पुरा गर्नुपर्नेछ।

(२) स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरलाई सुनिश्चितता प्रदान गर्न स्वास्थ्य संस्थाले प्रदान गर्ने स्वास्थ्य सेवामा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर चिन्ह प्राप्त गर्न स्वास्थ्य संस्थालाई प्रोत्साहित गरिनेछ।

६. **पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी व्यवस्थाः** (१) यस नियमावली बमोजिम स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति गरी सेवा सञ्चालन गर्न इच्छुक स्वास्थ्य संस्थाले आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको मनसाय पत्रको लागि अनुसूची-३ बमोजिमको ढाँचामा देहायको विवरण सहितअनुमति प्रदान गर्ने निकाय समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछः-

(क) प्रस्तावित स्वास्थ्य संस्थाको व्यावसायिक कार्य योजना,

(ख) प्रस्तावित स्वास्थ्य संस्था रहने स्थानको उपयुक्तता र जग्गाको पर्याप्तता,

(ग) प्रारम्भिक वातवारणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन,

(घ) प्रस्तावित स्वास्थ्य संस्थाले सेवा पुऱ्याउने क्षेत्र, सो क्षेत्रको जनसंख्या/जनघनत्व,

(ङ) प्रस्तावित स्वास्थ्य संस्थाले सेवा पुऱ्याउने क्षेत्रमा अन्य अस्पतालहरुको अवस्थिति र प्रस्तावित अस्पतालले पुऱ्याउने थप योगदान र

(च) विशेषज्ञ अस्पताल भए सो अस्पतालले पुऱ्याउने स्वास्थ्य सेवा

(२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त हुन आएमा अनुमति प्रदान गर्ने निकायले एक महिना भित्र पेश भएका विवरणहरु अध्ययन् गरी स्थलगत अनुगमन गर्ने प्रयोजनको लागि नियम ७ बमोजिमको अनुगमन समितिलाई खटाउन सक्नेछ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम अनुगमन समितिले उपनियम (१) मा उल्लिखित विवरण र स्थलगत निरीक्षण समेतको विश्लेषण गरी स्पष्ट राय सहितको प्रतिवेदन तीस कार्य दिन भित्र अनुमति प्रदान गर्ने निकाय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।

(४) उपनियम (३) बमोजिमको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सो प्रतिवेदनको आधारमा पूर्वाधार निर्माणका लागि अनुमति दिन उपयुक्त हुने देखिएमा प्रतिवेदन प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र अनुमति प्रदान गर्ने निकायले यस नियमावली बमोजिम बढीमा तीन वर्ष सम्मको समयावधि दिई पूर्वाधार निर्माणको लागि निवेदकलाई अनुमति प्रदान गर्न सक्नेछ।

(५) यस उपनियममा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि मन्त्रालयले अनुमति दिने अस्पतालको सम्बन्धमा अनुगमन समितिको प्रतिवेदन समेतको आधारमा प्राविधिक समितिबाट पुन अनुगमन गरी प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि अनुमति प्रदान गर्न सक्नेछ।

(६) उपनियम (४) बमोजिमको अवधिभित्र पूर्वाधार निर्माण गर्न नसकेको मनासिव कारण सहित समयावधि थपको लागि सम्बन्धित

अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थाले अनुरोध गरेमा अनुमति प्रदान गर्ने निकायले त्यस्तो अस्पताललाई बढीमा एक वर्षमा नबढ्ने गरी पूर्वाधार निर्माणको लागि समयावधि थप गर्न सक्नेछ।

(७) स्वास्थ्य संस्थाले पूर्वाधार निर्माण गर्दा प्रचलित कानून बमोजिम भवन निर्माणको अनुमति लिएर मात्र भवन निर्माण कार्य गर्नुपर्नेछ।

७. **अनुगमन मूल्याङ्कन सम्बन्धी व्यवस्थाः** (१) स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नती, लगायत स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरीयता सुनिश्चत गर्न र स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन गरी मन्त्रालयलाई सिफारीस गर्न मन्त्रालयमा एक प्राविधिक समिति रहनेछ।

(२) प्राविधिक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः-

(क) नयाँ स्वास्थ्य संस्था स्थापनाको लागि प्राप्त निवेदन, अनुगमन समितिको प्रतिवेदन लगायतका कागजातहरुको अध्ययन गरी पूर्वाधार निर्माणका लागि अनुमति दिन उपयुक्त हुने देखिएमा मनसाय पत्रको स्वीकृतिको लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने।

(ख) स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति सम्बन्धी प्राप्त निवेदन सम्बन्धमा स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने,

(ग) स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति सम्बन्धी प्राप्त निवेदन तथा कागजातहरुको

अध्ययन् तथा स्थलगत निरीक्षणको आधारमा मूल्याङ्कन गरी आवश्यक सिफारिस गर्ने,

(घ) ऐनको अधिनमा स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्ने संस्थाबाट प्रदान गरिएको सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने,

(ङ) ऐन र यस नियमावलीको अधिनमा रहि स्थापना तथा सञ्चालन भएका संस्थाहरुको अनुगमन गरी तोकिएका मापदण्ड अनुरुप सञ्चालन भए नभएको जाँचबुझ गरी मन्त्रालय समक्ष सिफारिस गर्ने

(च) मन्त्रालयले तोकेका अन्य काम गर्ने ।

(३) स्वास्थ्य निर्देशनालयमा स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति सम्बन्धी आवश्यक अनुगमन, मूल्याङ्कन गरी सिफारिस गर्नका लागि देहाय बमोजिमको एक अनुगमन समिति रहनेछः-

| | |
|---|---|
| वरिष्ठ/जनस्वास्थ्य प्रशासक, स्वास्थ्य निर्देशनालय | संयोजक |
| रेडियोलोजिष्ट/रेडियोग्राफिक टेक्नोलोजिष्ट/रेडियोग्राफिक अधिकृत | सदस्य |
| प्याथोलोजिष्ट/क्लिनिकल माईक्रोबायोलोजिष्ट/बायोकेमिष्ट | सदस्य |
| कन्सलटेन्ट आयुर्वेद विज्ञ | सदस्य |
| मेडिकल अधिकृत, स्वास्थ्य निर्देशनालय | सदस्य सचिब |

(४) समितिको बैठकमा आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित विषय विज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ।

(५) उपनियम (३) बमोजिमको अनुगमन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिमको हुनेछः-

(क) स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति सम्बन्धी प्राप्त निवेदन तथा कागजातहरुको अध्ययन गर्ने,

(ख) खण्ड (क) बमोजिम प्राप्त निवेदन तथा कागजातहरुको अध्ययन् तथा स्थलगत निरीक्षणको प्रतिवेदन निर्देशनालय समक्ष पेश गर्ने,

(ग) खण्ड (ख) बमोजिमको प्रतिवेदनका आधारमा निर्देशनालय समक्ष आवश्यक सिफारिस गर्ने,

(घ) निर्देशनालयले तोकेको अन्य काम गर्ने ।

(६) उपनियम (३) बमोजिमको अनुगमन समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्नेछ।

८. <u>सञ्चालन अनुमति दिन सकिनेः</u> (१) नियम (६) बमोजिम पूर्वाधारहरुको निर्माण सम्पन्न भए पछि सो पूर्वाधार तयार भएको व्यहोरा तथा सम्बन्धित स्थानीय तहबाट भवन निर्माण सम्पन्न प्रतिवेदन सहित सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाले सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक कागजातहरु संलग्न गरी अनुसूची-४ बमोजिमको ढाँचामा अनुमति प्रदान गर्ने निकाय समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ।

(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएतापनि स्वास्थ्य क्लिनिक, निदान केन्द्र, प्रयोगशाला वा रेडियो ईमेजिङ सेवा तथा पोलिक्लिनिक स्थापना तथा सञ्चालन अनुमतिको लागि अनुसूची-५ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनु पर्नेछ।

(३) उपनियम (१) र (२) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा अनुमति प्रदान गर्ने निकायले नियम (७) बमोजिम अनुगमनका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउन सक्नेछ।

(४) उपनियम (३) बमोजिमको समितिको प्रतिवेदन र सिफारिसको आधारमा यस नियमावलीमा उल्लिखित अन्य मापदण्ड पूरा गरेको स्वास्थ्य संस्थालाई अनुमति प्रदान गर्ने निकायले बढीमा तीन वर्षसम्मको लागि स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनको अनुमति दिन सक्नेछ।

(५) स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्ने स्वास्थ्य संस्थालाई प्रदान गर्ने अनुमतिको ढाँचा अनुसूची-६ बमोजिम हुनेछ ।

९. **थप सेवा विस्तार गर्न अनुमति लिनु पर्ने:** (१) स्वास्थ्य संस्थाले आफूले सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति पाएको सेवाका अतिरिक्त थप सेवा विस्तार गरी सेवा सञ्चालन गर्न चाहेमा अनुमति प्रदान गर्ने निकाय समक्ष नियम (३) बमोजिम निवेदन दिनुपर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन परेमा अनुमति प्रदान गर्ने निकायले यस नियमावलीको प्रकृया पुरा गरी सेवा विस्तार गर्न अनुमति प्रदान गर्नेछ।

(३) उपनियम (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि अनुमति प्राप्त स्वास्थ्य संस्थाले डेण्टल सेवा, आँखा सेवा, आयुर्वेद सेवा, प्रयोगशाला सेवा, एक्स-रे सेवा र फिजियोथेरापी सेवा विस्तार गर्दा निर्देशनालयबाट अनुमति लिनु पर्नेछ।

१०. **पुनःअनुमति प्राप्त गर्न निवेदन दिनु पर्ने:** (१) ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचलित कानून बमोजिम सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाले यस नियमावली बमोजिमको पूर्वाधार तथा मापदण्ड कायम गर्ने प्रयोजनको लागि

यो नियमावली प्रारम्भ भएको तीन महिनाभित्र नियम (६) बमोजिमको विवरण सहित अनुमति प्रदान गर्ने निकाय समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त हुन आएमा अनुमति प्रदान गर्ने निकायले त्यस्तो स्वास्थ्य संस्थालाई यस नियमावलीले निर्धारण गरेको भौतिक पूर्वाधारको मापदण्ड पुरा गर्नका लागि ऐन लागु भएको मितिले तीन वर्ष सम्म र अन्य मापदण्ड कायम गर्नका लागि सोहि मितिले एक बर्ष सम्मको समयावधि दिन सक्नेछ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम समयावधि थप भएको स्वास्थ्य संस्थाले प्रत्येक छ/छ महिनामा अनुमति प्रदान गर्ने निकाय समक्ष प्रगति प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ।

(४) यस नियमावली बमोजिम प्रकृया र मापदण्ड पुरा गरेको स्वास्थ्य संस्थालाई पुनः स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्ने अनुमति प्रदान गरिनेछ।

(५) यस नियम बमोजिम पुनःअनुमतिको लागि निवेदन नदिएको, निवेदन दिए पनि अनुमति नपाएको वा स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनको निर्धारित अबधिभित्र यस नियमावली बमोजिमको पूर्वाधार वा मापदण्ड कायम नगर्ने स्वास्थ्य संस्थाले प्राप्त गरेको अनुमति त्यस्तो अनुमति प्रदान गर्ने निकायले रद्द गर्नेछ।

**११. <u>नवीकरण गराउनु पर्नेः</u>** (१) यस नियमावली बमोजिम स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति प्राप्त स्वास्थ्यसंस्थाले सेवा सञ्चालन अनुमतिको अवधि समाप्त हुनुभन्दा छ महिना अगावै नवीकरणका लागि अनुमति प्रदान गर्ने निकाय समक्ष निवदेन दिनु पर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा अनुमति प्रदान गर्ने निकायले नियम ३१ बमोजिमको दस्तुर लिई बढीमा तीन वर्षसम्मको

लागि स्वास्थ्य संस्थालाई सेवा सञ्चालन अनुमतिको नवीकरण गरिदिन सक्नेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिमको अवधि भित्र मनासिब कारण परी निवेदन पेश गर्न नसकेको भनी कारण खुलाई थप छ महिनाभित्र निवेदन पेश गरेमा नवीकरण दस्तुरको दोब्बर दस्तुर लिई अनुमति प्रदान गर्ने निकायले सेवा सञ्चालन अनुमति नवीकरण गरिदिन सक्नेछ।

(४) उपनियम (२) वा (३) बमोजिमको अवधिभित्र नवीकरणको लागि निवेदन पेश नगर्ने स्वास्थ्य संस्थाको सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्र स्वतः खारेज हुनेछ।

(५) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि यस नियमावली बमोजिमको मापदण्ड वा पूर्वाधार कायम नगर्ने स्वास्थ्य संस्थाको अनुमति नवीकरण नगरी सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्र खारेज गर्न सकिनेछ।

**१२. <u>अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्थाः</u>** (१) स्वास्थ्य संस्थाले आफूले प्रदान गरेका सेवाहरुको यस नियमावलीमा उल्लिखित मापदण्ड बमोजिमको गुणस्तर भए नभएको सम्बन्धमा प्रत्येक बर्ष परीक्षण (स्वःमूल्यांकन) गरी सो को प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिना भित्र सम्बन्धित स्वास्थ्य कार्यालय मार्फत अनुमति प्रदान गर्ने निकायमा पेश गर्नु पर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम तोकिएको अवधिभित्र प्रतिवेदन पेश नगर्ने स्वास्थ्य संस्थालाई सो प्रतिवेदन पेश गर्न सम्बन्धित अनुमति प्रदान गर्ने निकायले निर्देशन दिन सक्नेछ।

(३) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुमति प्रदान गर्ने निकायले आवश्यकता अनुसार जोखिम, भौगोलिक अवस्थिति, बिरामीको चाप, शल्यक्रियाको संख्या, वित्तीय लगानीका

आधारमा कुनै स्वास्थ्य संस्थाले प्रदान गरेको सेवाको यस नियमावली बमोजिमको गुणस्तर तथा मापदण्ड पुरा भए नभएको सम्बन्धमा निरीक्षण तथा अनुगमन गर्न वा गराउन सक्नेछ।

(४) यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुमति प्रदान गर्ने निकायले वस्तुगत आधारमा जुनसुकै बखत अनुगमन टोली खटाई आकस्मिक अनुगमन गर्न सक्नेछ।

(५) यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मन्त्रालयले जुनसुकै निकायबाट सेवा सञ्चालन अनुमति प्राप्त गरेको अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्था र अनुमति प्रदान गर्ने निकायको समेत अनुगमन गर्न सक्नेछ।

(६) उपनियम (४) वा (५) बमोजिम नियमित वा आकस्मिक अनुगमन गर्दा यस नियमावलीमा तोकिएको गुणस्तर वा पूर्वाधार पूरा नगरी सेवा सञ्चालन गरेको पाईएमा त्यस्तो संस्थालाई तत्काल सुधारका लागि बढीमा तीन महिनाको म्याद दिई सुधारको मौका दिन सकिनेछ।

(७) यस नियम बमोजिम निरीक्षण तथा अनुगमनका क्रममा दिएको निर्देशन पालना नगर्ने, गुणस्तर तथा पूर्वाधार मापदण्ड पूरा नगर्ने र गुणस्तर परीक्षणको वार्षिक प्रतिवेदन पेश नगर्ने स्वास्थ्य संस्थालाई अनुमति प्रदान गर्ने निकायले त्यस्तो स्वास्थ्य संस्थाले प्रदान गरि आएको सेवा पूर्ण वा आंशिक रुपमा तत्काल बन्द गर्न आदेश दिन सक्नेछ।

(८) उपनियम (७) बमोजिम स्वास्थ्य संस्थालाई कारबाही गर्नु पूर्व सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थालाई सफाइ पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ।

(९) यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अन्य प्रचलित कानून बमोजिम गरिने अनुगमनलाई यो नियमले सीमित गर्ने छैन।

१३. **<u>निवेदन दिन सक्ने:</u>** (१) नियम १२ को उपनियम (७) बमोजिम दिएको आदेश र यस नियमावली बमोजिम पेश गरेको अनुगमन प्रतिवेदन उपर चित्त नबुझ्ने स्वास्थ्य संस्थाले त्यस्तो आदेश भएको वा प्रतिवेदन पेश भएको मितिले १५ दिनभित्र चित्त नबुझ्नुको स्पष्ट आधार र कारण सहित पुनरावलोकनको लागि मन्त्रालय समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त भएको निवेदन उपर सम्बन्धित निकायको प्रतिकृया समेत लिई मन्त्रालयले छानविन गरी निर्णय गर्नु पर्नेछ र सो सम्बन्धमा मन्त्रालयले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ।

१४. **<u>स्वास्थ्य संस्था गाभिई सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने:</u>** (१) स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय, प्रभावकारी तथा सुविधायुक्त बनाउन सञ्चालनमा रहेका एक भन्दा वढी स्वास्थ्य संस्थाहरु एक आपसमा गाभिई सेवा सञ्चालन गर्न चाहेमा यस नियमावली बमोजिमको मापदण्ड र पूर्वाधार कायम गर्ने शर्तमा सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति प्रदान गर्ने निकाय समक्ष त्यस्ता स्वास्थ्य संस्थाहरुले संयुक्त रुपमा निवेदन दिन सक्नेछन्।

(२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन परेमा प्रचलित कानूनको प्रक्रिया पुरा गरी स्वास्थ्य संस्था गाभिने शर्तमा अनुमति प्रदान गर्ने निकायले स्वास्थ्य संस्था गाभिई सेवा सञ्चलान गर्ने अनुमति दिन सक्नेछ।

## परिच्छेद - ३

## <u>अस्पताल सम्बन्धी मापदण्डहरू</u>

१५. **<u>अस्पतालको पूर्वाधार सम्बन्धी मापदण्डहरु:</u>** (१) यस नियमावली बमोजिम अनुमति प्राप्त अस्पतालले सेवा सञ्चालन गर्दा अनुसूची-७ बमोजिमको पूर्वाधार सम्बन्धी मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखेको भएतापनि शैय्याको संख्याको आधारमा अनुमति प्राप्त अस्पतालले अनुसूची-८ बमोजिमको पूर्वाधार सम्बन्धी विशेष मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्नेछ ।

(३) एक सय शैय्या वा सो भन्दा बढी क्षमताको अस्पतालहरुमा जेरियाट्रिक वार्डको व्यवस्था हुनुपर्नेछ ।

(४) एक सय शैय्या सम्मका अस्पतालले कम्तीमा चार शैय्या प्यालियटिभ सेवाका लागि र एक सय शैय्या भन्दा बढि शैय्या भएका अस्पतालले कम्तीमा छ शैय्या सहितको प्यालियटिभ वार्डको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।

(५) बहिरंग सेवा सञ्चालन गर्ने अस्पतालले अनुसूची-९ बमोजिमको पूर्वाधार तथा मापदण्डहरुको पालना गर्नुपर्नेछ।

(६) विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्ने अस्पतालले साधारण सेवा प्रवाह गर्ने अस्पतालहरुको मापदण्डका अतिरिक्त अनुसूची-१० बमोजिमको थप पूर्वाधार तथा मापदण्डहरुको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।

(७) आमा सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अस्पतालले खोप सेवा अनिवार्य रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।

**१६. उपकरण सम्वन्धी मापदण्डः** (१) अनुमति प्राप्त स्वास्थ्य संस्थाले अनुसूची-११ मा उल्लेख भएबमोजिम औजार तथा उपकरणहरुको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।

(२) शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गर्ने स्वास्थ्य संस्थाले नेपाल मेडिकल काउन्सिलले तोकेको मापदण्ड बमोजिमको औजार तथा उपकरणको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।

**१७. न्यूनतम जनशक्ति व्यवस्थाः** अनुमति प्राप्त अस्पतालले शैय्या क्षमताको आधारमा अनुसूची-१२ बमोजिमको न्यूनतम जनशक्ति व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।

**१८. जनशक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाः** (१) अनुमति प्राप्त अस्पतालले नियम १७ मा उल्लेखित न्यूनतम जनशक्तिका अतिरिक्त अनुसूची-१३ बमोजिमको विशेष जनशक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।

(२) शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गर्ने स्वास्थ्य संस्थाले नेपाल मेडिकल काउन्सिलले तोके बमोजिमको जनशक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।

## परिच्छेद - ४

## अन्य स्वास्थ्य संस्था सम्बन्धी मापदण्डहरु

**१९. स्वास्थ्य क्लिनिक/पोलिक्लिनिक सम्बन्धी मापदण्ड तथा पूर्वाधारहरुः** अनुमति प्राप्त स्वास्थ्य क्लिनिक/पोलीक्लिनिकमा स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनका लागि अनुसूची-१४ बमोजिमको आवश्यक न्यूनत्तम भौतिक पूर्वाधार उपलब्ध हुनुपर्नेछ।

**२०. रेडियोलोजी वा इमेजिङ सेवा सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्डः** (१) रेडियोलोजी वा इमेजिङ्ग सेवा सञ्चालन गर्ने संस्थाले देहायका प्रविधिको सेवा उपलब्ध गराउनु पर्नेछः

(क) अल्ट्रा सोनोग्राम (यु.एस.जि.)

(ख) एक्स-रे

(ग) कम्प्युटेड टोमोग्राफिक स्क्यान (सि.टी. स्क्यान)

(घ) न्युक्लियर मेडिसिन

(ङ) पि.इ.टी. स्क्यान

(च) म्यागनेक्टिक रिसोनेन्स इमेजिङ (एम.आर.आई)

(२) रेडियोलोजी तथा ईमेजिङ्ग सेवा सञ्चालन गर्ने संस्थाले अनुसूची-१५ बमोजिमको मापदण्ड पुरा गर्नुपर्नेछ।

२१. **निजी प्रयोगशाला सेवाः** (१) प्रयोगशाला सेवा सञ्चालनको लागि प्रयोगशालाहरुको स्तर, परीक्षण अनुमति, जनशक्ति, प्रयोगशालामा आवश्यक कोठाहरु र कोठाको साइज, प्रयोगशालामा प्रयोग हुने भाँडाकुडा तथा प्रयोगशालाको फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था प्रचलित कानून बमोजिम स्वीकृत निर्देशिका अनुसार हुनेछ।

(२) यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रयोगशालामा गरिने विशेष प्रकारका परीक्षणहरु सो परीक्षण सम्बन्धी विशेषज्ञता हाँसिल गरेका व्यक्तिहरुले मात्र गर्न पाउने छन्।

(३) यस नियमावलीमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ल्याव असिष्टेण्टले निजी प्रयोगशाला सञ्चालन गर्न सक्ने छैनन्।

२२. **प्रयोगशाला सञ्चालन सम्बन्धी शर्त र न्यूनतम मापदण्डः** (१) निजी प्रयोगशाला सेवा सञ्चालन गर्ने संस्थाले सरकारी प्रयोगशालाको स्तरअनुसारको मापदण्ड न्यूनतम रुपमा पुरा गर्नुपर्नेछ।

(२) निजी प्रयोगशालामा बिशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्ने विशेषज्ञले आफूले जुन उपाधी प्राप्त गरेको छ सोही उपाधीसँग सम्बन्धित सेवा मात्र सञ्चालन गर्नु पर्नेछ।

(३) निजी प्रयोगशालामा काम गर्ने व्यक्तिले सम्बन्धित स्वास्थ्य परिषदमा अनिवार्य रुपमा दर्ता भएको हुनुपर्नेछ र निजले दिने प्रत्येक रिपोर्ट (परीक्षण प्रतिवेदन) मा निजको नाम, शैक्षिक योग्यता एवं परिषदको दर्ता नंम्वर अनिवार्य रुपमा उल्लेख गरेको हुनुपर्नेछ।

(४) निजी प्रयोगशालामा काम गर्ने व्यक्तिले सम्बन्धित निकायबाट सञ्चालन हुने गुणस्तर नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यक्रममा अनिवार्य रुपमा सहभागि हुनुपर्नेछ।

(५) निजी प्रयोगशालाले राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट पठाईने गुणस्तर सम्बन्धी परीक्षण निर्देशन अनिवार्य रुपमा पालना गर्नु गराउनुपर्नेछ ।

(६) निजी प्रयोगशालामा देहाय बमोजिम भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था हुनुपर्नेछः

(क) प्रत्येक कोठामा पर्याप्त प्रकाश र भेन्टिलेशनको व्यवस्था,

(ख) बिजुली र पानीको राम्रो व्यवस्था,

(ग) प्रयोगशालामा आवश्यक पर्ने टेवुल, कुर्सी लगायतका फर्निचरहरुको व्यवस्था

(घ) प्रचलित कानूनले तोकेका निजी प्रयोगशाला सञ्चालन सम्बन्धी अन्य मापदण्ड ।

## परिच्छेद - ५
## आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा सम्बन्धी स्वास्थ्य संस्थाहरुको मापदण्ड

**२३. आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा सम्बन्धी स्वास्थ्य संस्थाहरुको मापदण्डः** (१) आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा प्रणाली अन्तर्गत स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नतिको लागि अनुसूची-१६ बमोजिमको आधारभूत मापदण्डहरु पुरा गर्नुपर्नेछ।

(२) आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा प्रणाली अन्तर्गत अनुसूची-१७ बमोजिमका सेवाहरु रहनेछन।

(३) आयुर्वेद चिकित्सा सेवा सञ्चालन गर्ने अस्पताल एवं नर्सिङ्ग होमहरुले आफ्नो क्षमता अनुसार क्रमशः एक वा एक भन्दा वढी तपसिलमा उल्लेखित विभाग/शाखाहरु सञ्चालन गर्न सक्नेछन्ः

क) कायचिकित्सा

ख) कौमार्यभृत्य (बालरोग) चिकित्सा

ग) स्त्रीरोग तथा प्रसूति चिकित्सा

घ) शल्य चिकित्सा

ङ) शालाक्य चिकित्सा

च) रसायन चिकित्सा

छ) वाजीकरण चिकित्सा

ज) पञ्चकर्म सेवा

झ) मानस रोग चिकित्सा सेवा

(४) आयुर्वेद स्वास्थ्य क्लिनिक/पोलिक्लिनिक सम्बन्धी मापदण्ड तथा पूर्वाधारहरु अनुसूची-१८ बमोजिम हुनुपर्नेछ।

(५) आयुर्वेद पूर्वकर्म, पञ्चकर्म क्लिनिक वा सेवा केन्द्र सम्बन्धी मापदण्ड तथा पूर्वाधारहरु अनुसूची-१९ बमोजिम हुनुपर्नेछ।

(६) आयुर्वेद अस्पतालको सेवा तथा पूर्वाधारहरु सम्बन्धी मापदण्ड अनुसूची-२० बमोजिम हुनुपर्नेछ।

(७) होमियोप्याथिक चिकित्सा सेवा स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धि आधारभूत मापदण्ड अनुसूची-२१ बमोजिम हुनुपर्नेछ।

(८) होमियोप्याथिक अस्पताल स्थापना तथा सञ्चालन मापदण्ड अनुसूची-२२ बमोजिम हुनुपर्नेछ।

(९) एक्यूप्रेशर क्लिनिक वा पोलि एक्यूप्रेशर (प्राकृतिक चिकित्सा) क्लिनिक सञ्चालन गर्दा अनुसूची-२३ बमोजिम आधारभूत मापदण्डहरु पुरा गरेको हुनुपर्नेछ ।

(१०) एक्यूपञ्चर अस्पताल सञ्चालन गर्दा अनुसूची-२४ बमोजिम मापदण्डहरु पुरा गरेको हुनुपर्नेछ।

(११) प्राकृतिक चिकित्सा अस्पतालका पूर्वाधार तथा मापदण्डहरु अनुसूची-२५ बमोजिम हुनुपर्नेछ।

(१२) प्राकृतिक चिकित्सा क्लिनिक⁄ पोलिक्लिनिक सम्बन्धी मापदण्ड तथा पूर्वाधारहरु अनुसूची-२६ बमोजिम हुनुपर्नेछ।

(१३) पच्चीस शैय्या भन्दा माथिका आयुर्वेद अस्पतालहरुले असल उत्पादन अभ्यास (जि.एम.पी.) पालना गरी आयुर्वेद औषधीको उत्पादन गर्न सक्नेछन्।

## परिच्छेद - ६
## अस्पताल विकास समिति सम्बन्धी व्यवस्था

२४. **सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको मापदण्डः** (१) प्रदेश सरकारले स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वास्थ्य संस्थाको मापदण्ड नेपाल सरकारबाट स्वीकृत नेपाल स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास मापदण्ड, २०७४ बमोजिम हुनेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको मापदण्ड पुरा गर्ने सरकारी स्वास्थ्य संस्थाले मापदण्डमा तोकिएको स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्न सक्नेछ।

(३) उपनियम (१) बमोजिमको मापदण्ड पुरा नगर्ने स्वास्थ्य संस्थाबाट संचालित सेवा मन्त्रालय वा निर्देशनालयले बन्द गर्न आदेश दिन सक्नेछ।

२५. **समितिको गठनः** (१) प्रदेश सरकार मातहतका अस्पतालको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारले देहाय बमोजिमको अस्पताल विकास समिति गठन गर्न सक्नेछः-

| | | |
|---|---|---|
| (क) | स्नातक तह उत्तीर्ण गरी स्वास्थ्य सेवा, अन्य सरकारी सेवा वा अस्पताल व्यवस्थापनका क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्ष सेवा गरेका व्यक्तिहरु मध्येबाट प्रदेश सरकारले मनोनित गरेको | अध्यक्ष |
| (ख) | प्रदेश सरकारले मनोनित गरेको स्थानीय समाजसेवी महिला | सदस्य |
| (ग) | अस्पताल रहेको स्थानीय तहको प्रमुख/अध्यक्ष | सदस्य |
| (घ) | सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा निजले तोकेको अधिकृत प्रतिनिधि | सदस्य |
| (ङ) | अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट वा प्रमुख | सदस्य-सचिव |

(२) उपनियम (१) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिमका मनोनित अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि ३ वर्षको हुनेछ र निज एक कार्यकालका लागि पुनः नियुक्ति हुन सक्नेछन् ।

२६. **समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारः** (१) समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः-

(क) अस्पतालको व्यवस्थापन र सञ्चालनको लागि आवश्यक साधन स्रोत व्यवस्थापन गर्ने,

(ख) अस्पतालको वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्ने,

(ग) अस्पतालले प्रदान गर्ने सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने,

(घ) समितिको लागि आवश्यक प्राविधिक तथा प्रशासनिक पद सिर्जना गर्ने,

(ङ) अस्पतालको चल अचल सम्पत्तिको अद्यावधिक गर्ने, संरक्षण गर्ने र अस्पताल विकासका लागि परिचालन गर्ने,

(च) अस्पतालबाट प्रवाह गरिने सेवाको विस्तार एवम् गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने,गराउने ,

(छ) अस्पतालको नियमित मर्मत संभार तथा विस्तार गर्ने,

(ज) अस्पतालको वार्षिक प्रतिवेदन मन्त्रालय समक्ष पेश गर्ने ।

२७. **समितिको बैठक सम्बन्धी व्यवस्थाः** समितिको बैठक सम्बन्धी व्यवस्था देहाय बमोजिम हुनेछः-

(१) समितिको बैठक समितिको अध्यक्षले तोकेबमोजिम बस्नेछ ।

(२) समितिको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ ।

(३) समितिको अध्यक्ष पद रिक्त रहेको अवस्थामा समितिको सदस्य सचिवले बैठक बोलाउन सक्नेछ र सो बैठकको अध्यक्षता समितिको ज्येष्ठ सदस्यले गर्नेछ ।

(४) समितिको बैठक महिनामा कम्तीमा एकपटक बस्नुपर्नेछ ।

(५) समितिको अध्यक्षले समितिको बैठकको निर्णय प्रमाणित गर्नेछ ।

(६) बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ ।

२८. **समितिको कोषसम्बन्धी व्यवस्थाः** (१) समितिको कोषमा देहायको रकम रहनेछः

(क) प्रदेश सरकारबाट अस्पताल सञ्चालनका लागि प्राप्त अनुदान रकम,

(ख) नेपाल सरकारबाट प्राप्त भएको सहयोग रकम,

(ग) कुनै विदेशी एजेन्सीले नेपाल सरकार मार्फत दिएको सहयोग रकम,

(घ) अस्पतालले प्रदान गरेको विभिन्न सेवाबाट प्राप्त रकम,

(ङ) विभिन्न व्यक्तिहरुबाट सहयोग वा चन्दा वापत प्राप्त रकम,

(च) अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम ।

(२) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा विदेशी सरकारबाट जुन कार्यका निमित्त रकम प्राप्त भएको छ सो रकम सोही कार्यमा मात्र खर्च गर्नुपर्नेछ ।

(३) समितिको रकम प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको स्वीकृतिमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त बैंकमा खाता खोली राख्नुपर्नेछ।

(४) कोषको खाताको सञ्चालन समितिको सचिव वा निजले तोकेका अधिकृत र अस्पतालको लेखा प्रमुखको संयुक्त दस्तखतबाट हुनेछ।

(५) प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रकम मध्ये आ.व. को अन्त्यसम्म खर्च नभएको रकम प्रदेश संचित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्नेछ ।

(६) कोष सञ्चालन सम्बन्धी आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ ।

२९. **लेखा र लेखापरीक्षणः** (१) समितिको आय व्ययको लेखा प्रचलित कानून बमोजिम लेखा प्रमुखले राख्नु पर्नेछ ।

(२) समितिको कोषको आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट र अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखा लेखापरीक्षकद्धारा हुनेछ ।

(३) प्रदेश सरकारले चाहेमा जुनसुकै बखत समितिको हिसाब किताब जाँच्न वा जँचाउन सक्नेछ ।

३०. **कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्थाः** (१) अस्पतालमा कार्यरत विकास समितिका कर्मचारीहरुले समितिबाटै तलव भत्ता र अन्य सुविधा पाउनेछन् ।

(२) समितिका कर्मचारीको नियुक्ती, सरुवा, बढुवा तथा अन्य सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था मन्त्रालयबाट स्वीकृत विनियम बमोजिम हुनेछ।

(३) यस नियमावलीमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि समितिले कर्मचारी नियुक्ती गर्दा प्रदेश लोकसेवा आयोगको परामर्शमा गर्नुपर्नेछ।

## परिच्छेद - ७
## विविध

३१. **दस्तुर (शुल्क) सम्बन्धी व्यवस्थाः** स्वास्थ्य संस्था स्थापना, नवीकरण वा स्तरोन्नती गर्नको लागि अनुसूची-२७ मा उल्लेख भए बमोजिमको दस्तुर बुझाउन पर्नेछ।

३२. **अनुसन्धान, अभिलेख तथा प्रतिवेदनः** (१) ऐन लागु हुनअघि अनुसन्धान केन्द्र राखी अनुमति लिएका अस्पतालले राष्ट्रिय स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को मापदण्ड अनुसार कम्तीमा वर्षमा २ वटा अनुसन्धान गरी सो को प्रतिवेदन निर्देशनालयमा बुझाउनु पर्नेछ ।

(२) यस नियमावली बमोजिम अनुमति प्राप्त स्वास्थ्य संस्थाले स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणालीले तोकेको ढाँचामा आफूले प्रदान गरेको

सेवाको मासिक प्रतिवेदन सम्बन्धित स्वास्थ्य कार्यलयहरुमा अनिवार्य रुपमा पेश गर्नु पर्नेछ।यसरी तोकिए बमोजिम प्रतिवेदन पेश नगर्ने स्वास्थ्य संस्थालाई स्वास्थ्य कार्यालयले सचेत गराउनेछ ।

(३) अनुसन्धान केन्द्रले सञ्चालन गर्ने स्वास्थ्य संस्थाले उपनियम (१) बमोजिम त्यस्तो अनुसन्धान नगरेमा अनुमति प्रदान गर्ने निकायले त्यस्तो स्वास्थ्य संस्थाको अनुमति खारेज गर्न सक्नेछ।

(४) सूचना व्यवस्थापन गर्ने कर्मचारीलाई सम्बन्धित जिल्लामा रहेको स्वास्थ्य कार्यालयबाट तालिम लिने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।

(५) स्वास्थ्य संस्थाले प्रदान गरेको सेवाको विवरण आई.सि.डि.-१० अनुसार कोडिङ् गरी सोहीअनुसार प्रतिवेदन गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।

(६) स्वास्थ्य संस्थाले आफ्नो संस्थामा भएको जन्म तथा मृत्यको घटना विवरण प्रचलित कानूनबमोजिम तोकिएको ढाँचामा स्थानीय पञ्जिकाधिकारीलाई मासिक रुपमा प्रतिवेदन दिनु पर्नेछ।

(७) अनुमति प्रदान गर्ने निकायले यस नियम बमोजिम प्रतिवेदन पेश नगर्ने स्वास्थ्य संस्थाको अनुमति खारेज गर्न सक्नेछ।

३३. **सञ्चालन अनुमति खारेज गर्न सक्नेः** (१) यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा अनुमति प्रदान गर्ने निकायले स्वास्थ्य संस्थाको सेवा सञ्चालन अनुमति जुनसुकै बेला खारेज गर्न सक्नेछः-

(क) नियमित वा आकस्मिक अनुगमन गर्दा तोकिएको गुणस्तर वा पूर्वाधार पुरा नगरी स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गरेको पाईएमा,

(ख) प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा उल्लिखित शर्तहरु पालना नगरेमा,

(ग) अस्पतालले प्रदान गरेको सेवाको प्रतिवेदन वार्षिक रुपमा सम्बन्धित निकायमा पेश नगरेमा,

(घ) स्वास्थ्य संस्थाबाट सिर्जित चिकित्साजन्य फोहरमैलाको उचित व्यवस्थापन नगरेमा,

(ङ) मन्त्रालय वा सम्बन्धित निकायले दिएको निर्देशनको पटक पटक उल्लंघन गरेमा,

(च) भवन संहिता तथा भवन निर्माण मापदण्ड अनुरुप भवन निर्माण नभएको वा पुरानो भवनको हकमा तोकिएको समयभित्र भूकम्पीय दृष्टिकोणले भवन प्रबलीकरण नगरेमा,

(छ) स्वास्थ्य संस्थाले संस्था सञ्चालन गर्न नसक्ने जनाई सञ्चालन अनुमति खारेजीका लागि निवेदन दिएमा।

**३४. प्रोटोकल, मापदण्ड वा निर्देशिका बनाउन सक्नेः** ऐनको दफा ३ को उपदफा (१०) को प्रयोजनार्थ प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने स्वास्थ्य सेवा वा स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमको सञ्चालनको लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक प्रोटोकल, मापदण्ड वा निर्देशिका बनाउन सक्नेछ।

**३५. स्वास्थ्य संस्थाको स्वामित्व हस्तान्तरणः** (१) कुनै व्यक्ति वा संस्थाको नाममा दर्ता भई स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनको अनुमति प्राप्त गरेको स्वास्थ्य संस्था अन्य व्यक्ति वा संस्थालाई सञ्चालन गर्न अनुमति प्रदान गरिने छैन।

(२) कुनै व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको निजी स्वास्थ्य संस्था अन्य व्यक्तिलाई स्वामित्व हस्तान्तरण गर्दा अनुमति प्रदान गर्ने निकाय समक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम निवेदन परेमा अनुमति प्रदान गर्ने निकायले स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन र निरीक्षण गराई यस नियमावलीले तोकेको मापदण्ड बमोजिम स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन हुन सक्ने सुनिश्चित गरेर मात्र स्वामित्व परिवर्तनको लागि अनुमति दिनेछ।

(४) कुनै संगठित संस्थाको स्वामित्वमा रहेको स्वास्थ्य संस्थाको अनुमति हस्तान्तरण हुने छैन् तर सो संगठित संस्थाको स्वामित्व परिवर्तन भएमा संस्थालाई प्रदान गरिएको अनुमति कायम नै रहनेछ।

३६. **भवन संहिता तथा मापदण्डको पालनाः** (१) स्वास्थ्य संस्थाले भवन निर्माण गर्दा नेपाल सरकारले तोकेको राष्ट्रिय भवन संहिता र भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्डहरुको पालना गर्नुपर्नेछ।

(२) भवन निर्माण गर्नु अघि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम सम्बन्धित स्थानीय तहबाट अनुमति लिनुपर्नेछ।

(३) स्वास्थ्य संस्थाले सम्बन्धित स्थानीय तहबाट भवन निर्माण सम्पन्न प्रतिवेदन प्राप्त भएको भवनमा मात्र सेवा सञ्चालन गर्नुपर्नेछ।

३७. **अधिकार प्रत्यायोजनः** (१) अनुमति प्रदान गर्ने निकायले यस नियमावली बमोजिम आफूलाइ प्राप्त अधिकारहरु आफू मातहतका स्वास्थ्यका निकायहरुलाई शर्त सहित अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम अधिकार प्राप्त गर्ने निकायले यस नियमावली बमोजिम आफूले सम्पादन गरेको कार्यको प्रगती विवरण सम्बन्धित अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने निकायलाई पेश गर्नु पर्नेछ।

अनुसूची -१
(नियम ३ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

**निवेदनको ढाँचा**

श्री.....................                                                    मितिः
................................ ।

**<u>बिषयः स्वास्थ्य संस्था स्थापना/सञ्चालन/नवीकरण/स्तरोन्नति अनुमति सम्बन्धमा।</u>**

प्रस्तुत बिषयमा प्रदेश नं. ५, प्रदेशस्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति ऐन, २०७६ को दफा .... को उपदफा .... र प्रदेशस्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति नियमावली, २०७७ को नियम ..... को उपनियम ... बमोजिमनिम्नानुसार प्रस्तावित स्वास्थ्य संस्था स्थापना/सञ्चालन/नवीकरण/स्तरोन्नति गर्ने अनुमतिका लागि संलग्न कागजात सहित यो निवेदन पेश गरेको छु/गरेका छौं ।

<u>निवेदन पेश गर्ने अधिकारिको</u>

नामः

दस्तखतः

मितिः

दर्जाः

कार्यालयको छापः

अनुसूची -२

(नियम ५ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

**स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्ने स्वास्थ्य संस्थाले पुरा गर्नुपर्ने मापदण्डहरु**

(क) स्वास्थ्य संस्थामा विश्व स्वास्थ्य संगठनले निर्धारण गरेका मापदण्ड बमोजिम संक्रमण नियन्त्रणको व्यवस्था हुनुपर्नेछ र सोको नियमित र प्रभावकारी अनुगमन गर्नु पर्नेछ।

(ख) स्वास्थ्य संस्थाले विभिन्न ईकाईबाट प्रदान गर्ने स्वास्थ्य सेवाहरु स्तरीय रुपमा सञ्चालन गर्न कार्यसञ्चालन निर्देशिका तयार गरी लागू गर्नु पर्नेछ ।

(ग) बहिरंग विभागमा आउने बिरामीको चापका आधारमा बिरामी दर्ता, विशेषज्ञ परामर्श, निदानात्मक सेवाहरु र औषधि कक्षमा छिटो छरितो सेवा दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।

(घ) स्वास्थ्य संस्थाले बहिरङ्ग सेवा प्रदान गर्ने बिशेषज्ञ चिकित्सक वा अन्य चिकित्सकहरु उपलब्ध हुने समय तालिका (दिन र बार खुल्ने गरी) सबैले देख्ने ठाउँमा राख्नुपर्नेछ।

(ङ) स्वास्थ्य संस्थाले उपलब्ध गराउने भनिएको विशेषज्ञ सेवा सम्बन्धित बिशेषज्ञ चिकित्सकबाटै प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।

(च) बिरामीले आफूले सेवा लिन चाहेको चिकित्सकबाट सेवा लिन पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नु पर्नेछ।

(छ) बिरामी वा बिरामीको रेखदेख गर्ने व्यक्तिलाई रोग र उपचार पद्धति बारे स्पष्ट जानकारी दिने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।

(ज) अस्पताल परिसर तथा सेवा दिने कक्षहरु नियमितरुपमा सफा सुग्घर राख्नुपर्नेछ।

(झ) स्वास्थ्य संस्थामा सवैले देख्ने स्थानमा उजुरी पेटिका राख्नुपर्नेछ।

(ञ) स्वास्थ्य संस्थाले जनगुनासो व्यवस्थापनका लागि गुनासो सुन्ने अधिकारी तोकी जनगुनासो तथा पर्न आएको उजुरी समाधान गर्ने व्यवस्था मिलाउनुका साथै समाधान हुन नसक्ने गुनासो भएमा सो को कारण सम्बन्धित व्यक्तिलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ।

(ट) स्वास्थ्य संस्थाले आफ्नो वेभसाइट बनाई यसको अद्यावधिक गरीआफ्ना गतिविधिहरु वेभसाइटमा प्रकाशित गर्नु पर्नेछ।

(ठ) जनगुनासो व्यवस्थापनका लागि ईलेक्ट्रोनिक पृष्ठपोषणको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।

(ड) सेवाग्राहीले संस्थाबाट सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने शुल्क, प्रकृया तथा अवधि समेत खुलाएको सेवाग्राही वडापत्र अस्पतालको अग्र भागमा देखिने गरी राखी सोही अनुरुप सेवाको सुनिश्चितता गर्नु पर्नेछ।

(ढ) अस्पतालमा आउने बिरामीलाई आवश्यक पर्ने जानकारी गराउन सोधपुछ वा सहायता कक्षको व्यवस्था गरी सेवाग्राहीलाई आवश्यक जानकारी दिने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।

(ण) पचास शैय्या वा सो भन्दा बढी क्षमताका अस्पतालहरुले सामाजिक सेवा इकाईको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।

(त) सेवा प्रदायक चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य कर्मचारीहरुको सुरक्षाका लागि विभिन्न सरुवा रोग बिरुद्धको खोप तथा व्यक्तिगत सुरक्षा उपायको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।

(थ) स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरुको सेवा शर्त सम्बन्धी विनियम बनाई कार्यन्वयन गर्नुपर्नेछ।

(द) स्वास्थ्य संस्थाले नेपाल सरकारबाट सञ्चालित सेवा वा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले तोकेको प्रोटोकल/मापदण्ड/ निर्देशिका अनिवार्य रुपमा पालना गरेको हुनुपर्नेछ ।

(ध) अस्पतालले चौबीसै घण्टा चिकित्सक तथा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीबाट आकस्मिक सेवा दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।

(न) अस्पतालमा रहेको आकस्मिक शैय्या क्षमताको आधारमा चिकित्सक तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गराउनुपर्नेछ ।

(प) आकस्मिक विभागवाट बिरामी भर्ना गर्न, रिफर गर्ने बिरामीको रेफरल प्रकृया र बिरामी सार्ने पद्धति स्पष्ट परिभाषित गर्नुपर्नेछ ।

(फ) अस्पतालमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीका लागि कुल शैय्याको दश प्रतिशत शैय्या छुट्याई अनिवार्य रुपमा निःशुल्क उपचार उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

(ब) खण्ड (फ) बमोजिम उपलब्ध गराएको उपचार सेवाको अभिलेख राखी स्वास्थ्य कार्यालयमा सो को प्रतिवेदन नियमित रुपमा पठाउनु पर्नेछ ।

(भ) स्वास्थ्य संस्थाबाट विपन्न सेवा पाएका नागरिकहरुको विवरण मासिक रुपमा अस्पताल हाताभित्र सबैले देख्ने गरी प्रकाशन गर्ने व्यवस्था मिलाई वेभसाइटमा समेत सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ ।

(म) पचास शैय्या वा सो भन्दा बढी क्षमताका अस्पतालहरुमा ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई विशेष किसिमको सुविधाको व्यवस्था हुने गरी उनीहरूको निमित्त आवश्यक संख्यामा शैय्या छुट्याउनु पर्नेछ ।

(य) स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गरिने भवन र अन्य पूर्वाधार राष्ट्रिय भवन संहिता र सम्बन्धित क्षेत्रको भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड अनुरुप हुनुपर्नेछ।

(र) अस्पतालले बिपद ब्यवस्थापनको कार्ययोजना बनाई सो कार्यको लागि सम्पर्क ब्यक्ति तोकी सो को जानकारी स्वास्थ्य कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ।

(ल) स्वास्थ्य संस्थाले भवन पूर्वाधार निर्माण गर्दा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत स्वास्थ्य भवन पूर्वाधारको डिजाइन तथा निर्माण सम्बन्धी निर्देशिका वा प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिम निर्माण गर्नु पर्नेछ।

(व) अस्पतालले सूचना अधिकारी तोकी यसको जानकारी स्वास्थ्य कार्यालयमा दिनु पर्नेछ ।

अनुसूची-३

(नियम ६ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

**पूर्वाधार निर्माणको मनसाय पत्रका लागि दिने निवेदनको ढाँचा**

श्री...................................

...................................... ।

निम्नानुसार प्रस्तावित अस्पतालको सञ्चालन तथा पूर्वाधार स्वीकृतिको मनसाय पत्रका लागि नियम ६ को उपनियम (१) मा उल्लेखित कागजात सहित देहाय विवरण खुलाई निवेदन पेश गरेको छु/गरेका छौं ।

कार्यकारी अधिकृत/सञ्चालन समितिको तर्फबाट

..................................................................

अस्पतालको विवरणः-

१. अस्पतालको नामः शैय्या संख्याः

२. साधारण सेवा/विशेषज्ञ सेवा वा अस्पताल के हो उल्लेख गर्नेः

३. अस्पतालको ठेगाना (पत्राचार गर्ने ठेगाना):

प्रदेशः जिल्लाः

महानगरपालिका/उ.म.न.पा./न.पा./गा.पा. वडा नं.: टोलः

ब्लक नं.: टेलिफोनः मोबाइल नं. पो.ब.नं.

ईमेल ठेगानाः वेवसाइडः

४. अस्पताल खोल्ने व्यक्तिहरु (५ प्रतिशत भन्दा बढी शेयर धारण गर्नेहरुको मात्र)

| क्र.स | नाम | नागरिकता नं. | मोबाइल नं. | इमेल ठेगाना | ठेगाना | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

५. अस्पतालको लागि आवस्यक जग्गा र स्वामित्वको

(क) जग्गाको कित्ता, क्षेत्रफल र स्वामित्वको प्रकारः

(ख) लिजमा भए कबुलियतनामा पेश गर्नेः

६. अस्पतालको वित्तीय स्रोतः

(क) निजी लगानी　　(ख) बैंक कर्जा

(ग) सरकारी　　(घ) अनुदान सहयोग

(ङ) गैरसरकारी संस्थाबाट कर्जा लिई सञ्चालन गर्ने भए सो को विवरण

(च) अन्य

७. वित्तीय लगानीः (स्थीर पूँजी लागत) रु. ....................

(क) भवन तथा जग्गाको लागिः रु. ....................

(ख) औजार उपकरणको लागिः रु. ......................... वित्तीय लगानी (चालु पूँजी लागत) रु. ..........

रोजगार संख्याः

अनुमानित आम्दानीः रु. ................. अनुमानित मुनाफाः ................

मासिकः रु. .......... त्रैमासिकः रु. ........... वार्षिकः रु. ................

८. देहायका विषयहरु समेत समावेश भएको व्यावसायिक कार्ययोजना

(क) स्वीकृत संस्थाबाट प्रदान गर्ने सेवाहरूको विवरणः

| **निदानात्मक सेवा** | **प्रतिकारात्मक सेवा** | **उपचारात्मक सेवा** |
|---|---|---|
| एक्स-रे | खोप | प्रसूति तथा स्त्री रोग |
| अल्ट्रासाउण्ड | गर्भवती, सुत्केरी जाँच | जनरल मेडिसिन |
| इन्डोस्कोपी | परिवार नियोजन | जनरल सर्जिकल |
| इसीजी, ट्रेडमिल | ............... | विशेषज्ञ सेवा जस्तैः प्रसूति सेवा, मृगौला रोग, स्नायु, आँखा, हाडजोर्नी, मानसिक सेवा |
| प्रयोगशाला | ............... | ............... |
| ............... | ............... | ............... |

(ख) संस्थामा प्रयोग हुने आवश्यक उपकरणहरूको विवरण (संलग्न गर्ने):

१) ...........................................................

२) ...........................................................

३) ...........................................................

४) ...........................................................

(ग) संस्थामा सेवा पु¥याउनका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्तिको विवरण (संलग्न गर्ने)

१) विशेषज्ञः

नामः पदः

योग्यताः पार्टटाइमः फुलटाइमः

२) प्राविधिकः

नामः पदः

योग्यताः पार्टटाइमः फुलटाइमः

३) प्रशासनिकः

नामः पदः

योग्यताः पार्टटाइमः फुलटाइमः

१. संस्थामा कार्य गर्ने प्राविधिक कर्मचारीहरू सम्बन्धित परिषदमा दर्ता भएको हुनुपर्नेछ। सम्बन्धित परिषद्को प्रमाण पत्र अनिवार्यरुपमा पेश गर्नुपर्नेछ।
२. कर्मचारीहरूको योग्यताका प्रमाणित प्रतिलिपिको साथै कार्य गर्ने मन्जुरीनामा समेत संलग्न हुनुपर्ने।
३. सरकारी कर्मचारीहरु संलग्न हुने भएमा सेवासँग सम्बन्धित प्रचलित कानूनबमोजिमकोअनुमति पत्र अनिवार्य रुपमा संलग्न हुनुपर्ने।
४. प्राविधिक कर्मचारीहरुले आफू कार्य गर्ने अन्य संस्थाहरुको समेत विवरण खुलाउने।

अनुसूची-४

(नियम ८ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

**स्वास्थ्य संस्थाले सेवा सञ्चालन अनुमतिको लागि दिने निवेदनको ढाँचा**

श्री.............................................

........................................................... ।

निम्नानुसार प्रस्तावित स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन अनुमतिको लागि देहाय अनुसार विवरण र कागजात सहित निवेदन पेश गरेको छु/ गरेका छौं ।

कार्यकारी अधिकृत/सञ्चालन समितिको तर्फबाट

.....................................................................

**विवरणः**

१. संस्थाको नामः शैय्या संख्याः

२. साधारण सेवा/ विशेषज्ञ सेवा अस्पताल कुन हो उल्लेख गर्नेः

३. संस्थाको ठेगाना (पत्राचार गर्ने ठेगाना)

प्रदेशः जिल्लाः

महानगरपालिका/उ.म.न.पा./न.पा./गा.पा वडा नं.: टोलः

ब्लक नं.: टेलिफोनः मोबाइल नं. पो.ब.नं.

ईमेल ठेगानाः वेबसाइडः

४. संस्था खोल्ने व्यक्तिहरुः

नामः ठेगानाः

नागरिकता नं. मोबाइल नं. फोन नं.

ईमेल ठेगानाः

५. संस्थाको वित्तीय स्रोतः

क. निजी

ख. शेयर कर्जा

ग. सरकारी

घ. गैर सरकारी संस्थाबाट कर्जा लिई सञ्चालन गर्ने भए सो उल्लेख गर्नेः

वित्तीय लगानीः (लागत) रु.

(क) भवन तथा जग्गाको लागिः

औजार उपकरणः

जनशक्तिः

अनुमानित आम्दानीः

स्वदेशीः

बिदेशीः

अचल सम्पत्तिको स्रोतः

अनुमानित मुनाफाः

मासिकः

त्रैमासिकः

वार्षिकः

६. नर्सिङ्ग होम तथा प्राइभेट अस्पतालको वर्गीकरण अनुसार प्रदान गर्ने सेवाहरुको विवरण कुन-कुन सेवा पुऱ्याउने हो? खुलाउने।

| **निदानात्मक सेवा** | **प्रतिकारात्मक सेवा** | **उपचारात्मक सेवा** |
|---|---|---|
| एक्स-रे | खोप | प्रसूति तथा स्त्री रोग |
| अल्ट्रासाउण्ड | गर्भवती, सुत्केरी जाँच | जनरल मेडिसिन |
| इन्डोस्कोपी | परिवार नियोजन | जनरल सर्जिकल |

| | | |
|---|---|---|
| इ.सी.जी., ट्रेडमिल | ................ | विशेषज्ञ सेवा जस्तैः प्रसूति सेवा, मृगौला रोग, स्नायु, आँखा, हाडजोर्नी, मानसिक सेवा |
| प्रयोगशाला | ................ | ................ |
| आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा | ................ | ................ |
| ................. | ................ | ................ |

७. संस्थामा प्रयोग हुने प्रमुख उपकरणहरुको विवरण तथा स्रोतः

(क)

(ख)

(ग)

(घ)

(ङ)

८. संस्थामा सेवा पुऱ्याउने कर्मचारीहरुको विवरण (सम्बन्धित मापदण्ड अनुसार):

(क) विशेषज्ञः

नाम पद

योग्यता पार्टटाईम फुलटाईम

(ख) प्राविधिकः

नाम पद

योग्यता पार्टटाईम फुलटाईम

(ग) प्रशासनिकः

नाम पद

योग्यता पार्टटाईम फुलटाईम

९. जनशक्ति सम्बन्धी अन्य विवरण

(१) सम्बन्धित सेवा अनुसार निर्धारित मापदण्डहरु र पूर्वाधारहरु पूरा भएनभएको विवरणः

(२) उपर्युक्त बमोजिम के कति कर्मचारीहरुको संस्थामा संलग्न हुने हो (स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्ने) :

(३) संस्थामा कार्य गर्ने प्राविधिक कर्मचारीहरु (सम्बन्धित परिषद्मा दर्ता भएको र सम्बन्धित परिषद्को प्रमाणपत्र अनिवार्य रुपमा पेश गर्नुपर्ने)

(४) कर्मचारीहरुको योग्यताका प्रमाणित प्रतिलिपिको साथै कार्य गर्ने मञ्जुरीनामा समेत संलग्न हुनुपर्ने ।

(५) सरकारी कर्मचारीहरु संलग्न हुने भए (सेवासँग सम्बन्धित प्रचलित कानून बमोजिम प्राप्त अनुमति पत्र अनिवार्य रुपमा संलग्न हुनुपर्ने)

(६) प्राविधिक कर्मचारीहरुले आफू कार्य गर्ने अन्य संस्थाहरुको समेत विवरण खुलाउने ।

**१०. स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनका लागि निवेदन दिदा संलग्न गर्नुपर्ने कागजातहरुः-**

(क) निवेदन फारम

(ख) कम्पनी दर्ता/संस्था दर्ताको प्रमाणित प्रतिलिपि

(ग) संस्था/कम्पनीको विधान/प्रवन्ध पत्र, नियमावलीको प्रतिलिपि

(घ) स्थायी लेखा दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

(ङ) स्थापना गर्न लागिएको ठाउँमा अस्पताल आवश्यक छ भन्ने स्थानीय निकाय र जिल्ला स्थित स्वास्थ्य कार्यालयको र आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्साको हकमा जिल्ला स्थित

आयुर्वेद सँग सम्बन्धित कार्यलयको सिफारिस पत्र ।

११. अस्पतालमा काम गर्ने जनशक्ति सम्बन्धी विवरण

(क) बायोडाटा

(ख) शैक्षिक योग्यता, तालिमका प्रमाणित प्रतिलिपि

(ग) प्राविधिक कर्मचारीहरुले सम्बन्धित काउन्सिलको दर्ता प्रमाण-पत्रको प्रतिलिपि

(घ) नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

(ङ) जनशक्तिहरुको काम गर्ने समय (पार्ट टाइम/फुल टाइम किटान गर्नुपर्नेछ)

(च) मञ्जुरीनामा/कबुलियतनामा

१२. औजार उपकरणको विवरण तथा स्रोत

१३. सम्पूर्ण सेवा शुल्क विवरण

१४. भौतिक सामग्रीको विवरण

१५. यस नियमावली बमोजिम प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृति पत्रको प्रतिलिपी

१६. अस्पतालको विस्तृत सर्भेक्षण सहितको प्रस्ताव

१७. अस्पतालको आर्थिक नियमावली

१८. अस्पतालले लिने सेवा शुल्क विवरण र गरिब तथा असहायलाई छुट सम्बन्धी व्यवस्था

१९. प्रदान गरिने सेवाको विवरण

२०. जग्गा/घरको स्वामित्व

२१. घर/कोठा बहालमा लिई सञ्चालन गर्ने भए घर बहाल सम्झौता-पत्र र भवन स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय भवन संहिता बमोजिम उपयुक्त छ भन्ने सम्बन्धी सिफारिश पत्र

२२. भवन निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र

२३. संस्थाको चल अचल सम्पत्ति विवरण तथा वित्तीय स्रोत

२४. संस्थाको कार्य योजना

२५. कर चुक्ता प्रमाण पत्र

२६. लेखापरीक्षण प्रतिवेदन

२७. बिरामी बडापत्रको नमुना

२८. सम्बन्धित निकायको भवन संहिता सम्बन्धी स्वीकृति पत्र

२९. मूल्य अभिबृद्धि कर वा आयकरमा दर्ता भएको प्रमाणपत्र

३०. सम्बन्धित निकायबाट भवनको नक्सा डिजाइन र निर्माण राष्ट्रिय भवन संहिताको मापदण्ड बमोजिम भएको स्वीकृति पत्र ।

अनुसूची - ५

(नियम ८ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)

**स्वास्थ्य क्लिनिक/पोलिक्लिनिक/निदान केन्द्र/प्रयोगशाला/रेडियो इमेजिङ सेवा सञ्चालन अनुमतिको लागि दिने निवेदनको ढाँचा**

श्री...............................................

.............................................................. ।

निम्नानुसार प्रस्तावित स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन अनुमतिको लागि देहाय अनुसारको विवरण र कागजात सहित निवेदन फाराम पेश गरेको छु/ गरेका छौं।

कार्यकारी अधिकृत/संचालकको तर्फबाट

............................................................

विवरण

१. संस्थाको नामः शैय्या संख्याः

२. संस्थाको ठेगाना (पत्राचार गर्ने ठेगाना)

प्रदेशः जिल्लाः

महानगरपालिका/उमनपा/नपा/गापा वडा नं.: टोलः

ब्लक नं.: टेलिफोनः मोबाइल नं.

ईमेल ठेगानाः वेबसाइटः

३. संस्था खोल्ने व्यक्तिहरुः

नामः ठेगानाः

नागरिकता नं. मोबाइल नं. फोन नं.

ईमेल ठेगानाः

४. संस्थाको वित्तीय स्रोतः

क. निजी ख. शेयर कर्जा ग. सरकारी

घ. वैदेशिक ङ. सामुदायिक च. अन्य

५. संस्थाको क्षमता तथा बिस्तृत कार्य योजनाः

सेवा प्रदान गर्ने क्षेत्रहरुः

| निदानात्मक सेवा | प्रतिकारात्मक सेवा | उपचारात्मक सेवा |
|---|---|---|
| एक्स-रे | खोप | प्रसूति तथा स्त्री रोग |
| अल्ट्रासाउण्ड | गर्भवती, सुत्केरी जाँच | जनरल मेडिसिन |
| इन्डोस्कोपी | परिवार नियोजन | जनरल सर्जिकल |
| इ.सी.जी., ट्रेडमिल | ................ | विशेषज्ञ सेवा जस्तैः प्रसूति सेवा, मृगौला रोग, स्नायु, आँखा, हाडजोर्नी, मानसिक सेवा |
| प्रयोगशाला | ................ | ................ |
| आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा | ................ | ................ |
| ................. | ................ | ................ |
| ................ | ................ | ................ |

६. सेवा शुल्क (अलग र स्पष्टसँग) खुलाउनेः

७. संस्थामा सेवा हुने आवश्यक उपकरणहरुको विवरण तथा स्रोतः

८. संस्थामा सेवा पुऱ्याउने जनशक्ति बिवरणः

(क) विशेषज्ञः

नाम पद

योग्यता पार्टटाईम फुलटाईम

(ख) प्राविधिकः

| | | |
|---|---|---|
| नाम | पद | |
| योग्यता | पार्टटाईम | फुलटाईम |

(ग) प्रशासनिकः

| | | |
|---|---|---|
| नाम | पद | |
| योग्यता | पार्टटाईम | फुलटाईम |

९. सम्बन्धित सेवा अनुसार निर्धारित मापदण्डहरु र पूर्वाधारहरु पूरा भए नभएको उल्लेख गर्ने ।

१०. कर्मचारी सम्बन्धी विवरण र शर्तः-

(१) उपर्युक्त बमोजिम के कति कर्मचारीहरुको संस्थामा संलग्न हुने हो, स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्ने ।

(२) संस्थामा कार्य गर्ने कर्मचारीहरु सम्बन्धित परिषद्मा दर्ता भएको सम्बन्धित परिषद्को प्रमाणपत्र अनिवार्य रुपमा पेश गर्नुपर्ने ।

(३) कर्मचारीहरुको योग्यताका प्रमाणित प्रतिलिपिहरु संलग्न हुनुपर्ने ।

(४) सरकारी कर्मचारीहरु संलग्न हुने भएमा सेवासँग सम्बन्धित प्रचलित कानून अनुसारको अनुमति पत्र अनिवार्य रुपमा संलग्न हुनुपर्ने।

अनुसूची-६

(नियम ८ को उपनियम (५) सँग सम्बन्धित)

**स्वास्थ्य संस्थालाई प्रदान गरिने सञ्चालन अनुमतिको ढाँचा**

प्रदेश सरकार

**सामाजिक विकास मन्त्रालय**

प्रदेश नं. ५

**स्वास्थ्य संस्था/अस्पताल सञ्चालन अनुमति प्रमाणपत्र**

श्री ...................                                        दर्ता नं. :

...................।

स्वास्थ्य संस्था/अस्पताल सञ्चालन अनुमतिको लागि त्यस संस्थाबाट मिति ............... मा दिइएको निवेदन उपर आवश्यक जाँचबुझ गरी प्रदेश नं. ५, प्रदेश स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति ऐन, २०७६ को दफा ......... को उपदफा .......... र प्रदेश नं. ५, प्रदेश स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति नियमावली, २०७७ को नियम .... बमोजिम मिति ........ सम्मको लागि स्वास्थ्य संस्था/अस्पताल सञ्चालन गर्नका लागि यो अनुमति प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ।

प्रमाणपत्र दिने अधिकारिको

नामः

दस्तखतः

मितिः

दर्जाः

**<u>नवीकरण प्रयोजनको लागि</u>**

| नवीकरण मिति | नवीकरण गर्ने अधिकारिको नाम | पद | दस्तखत | कार्यालयको छाप |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

अनुसूची-७

(नियम १५ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

## अस्पतालको पूर्वाधार सम्बन्धी मापदण्ड

(१) अस्पतालको पूर्वाधार सम्बन्धी मापदण्ड देहाय बमोजिम हुनुपर्नेछः-

(क) अस्पताल रहने स्थान नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेको वातावरणीय मापदण्ड अनुरुप धुँवा, धुलो, ध्वनि, जल तथा जमिन प्रदूषणबाट मुक्त भएको।

(ख) अस्पताल रहने क्षेत्र र हाताभित्र विश्व स्वास्थ्य संगठनले निर्धारण गरे अनुरुप उपयुक्त सुरक्षाको ब्यवस्था भएको।

(ग) अस्पताल स्थापना हुने स्थान नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड अनुरुप सडक यातायातको पहुँच भएको।

(घ) पानी, बिजुली र सञ्चार सुबिधा उपलब्ध भएको।

(ङ) सवारी साधन पार्किङका लागि प्रचलित कानूनबमोजिम पर्याप्त व्यवस्था भएको।

(च) अस्पताल परिसरमा स्वस्थकर वातावरणका लागि बृक्षारोपण तथा बगैंचाको व्यवस्था भएको।

(छ) जोखिमपूर्ण फोहर व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त प्रविधिको व्यवस्था गर्नुका साथै प्रचलित कानूनबमोजिम फोहर व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पूर्वाधार व्यवस्था मिलाएको।

(ज) अस्पतालहरुले अनिवार्य रुपमा सहायता कक्ष र सेवा प्रवाह हुने स्थानहरु स्पष्ट देखिने नक्सा वा वोर्ड को व्यवस्था गरेको।

(झ) ५० शैय्या वा सो भन्दा माथिका अस्पतालहरुमा पेजीङ्ग सिस्टमको व्यवस्था भएको।

(ञ) अस्पताल हाताभित्र जीउ धनको सुरक्षाको निमित्त सुरक्षाकर्मीको व्यवस्था भएको।

(ट) संघीय सरकारबाट जारी गरिएको स्वास्थ्य भवन पूर्वाधारको डिजाइन तथा निर्माण सम्बन्धी निर्देशिका बमोजिम न्यूनतम क्षेत्रफल वरावरको जग्गा भएको ।

(ठ) अस्पतालको भवन प्रयोजनका लागि जग्गाको उपयोग बढीमा ४० प्रतिशत मात्र भएको र बाँकी जग्गामा कुनै प्रकारको भौतिक संरचना निर्माण गर्न सकिने नसकिने व्यवस्था गरेको ।

(ड) अस्पतालले २५ प्रतिशत जग्गा वा प्रति ३ शैय्याको अनुपातमा १ कार पार्कका हिसावले जुन बढी हुन्छ सोही बराबर जग्गा कार पार्कका लागि छुट्याएको ।

(ढ) अस्पतालको भवन निर्माण गर्दा प्रचलित कानूनले निर्धारण गरे अनुसारको सेटव्याक छाडेको।

(ण) अस्पताल भवनकोलाइट प्लेन ६३.५ डिग्री र अधिकतम भुइको क्षेत्रफल अनुपात २.५ हुनुपर्नेछ।

(२) आकस्मिक सेवाका लागि देहाय बमोजिमको पूर्वाधार सम्बन्धी मापदण्ड पुरा गरेको हुनुपर्नेछः-

(क) कुल शैय्या क्षमताको कम्तीमा दश प्रतिशतका दरले आकस्मिक कक्षमा शैय्याहरू उपलब्ध भएको ।

(ख) आकस्मिक सेवाका लागि छुट्याएको दश प्रतिशत शैय्यालाई देहाय अनुरुप वर्गीकरण गरी सेवा दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेः-

(१) Red (R) = अति सिकिस्त बिरामीको सेवा दिने शैय्या बराबर एक प्रतिशत,

(२) Yellow (Y) = सिकिस्त बिरामीको सेवा दिने शैय्या बराबर दुई प्रतिशत,

(३) Green (G) = सामान्य बिरामीको सेवा दिने शैय्या बराबर तीन प्रतिशत,

(४) Black (B) = मृत्यु भईसकेका बिरामीलाई राख्ने शैय्या बराबर एक प्रतिशत,

(५) अब्जरभेसन कोठातथा शैय्याबराबर तीन प्रतिशत,

(ग) दश प्रतिशत भन्दा बढी शैय्या छुट्याएको सन्दर्भमा माथि उल्लेख भएका वर्गीकरणको अनुपातमा शैय्याको बाँडफाँड गरेको।

(घ) माथि जे सुकै कुरा उल्लेख गरेको भएता पनि पचास शैय्या भन्दा कम शैय्याका अस्पतालहरुले प्रत्येक वर्गको लागि कम्तीमा एउटा शैय्याको अनिवार्य रुपमा व्यवस्थागरेको।

(ङ) आकस्मिक कक्ष सञ्चालन गर्दा अल्ट्रासाउण्ड, एक्सरे, इमेजिङ सेवा, प्रयोगशाला, ओ.पी.डी., ओ.टी. तथा अन्य वार्डहरूमा समेत सजिलै बिरामी ल्याउन लैजान सकिने (व्हिलचेर/ट्रली, स्टेचर) गरी सञ्चालनमा ल्याएको।

(च) आकस्मिक कक्षमा प्रतिक्षालय, शौचालय, ट्रायज रुम, चेन्जिङ्ग रुम, मेडिको लेगल केस जस्तै बलात्कार पिडित आदिको लागि गोपनियता सुनिश्चित हुने कोठाको समेत व्यवस्था भएको।

(छ) चौबिसै घण्टा आकस्मिक सेवा दिने व्यवस्था मिलाएको।

(ज) चौबीस शैय्या सम्म क्षमताका अस्पतालमा आकस्मिक सेवाका लागि २४ सै घण्टा चिकित्सक अनिवार्य रुपमा उपलब्ध हुने

व्यवस्था हुनुपर्ने साथै पच्चीस शैय्या वा सो भन्दा माथिको क्षमता भएका अस्पतालहरुमा आकस्मिक सेवा कक्षमा चौबीसै घण्टा चिकित्सक सेवा उपलब्ध हुनुका साथै सम्बधित बिषयको कन्सल्टयाण्ट चिकित्सक अनकलमा अनिवार्य रुपमा उपलब्ध हुनुपर्ने।

(झ) आकस्मिक विभागवाट बिरामी भर्ना गर्न, रिफर गर्ने बिरामीको रेफरल प्रकृया तथा बिरामी सार्ने पद्धति स्पष्ट रुपमा परिभाषित गरेको हुनुपर्ने।

(ञ) प्रकोपजन्य रोगहरु, प्राकृतिक प्रकोप जस्ता पक्षहरुलाई बिचार गरी आकस्मिक उपचार सेवाका लागि संस्थाले विपद व्यवस्थापन योजना बनाएको हुनुपर्ने।

(ट) आकस्मिक सेवामा काम गर्ने जनशक्तिले बेसिक लाइफ सपोर्ट, प्राइमरी ट्रमा केयर, एडभान्स कार्डियाक लाइफ सपोर्ट, एडभान्स ट्रमा लाइफ सपोर्ट आदि तालिम लिएको हुनुपर्ने।

(ठ) तुरुन्तै सर्न र सार्न सक्ने रोगहरुको व्यवस्थापनको लागि छुट्टै कोठाको व्यवस्था गरेको हुनुपर्ने।

(३) बहिरंग विभागका लागि देहाय बमोजिमको पूर्वाधार सम्बन्धी मापदण्ड पुरा गरेको हुनुपर्नेः-

(क) अस्पतालबाट प्रदान हुने प्रत्येक विशेषज्ञ सेवाका लागि ओ.पी.डी. कक्षको व्यवस्था मिलाएको,

(ख) अस्पतालहरुले सामान्य चिकित्सा, बालरोग, सामान्य शल्यक्रिया, स्त्री तथा प्रसूति सेवा सञ्चालन गरेको हुनुपर्ने तथा पूर्वाधार पूरा गरी हाड जोर्नी, नाक कान घाँटी, छाला तथा यौनरोग, आँखा,

दन्त सेवा जस्ता सेवाको लागि स्वेच्छिक रुपमा सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको,

(ग) उपलब्ध भएका चिकित्सकहरु मध्ये सेवाग्राहीले उपलब्ध भएसम्म रोजेको चिकित्सकसँग परीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था भएको,

(घ) पचास शैय्या वा सो भन्दा माथिका अस्पतालले एम.सी.एच. क्लिनिकको अलग्गै व्यवस्था गरेको,

(४) अन्तरंग विभागका लागि देहाय बमोजिमको पूर्वाधार सम्बन्धी मापदण्ड पुरा गरेको हुनुपर्नेछः-

(क) अस्पतालमा शल्यक्रिया पश्चात पनि बिरामीको अवस्था स्थिर नभए सम्म उक्त शल्यक्रिया गर्ने समूह तथा शल्य चिकित्सक र एनेस्थेसियोलोजिष्ट अस्पतालमा रहिरहनु पर्ने र तत्पश्चात पनि शल्यक्रियाको प्रकृति हेरी आवश्यक परेको खण्डमा तत्काल उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने।

(ख) नर्सिङ्ग डयूटी स्टेशनबाट प्रत्येक बिरामीको प्रत्यक्ष निगरानी हुने व्यवस्था गर्नु पर्ने र उक्त सुविधा नभएमा प्रत्येक बिरामीको शैय्यामा कल बेल राख्नु पर्ने।

(ग) एक कन्सल्टयान्टको मातहतमा स्वास्थ्य सेवाको कुनै पनि युनिटमा पच्चिस शैय्या भन्दा बढी शैय्या राख्न नपाइने।

(५) उपचार संम्वद्ध स्वास्थ्य तथा निदानात्मक सेवाका लागि देहाय बमोजिमको पूर्वाधार सम्बन्धी मापदण्ड पुरा गरेको हुनुपर्नेछः-

(क) प्रत्येक किसिमका परीक्षणको लागि राष्ट्रिय वा प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला मापदण्ड अनुरुपको प्रयोगशालाको व्यवस्था भएको।

(ख) रेडियो डाइग्नोसिस, अल्ट्रासाउण्ड, एक्सरे फिल्म लोडिङ, अनलोडिङ तथा प्रोसेसिङ लगायतका इमेजिङ सेवा कक्षहरू ओ.पी.डी., ओ.टी. तथा वार्डहरूलाई समेत सजिलै बिरामी ल्याउन लैजान सकिने र्‍याम्प, (व्हीलचेयर/ट्रली, स्टेचर) गरी सञ्चालनमा ल्याएको।

(ग) यस्ता सेवा प्रदान गरिने कोठाहरूमा प्रतिक्षालय, शौचालय, चेन्जिङ रुमको समेत व्यवस्था भएको।

(६) शल्यक्रिया गर्ने स्वास्थ्य संस्थामा सेवाको प्रकार हेरी पाँचदेखि दश प्रतिशत सघन उपचार सेवाका हाई डिपेन्डेन्सी रयुनिट आई.सि.यु. शैय्याहरु रहेको।

(७) अस्पतालमा पोषण, खोप, आमा र वच्चाको स्वास्थ्य, परिवार नियोजन जस्ता सेवाहरुको नेपाल सरकारको नीति बमोजिम प्रवर्धनात्मक तथा प्रतिरोधात्मक सेवा उपलब्ध भएको।

(८) अस्पतालमा कम्तीमा वच्चा तथा आमाको लागि विशेषज्ञ सेवा र विशेषज्ञ अस्पतालमा सो अस्पतालको प्रकृति अनुसारको विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराएको।

(९) औषधि पसलका लागि देहाय बमोजिमको पूर्वाधार मापदण्ड पुरा गरेको हुनुपर्नेछः-

(क) अस्पताल हाताभित्र औषधि पसलको व्यवस्था नेपाल सरकारको अस्पताल फार्मेसी सेवा निर्देशिका बमोजिम गर्नुपर्ने।

(ख) चौबिसै घण्टा फार्मेसी सञ्चालनका लागि फार्मेसी विषय अध्ययन गरेको दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था हुनुपर्ने ।

(ग) फार्मेसी कक्षमा औषधिको गुणस्तरमा ह्रास नहुने गरी सुरक्षित भण्डारण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने साथै ताप संवेदनशील औषधि

तथा भ्याक्सिनको भण्डारण तोकिएको तापक्रममा भण्डारण गर्नुपर्ने।

(घ) उपचारमा प्रयोग गरिने लागू औषधहरुलागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ बमोजिम स्वास्थ्य संस्थाले चिकित्सकको लिखित प्रेस्क्रीप्सन अनुसार मात्र वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको हुनुपर्ने साथै औषधिको आम्दानी तथा वितरणको अभिलेख राख्नुपर्ने।

(ङ) म्याद नाघेका औषधिहरु नियमित रुपमा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको स्वास्थ्यजन्य फोहोरमैला व्यवस्थापन निर्देशिकामा उल्लेख भएकोमा सोही बमोजिम र नभएको खण्डमा विश्वस्वास्थ्य संगठनको निर्देशिका बमोजिमको विधि अपनाई नष्ट गर्नुपर्ने।

(च) आकस्मिक सेवाका लागि चाहिने आवश्यक औषधिहरु चौबिसै घण्टा उपलब्ध हुने ब्यवस्था गर्नुपर्ने।

(छ) अस्पतालले बाह्य व्यक्ति वा संस्थालाई फार्मेसी सेवा सञ्चालन गर्न दिएको अवस्थामा सो व्यक्ति वा संस्थाले पनि अस्पतालले पालना गर्नुपर्ने माथि उल्लेख भएका सम्पूर्ण शर्तहरु अनिवार्य रुपमा पालना गर्ने व्यवस्था मिलाएको हुनुपर्ने।

(ज) औषधिको खुद्रा मूल्यमा छुटको व्यवस्था भएमा सबैले देख्ने गरी सूचना टाँस गर्नुपर्ने।

(झ) राष्ट्रिय भवन संहितामा उल्लेखित मापदण्ड अनुरुप औषधि पसल सञ्चालन हुने भवन निर्माण भएको हुनुपर्ने।

(१०) रक्त सञ्चार सेवाका लागि देहाय बमोजिमको पूर्वाधार सम्बन्धी मापदण्ड पुरा गरेको हुनुपर्नेः-

(क) अस्पताल हातामा ब्लड बैंकको व्यवस्था भएको हुनुपर्नेछ र सो नभएमा बिरामीको लागि आवश्यक पर्ने ब्लड उपलब्ध हुने गरी व्यवस्था मिलाइएको हुनुपर्ने।

(ख) व्लड बैंकको सम्बन्धमा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला नीति तथा मापदण्ड अनुरुपको व्यवस्था भएको हुनुपर्ने ।

(११) पचास शैय्या भन्दा माथि क्षमताको अस्पतालमा फिजियोथेरापि सेवा अनिवार्य रुपमा उपलब्ध हुनुपर्नेछ।

(१२) अस्पतालमा रहेका बिरामी तथा अन्य सेवाग्राहीलाई असहज नहुने गरी अलग्गै चिस्यान कक्ष वा शवगृहको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।

(१३) अस्पताल व्यवस्थापनका लागि देहाय बमोजिमको पूर्वाधार सम्बन्धी मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्नेछः-

क) सोधपुछ तथा गुनासो सुनुवाई कक्षः

(१) सेवाग्राहीहरूको सुविधाको लागि आवश्यक कर्मचारी सहितको सोधपूछ कक्षको व्यवस्था हुनुपर्ने।

(२) अस्पतालले प्रदान गर्ने सेवाका विषयमा सेवाग्राहीको गुनासो सुनवाइ गर्ने उचित प्रवन्ध मिलाइएको हुनुपर्ने।

ख) सूचना सम्प्रेषणः

(१) अस्पतालभित्र प्रभावकारी सूचना सम्प्रेषणका लागि आन्तरिक टेलिफोन कल (इन्टरकम) को ब्यवस्थाका साथै आवश्यक आधुनिक संयन्त्रको समुचित प्रयोग हुनुपर्ने।

(२) अस्पतालहरुमा सार्वजनिक संचार सेवाको व्यवस्था हुनुपर्ने।

(३) प्रहरी, एम्बुलेन्स, दमकल जस्ता सेवा लगायतका आकस्मिक सेवाका टेलिफोन नम्बरहरु स्पष्ट देखिने गरी राख्नु पर्ने।

ग) पानी वितरणः

(१) अस्पतालमा बिरामी र अन्य ब्यक्तिहरुका लागि चौबीसै घण्टा न्युनतम मापदण्ड अनुरुप शुद्ध पानीको आपूर्ति हुनुपर्ने।

(२) अस्पतालद्वारा वितरण हुने पानीको गुणस्तर परीक्षण ४/४ महिनामा गराई अभिलेख राखिएको हुनुपर्ने।

(३) बहिरंग, नर्सिङ्ग, अन्तरंग, अपरेशन थिएटर रआपतकालीन कक्षहरुमा पानीको व्यवस्था हुनुपर्ने।

घ) विद्युत आपूर्तिः

(१) अस्पताल क्षेत्रभित्र र सबै विभागहरूमा चौबीसै घण्टा विद्युत आपूर्ति हुने व्यवस्था मिलाएको हुनुपर्ने।साथै लोडसेडिङको समयमा विद्युत आपूर्ति गर्न अटोमेटिक ब्याक अप सिष्टम स्थापना गरेको हुनुपर्ने।

(२) ओ.टी., आई.सि.यू., सि.सि.यू., इमर्जेन्सी कक्ष लगायतका संवेदनशील कक्षहरूमा आपतकालीन विद्युत व्याकअप सिष्टम हुनुपर्ने।

ङ) सरसफाई तथा शौचालय ब्यवस्थाः

(१) अस्पतालको सम्पूर्ण क्षेत्र सधैं सफा राख्नु पर्नेछ।

(२) अस्पतालमा देहाय बमोजिमको सेवा दिइने कक्षहरु वा क्लिनिकमा देहाय बमोजिम शौचालयको व्यवस्था हुनुपर्नेछः

(क) आकस्मिक कक्ष

(ख) लेवर रुम

(ग) प्याथोलोजी सेवा

(घ) बहिरंग विभाग (आवश्यकता अनुसार महिला र पुरुषका लागि अलगअलग)

(ङ) प्रति छ बेडको जनरल बेडको लागि एक

(च) महिला तथा अपाङ्गका लागि अलगै

(छ) क्याविन तथा डबल रुमका लागि (एटेच बाथरुम भएको)

(ज) डाक्टर तथा स्टाफका लागि (आवश्यकतानुसार)

(३) अस्पताल हाताभित्र सेवाग्राही तथा सेवाप्रदायकका लागि पर्याप्त पानी र साबुन सहितको शौचालयको ब्यवस्था हुनुपर्नेछ।

(४) शौचालय सधै सफा राख्ने ब्यवस्था गरेको हुनुपर्नेछ।

च) मर्मत सम्भार व्यवस्थाः

(१) अस्पतालले प्रयोग गर्ने उपकरण तथा औजारहरू समयमै मर्मतको व्यवस्था हुनुपर्नेछ। साथै ठूला र गम्भीर प्रकृतीका औजार उपकरणहरुको कम्पनीले निर्दिष्ट गरेको मर्मत अवधि अनुसार मर्मतसम्भार कार्ययोजना बनाई सोही अनुसार मर्मत गरेको हुनुपर्नेछ।

(२) अस्पतालको भवन, सवारी साधन, मेसिनरी औजार, यन्त्र, उपकरण,विद्युतीय उपकरण र अन्य विद्युतीय उपकरणहरूको नियमित मर्मतसंभार गर्ने व्यवस्था मिलाएको हुनुपर्नेछ।

छ) बिरामी कुरुवालाई सुविधाः अस्पतालको वार्ड तथा अन्य उपचार दिने स्थानमा आवश्यकता अनुसार बिरामीको साथमा रहने एक जना कुरुवालाई बस्न सक्ने प्रवन्ध हुनुपर्नेछ।

ज) क्यान्टिन सुविधाः अस्पताल हाता भित्र खाना पकाउनेरखाना खाने ठाउँ अलग-अलग ठाउँ सहितको सफा र सुविधायुक्त क्यान्टिनको व्यवस्था भएको हुनुपर्नेछ।

झ) लण्ड्री व्यबस्थाः

(क) अस्पतालमा प्रयोग हुने एप्रोन, पन्जा, टोपी, जुत्ता, तन्ना, तकिया, खोल, रुमाल जस्ता लुगा कपडा धुनको लागि लण्ड्रीको व्यवस्था हुनुपर्ने।

(ख) अस्पताल भर्ना भएका बिरामीको लुगा धुने सुविधाको व्यवस्थाहुनुपर्ने ।

ञ) भण्डार कक्षकोव्यवस्थाः

(१) आपत्कालीन अवस्थामा प्रयोग हुने सामग्रीहरूको अलग्गै भण्डारकक्ष हुनुपर्ने । यस्तो भण्डारमा कम्तीमा एक महिनाको लागि अत्यावश्यक सामग्री स्टक राख्ने व्यवस्था हुनुपर्ने ।

(२) अस्पतालको लागि आवश्यक लत्ताकपडा, सरसफाइ सामग्री, औजार, उपकरण तथा औषधिको न्यूनतम मौज्दात रहनु पर्ने र सो सामग्रीहरुको उपयुक्त भण्डारणको-रेफ्रिजेरेटर, भेन्टिलेसन, ए.सि. आदी व्यवस्था गरेको हुनुपर्ने।

ट) सुरक्षा व्यवस्थाः

(१) अस्पतालमा सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन सुरक्षा गार्डको व्यवस्था हुनुपर्ने।

(२) आपत्कालीन अवस्थाको लागि तत्काल सेवा प्रदान गर्न राज्यका सुरक्षा निकायसँग समन्वय कायम गर्ने व्यवस्था मिलाएको हुनुपर्ने।

ठ) एम्बुलेन्स सञ्चालनः अस्पतालमा मेडिकल एटेण्डेण्ट सहितको १ वटा एम्बुलेन्स अनिवार्य हुनुपर्ने र अस्पतालले त्यस्ता मेडिकल एटेण्डेण्टलाई बेसिक इमरजेन्सी मेडिकल तालिम दिने व्यवस्था

मिलाउनुका साथै एम्वुलेन्स सेवा सञ्चालन निर्देशिका बमोजिम एम्वुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको हुनुपर्नेछ।

ङ) यातायातको व्यवस्थाः अस्पतालले कम्तीमा रात्रिकालीन समयमा काम गर्ने कर्मचारीलाई आउन जान यातायातको व्यवस्था अनिवार्य रुपमा मिलाउनुपर्नेछ।

(१४) स्थान तथा जग्गा पूर्वाधारः

(क) अस्पताल रहने स्थानः अस्पताल रहने स्थान छनौट गर्दा पायक पर्ने गरी प्रदूषणमुक्त क्षेत्रको छनौट गर्नु पर्नेछ। छनौट गरिएको स्थान त्यस्तै प्रकृतिको अस्पताल रहेको स्थानको कम्तीमा एक किलोमीटर टाढा हुनुपर्नेछ। विशिष्ट प्रकृतिको बहुस्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने अस्पताल, आयूर्वेद, होमीयोप्याथिक जस्ता फरक प्रकृतिका अस्पतालको हकमा र जनघनत्वको आधारमा अस्पतालको शैय्या आवश्यक देखिएमा यो बन्देज लागू हुनेछैन।

(ख) अस्पताल सञ्चालनको लागि आफ्नै स्वामित्वको पर्याप्त जग्गा हुनुपर्नेछ। आफ्नो जग्गा नभएको हकमा कम्तीमा पन्ध्र बर्षका लागि जग्गा भाडामा लिई सो जग्गामा पूर्वाधार निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउन सक्नेछ। पच्चिस शैय्या वा सो भन्दा माथि क्षमता बिस्तार गर्दा वा पचास शैय्या भन्दा माथिको अस्पताल सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्थामा यस नियमावलीले तोकेको पूर्वाधार मापदण्ड बमोजिमको आफ्नै भवन हुनुपर्नेछ।

(ग) आफ्नो जग्गा नभएका २४ शैय्या सम्मका अस्पतालले कम्तीमा पन्ध्र बर्षका लागि जग्गा भाडा (लिज) मा लिई सेवा सञ्चालन गर्नसक्नेछ।

(१५) अस्पतालको भवन पूर्वधारः

(क) अस्पताल सेवा सञ्चालन गरिने भवन,भवन ऐन २०५५, र नेपाल सरकारबाट जारी गरिएको बस्ती बिकास शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड, २०७२ अनुरुप हुनुपर्नेछ ।

(ख) अस्पताल सञ्चालन गरिने भवनकोस्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुरुप सम्बन्धित स्थानीय तहबाट निर्माण सम्पन्न प्रतिवेदन लिएको हुनुपर्नेछ।

(ग) अस्पताल सञ्चालन गरिने भवन राष्ट्रिय भवन संहिता २०६० बमोजिम रहेको भनि सम्बन्धित निकायबाट प्रमाणित गरेको हुनुपर्नेछ।

(घ) भवनमा सर्वसाधारणको जानकारीका लागि विपद व्यवस्थापन योजना तयार गरी सुरक्षा सम्बन्धी संकेत चिन्हहरुउपयुक्त स्थानमा प्रस्ट देखिने गरी राखिएको हुनुपर्नेछ।

(ङ) अस्पतालको कोठाहरु उपयुक्त भेन्टीलेसन वा वातानुकुलित यन्त्र राखिएको हुनुपर्नेछ।

(च) अस्पतालमा प्रशासनिक कार्यालय, ओ.पी.डी., प्रयोगशाला, वार्ड,फार्मेसी, क्यान्टिनको व्यवस्था हुनुपर्नेछ।

(छ) अस्पतालमा व्हिलचेयर तथा ट्रलिको सहज आवागमनको व्यवस्थाकालागि लिप्ट वा र्‍याम्पको व्यवस्था हुनुपर्नेछ।

(ज) प्रतिक्षालयमा आवश्यकतानुसार बस्ने कुर्सीको व्यवस्था हुनुपर्ने र सूचनापाटी, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका लगायतका माध्यमबाट सूचना प्रदान गर्ने व्यवस्था हुनुपर्नेछ।

(झ) अस्पताल भवनको कुल क्षेत्रफलप्रति शैय्या ५५ वर्ग मीटरका दरले हुनुपर्नेछ। उक्त क्षेत्रभित्र सोधपुछ, दर्ता कक्ष, प्रतिक्षालय, प्रवेशद्वार सहितको हलको क्षेत्र समावेश हुनेछ।

(ञ) भान्साघर, लुगाधुने कोठा, जेनरेटर कक्ष, कर्मचारी आवास तथा भण्डारकक्ष, मर्मत सम्भार कक्ष आदिका लागि थप व्यवस्था हुनुपर्नेछ।

(ट) आफ्नो जग्गा नभएका २४ शैय्या सम्मका अस्पतालले भवन भाडामा लिई सेवा सञ्चालन गर्दा सो भवन राष्ट्रिय भवन संहिता अनुसार निर्माण भएको प्रमाणित हुनुपर्नेछ। साथै भाडामा लिइएको भवन यस नियमावलीले तोकेको मापदण्ड र प्रचलित कानून बमोजिम भवन निर्माण मापदण्ड अनुरुप भएको तथा सम्बन्धित स्थानीय तहबाट भवन निर्माण सम्पन्न प्रतिवेदन प्राप्त हुनु पर्छ ।

(ठ) पच्चिस शैय्या भन्दा माथि क्षमता विस्तार गर्दा वा पचास शैय्या भन्दा माथिको अस्पताल सञ्चालन गर्नु पर्ने अवस्थामा भवन निर्माण स्वीकृति लिदा नै सो भवको प्रयोजन अस्पताल सेवा सञ्चालनका लागि भनी स्पष्ट खुलेको हुनुपर्नेछ।

(ड) शिक्षण अस्पतालको हकमा कुल निर्माण क्षेत्रफल नेपाल मेडिकल परिषदले तोके बमोजिम र नतोकेको भएमा न्यूनतम प्रति शैय्या नब्बे वर्ग मिटर हुनुपर्नेछ।

(ढ) बहिरंग विभागको प्रत्येक कोठाको क्षेत्रफल कम्तीमा चौध वर्गमीटर हुनुपर्नेछ। शौचालय, प्रतिक्षालय, बिशेषज्ञको सहयोगी रहने कक्षका लागि पर्याप्त स्थान हुनुपर्नेछ।

(ण) बिरामीको चापको अनुपातमा पर्याप्त र सुविधाजनक हुने गरी फर्निचर सहितको प्रतिक्षालयको व्यवस्था हुनुपर्नेछ।

(त) अस्पतालभित्र प्रवेश गर्ने र बाहिर निस्कने अलग अलग द्वार हुनुपर्नेछ।

(थ) आपतकालीन सेवाका लागि प्रयोग हुने सवारी साधनहरू अस्पतालको आपतकालीन कक्ष र अन्य अत्यावश्क ठाउँमा सहज रुपमा जानसक्ने गरी अलग्गै बाटो र गेटको व्यवस्था गरेको हुनुपर्नेछ।

(द) सेवाग्राही र अस्पताल कर्मचारीहरूले प्रयोग गर्ने सवारी साधन र एम्बुलेन्स, दमकल जस्ता सवारी साधनका लागि पार्किङ्गको व्यवस्था हुनुपर्नेछ। न्यूनतम पार्किङ कूल जग्गाको पच्चीस प्रतिशत वा प्रति तीन शैय्याका लागि एउटा कार पार्किङ गर्न मिल्ने स्थल मध्ये जुनबढी हुन्छ सोही अनुसार हुनुपर्नेछ।

(ध) अस्पताल भवन जेष्ठ नागरिक, बालबालिका तथा अपाङ्गमैत्री हुनुपर्नेछ।

(न) अस्पतालमा व्हिलचियर, ट्रलि, स्टेचरको पर्याप्त व्यवस्था हुनुपर्ने र यस्ता सामग्री राख्ने ठाउँ र चलाउन सकिने पर्याप्त ठाँउ र चलाउने मानिसको समेत व्यवस्था हुनुपर्नेछ।

(१६) वातावरण व्यवस्थापनका लागि देहाय बमोजिमको मापदण्ड पुरा गरेको हुनुपर्नेछः-

(क) पच्चीस देखि पचास शैय्या सम्म प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणर सो भन्दा माथिको अस्पतालले सेवा सञ्चालन गर्नुपूर्व संघीय वा प्रादेशिक वातावरण संरक्षण सम्बन्धी कानून बमोजिम वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेको हुनुपर्नेछ।

(ख) प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा प्रस्ताव भएबमोजिम कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाएको हुनुपर्नेछ।

(१७) फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि देहाय बमोजिमको पूर्वाधार मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्नेछः-

(क) अस्पतालबाट निष्काशित फोहरमैलाको व्यवस्थापन फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम हुनुपर्ने।

(ख) अस्पतालबाट निस्कासन हुने सामान्य तथा चिकित्साजन्य फोहरमैला प्रकृति अनुसार स्रोतमै अलग अलग छुटयाउने, संकलन, ढुवानी तथा उचित विसर्जन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने।

(ग) अस्पतालबाट सृजित संक्रमणजन्य फोहरलाई निःसंक्रमण गरेर अन्तिम व्यवस्थापन गर्नुपर्ने।

(घ) अस्पतालमा मर्करी तथा स्वास्थ्यको लागि हानिकार भनी प्रमाणित रसायनबाट बनेका उपकरणहरुको प्रयोग नगरी डिजिटल प्रबिधियुक्त उपकरणहरु प्रयोग गर्नुपर्ने।

(१८) अस्पताल सम्बन्धी अन्य मापदण्डः माथि उल्लेखित मापदण्डका अतिरिक्त देहायका शैय्या क्षमताका अस्पतालहरुले देहाय बमोजिमको अन्य मापदण्ड समेत पुरा गर्नुपर्नेछ।

क. पचास शैय्या भन्दा बढी एक सय क्षमता सम्मको अस्पतालको लागि

**(१) भवन मापदण्डः**

(क) भौगोलिक विषमताको आधारमा भवनको हरेक तलाको उचाई मानव स्वास्थ्यलाई अनुकुल हुने गरी बनाएको हुनुपर्नेछ। सामान्यतः कोठाको उचाई कम्तीमा तराईका लागि ३.६ मिटर र अन्य क्षेत्रका लागि ३ मिटर हुनुपर्नेछ।

(ख) अस्पतालको गुरुयोजना तयार गरेको हुनुपर्नेछ।

(ग) अस्पतालको भवनमा एक तला भन्दा वढी तला भएको भवन वा अस्पतालले सेवा प्रदान गर्नुपर्दा र्‍याम्प/लिफ्ट को अनिवार्य व्यवस्था भएको हुनुपर्नेछ।

(घ) अस्पतालमा प्रत्येक विशेषज्ञ सेवाको लागि छुट्टाछुट्टै विभाग हुनुपर्नेछ।

(ङ) प्रशासनिक कार्यालयमा बैठक कोठा र पुस्तकालयको व्यवस्था भएको हुनुपर्नेछ।

(च) बहिरंग विभाग, अन्तरंग विभाग, प्रयोगशाला, अपरेसन थिएटर र प्रशासनिक कार्यालय जस्ता सेवाग्राही र बिरामीले हिँडडुल गर्नुपर्ने क्षेत्रहरूमा सहज आवागमन गर्न सकिने गरी व्यवस्था हुनुपर्नेछ।

(छ) अस्पतालमा आउने बिरामी, कुरुवा र भिजिटर्सका लागि आवश्यक पर्ने सवारी साधनहरु पार्किङ्गको लागि अस्पतालले आवश्यक व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।

(ज) आकस्मिक अवस्थामा बर्हिगमन द्वारको आवश्यक व्यवस्था भएको हुनुपर्नेछ।

(झ) आगलागि भएको बेलामा बारुणयन्त्रको लागि अस्पताल हाताभित्र पर्याप्त स्थानमा पानी भर्ने व्यवस्था मिलाएको हुनुपर्नेछ।

(ञ) प्राकृतिक प्रकोपको अवस्थामा बारुणयन्त्रको आवागमनमा सहज हुने गरी भवन निर्माण भएको हुनुपर्ने, पर्याप्त संख्यामा अग्नि समनयन्त्र जडान भएको हुनुपर्ने र आकस्मिक संकेतका लागि साईरनको व्यवस्था हुनुपर्नेछ।

**(२) अन्तरंग सेवाः**

(क) अस्पतालको शैय्या क्षमताको आधारमा डाक्टरको डयुटी रुम, पेन्ट्री (दराज, ऱ्याक, खाना राख्ने ठाउँ आदि), आइसोलेसन रुम, ट्रिटमेण्ट रुम, शौचालय आदिको व्यवस्था हुनुपर्नेछ।

(ख) शैंया बीचको दूरीको सम्बन्धमा साधारण शैय्या बीचको दुरी कम्तीमा ४ फिट हुनुपर्ने र भित्ताबाट कम्तीमा एक फिटको दूरीमा शैंया राख्नु पर्नेछ।

(ग) अस्पतलामा बच्चा, सुत्केरी, अब्जर्भेसन तथा सरुवा रोगका लागि छुट्टाछुट्टै वार्डको व्यवस्था हुनुपर्नेछ।

(घ) जनरल शैंयाको हकमा ४ देखि ६ शैय्याको अनुपातमा १ स्टाफ नर्स ब्यवस्था हुनुपर्नेछ।

(ङ) प्रसूति कक्षको छुट्टै व्यवस्था हुनुपर्नेछ साथै लेबर रुमका लागि छुट्टै शौचालयको व्यवस्था हुनुपर्नेछ।

**(३) सघन उपचार सेवा (आई.सि.यू., सि.सि.यू., एन.आई.सि.यू.)ः**

(क) चौबिसै घण्टा सघन उपचार सेवा दिने व्यवस्था मिलाएको हुनुपर्नेछ।

(ख) प्रत्येक अस्पतालमा आकस्मिक कक्षसँगै अब्जरभेसन वार्ड/माइनर ओटी/मेजर ओ.टी. बाट सहज पहुँच पुग्ने आई.सि.यू. कक्ष हुनुपर्नेछ।

(ग) कुल उपलब्ध वेडको पाँच प्रतिशतको अनुपातमा आई.सि.यू. वेड व्यवस्था गरेको हुनुपर्नेछ।

(घ) आइ.सि.यू. कक्षमा प्रति दूई शैय्याका लागि एक भेन्टिलेटर हुनुपर्नेछ।

(ङ) तुरुन्तै असर गरिहाल्ने रोगीहरूको लागि आवश्यक मात्रामा अलग्गै शैय्या छुट्याउनु पर्नेछ।

(च) आई.सि.यु., सि.सि.यू., एन.आई.सि.यू. जस्ता सघन सेवा प्रदान गर्ने युनिटमा प्रति शैय्याको अनुपातमा एक जना स्टाफ नर्सको व्यवस्था हुनुपर्नेछ। सम्बन्धित क्षेत्रमा तालिम प्राप्त चिकित्सक चौबिसै घण्टा उपस्थित रहनु पर्ने र सम्बन्धित कन्सल्ट्याण्ट अनकलमा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।

(छ) मेजर ओ.टी. भएको जुनसुकै अस्पतालमा आइ.सि.यू. अनिवार्य हुनुपर्नेछ।

(ज) आइ.सि.यू. युनिटमा भर्ना भएका बिरामीहरुको अवस्थाबारे चौबीस घण्टामा कम्तीमा दुई पटक बिरामीका आफन्तलाई बिरामीको अवस्थाको जानकारी दिने ब्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।

(झ) कडा सरुवारोग भएका सघन उपचार आवश्यक पर्ने बिरामीलाई छुट्टै आइसोलेशनमा उपचारको प्रवन्ध मिलाएको हुनुपर्नेछ।

(ञ) सघन उपचार कक्ष वातानुकुलित हुनुपर्नेछ।

**(४) अपरेशन थिएटर (ओ.टी.):**

(क) प्रति पचास शैय्या क्षमता बराबर एउटा मेजर ओ.टी. र एउटा माइनर ओ.टी.को व्यवस्था भएको हुनुपर्नेछ। यसको अतिरिक्त प्रत्येक पच्चीस शैय्या सर्जिकल बेडका लागि एक मेजर ओ.टी. र

आवश्यक माइनर ओ.टी. को थप व्यवस्था हुनुपर्नेछ।

(ख) प्रति पचास शैय्या क्षमता बराबर एउटा एनेस्थेटिक तयारी कक्षको व्यवस्था हुनुपर्नेछ।

(ग) ओ. टि., श्वासप्रश्वास तथा हेमोडाइलाईसिस युनिटसँग पहुँच हुनुपर्नेछ।

(घ) अक्सिजन आपूर्तिको नियमित व्यवस्था हुनुपर्नेछ।

(ङ) ओ. टी. वातानुकूलित गराईएको हुनुपर्नेछ।

(च) अत्यावश्यकीय सेवा तथा सामग्रीहरू उपलब्ध हुनुपर्नेछ।

(छ) ओ. टी. को बाहिर बिरामी कुरुवा बस्ने व्यवस्था हुनुपर्नेछ।

(ज) प्रत्येक मेजर ओ.टी. को लागि पोष्ट अपरेटिभ वार्डको व्यवस्था हुनुपर्नेछ।

**(५) उपचार सम्बद्ध स्वास्थ्य सेवा (एलाईड हेल्थ):**

(क) एक्सरे मेशिन जडान गर्नको लागि कम्तीमा २२५ वर्गफिटको कोठा हुनुपर्नेछ।

(ख) एक्सरे गर्ने कोठाको वालको मोटाइः- (१) प्लास्टर अफ पेरिस सहित ९ इन्चवा

(२) ०.२ एम.एम लिड ब्यारियर सहित ६ इन्च

(३) २.० एम.एम लिड थिकनेसमध्ये कुनै एक हुनुपर्नेछ । साथै झ्याल, ढोका तथा

भित्ताबाट विकिरणको चुहावट नहुने गरी आवश्यक व्यवस्था भएको हुनुपर्नेछ।

(ग) एक्स-रेएक्पोजगर्ने व्यक्तिको लागि एक्सरे कोठाभित्र ०.५ एम.एमको लिडएप्रोन वा सोही बमोजिमको रेडिएसनप्रोटेक्टिभ बस्तुहरुकोप्रयोग गर्ने ब्यवस्था हुनुपर्नेछ।

(घ) पचास शैय्या भन्दा माथिका अस्पतालमा कम्तीमा एउटा मोवाइल एक्सरे मेसिन हुनुपर्नेछ।

(ङ) एन्टनिटल , न्यूरोलोजी र नेफ्रोलोजी जस्ता विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्ने अस्पतालमा डिपस्टिक जस्ता परीक्षण गर्ने व्यवस्था हुनुपर्नेछ।

(च) माइक्रोबायोलोजी सम्बन्धी प्रयोगशाला वातानुकुलित हुनुपर्नेछ ।

**(६) सूचना संप्रेषणः**

(क) आधुनिक सूचना प्रविधि सहितको अस्पताल सूचना केन्द्रको स्थापना भएको हुनुपर्नेछ।

(ख) अस्पताल प्रवेश गर्नासाथ अस्पतालको लेआउट देखिने नक्साद्वारा कुन कुन सेवा प्राप्त गर्न सकिन्छ भनी देखिने सेवाग्राही बडापत्रको व्यवस्था हुनुपर्नेछ।

(ग) सूचनापाटी, टि.भि.स्क्रिन, वेभसाइट, ब्रोसियरजस्ता माध्यमबाट स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी र अस्पतालबाट प्रदान गरिने सेवा र यसको लागि आवश्यक शुल्क सम्बन्धी जानकारी समेत दिने

व्यवस्थाका लागि नागरिक वडापत्र सहजरुपमा देखिने ठाउँमा राख्नु पर्नेछ।

(घ) प्रयोगशालाबाट सेवाग्राहीहरूले पाउनुपर्ने सूचना व्यवस्थित रुपले प्रदान गर्न यस्तो सूचना प्रणालीलाई अस्पतालको सूचना प्रणालीसँग आवद्ध गरेको हुनुपर्नेछ।

(ङ) वार्ड तथा अन्य सम्वेदनशील कोठाहरू जस्तै प्रसूति कक्ष, आइ.सी.यू, सी.सी.यू, अपरेशन थिएटर, आपतकालीन कक्षमा शीघ्र सूचना दिने पद्धति स्थापना भएको हुनुपर्नेछ।

ख. एक सय शैय्या भन्दा बढी क्षमताको अस्पतालको लागिः

(१) **अन्तरंग विभागः** अन्तरंग विभागका लागि देहायको मापदण्ड पुगेको हुनुपर्नेछः

(क) महिला र पुरुषको लागि अलगअलग वार्डको व्यवस्था हुनुपर्ने।

(ख) अस्पतालमा वार्डको सुविधा हुनेगरी ड्रेसिङ रुम, टि.टि. रुम, काउन्सिलिङ रुम आदिको व्यवस्था भएको हुनुपर्ने।

(ग) अपांगहरूको व्यक्तिगत सरसफाई र लुगा फेर्ने प्रयोजनका लागि आवश्यक व्यवस्था हुनुपर्ने र अस्पताल भवन बालबालिका तथा अपाङ्गमैत्री हुनुपर्ने।

(घ) एक जनरल वार्डमा अधिकतम पच्चीस शैय्या भन्दा बढी राख्न नपाईने।

(ङ) प्रत्येक कमन रुममा छ शैय्या भन्दा बढी राख्न नपाईने।

(च) प्रत्येक वार्डमा सिंगल, डबल र क्याबिन सहितको शैय्या भएका कोठाहरूकोसमेत ब्यवस्था हुनुपर्ने।

(छ) ठूला र जटिल प्रकारका शल्यक्रिया सेवा प्रदान गर्नेअस्पतालमा कार्डियाक मनिटर, भेन्टिलेटर समेतका पोष्ट अपरेटिभ रिकभरी शैय्या अनिवार्य रुपमा उपलब्ध हुनुपर्ने।

(ज) प्रत्येक वार्डको लागि अलगअलग नर्सिङ स्टेशन हुनुपर्ने।

(झ) अस्पतालमा आवश्यकता अनुसार चेन्जिङ रुम, शौचालय, बाथरुम, नर्सिङस्टेसन, स्टोरतथा ड्युटी रुमको व्यवस्था गरिएको हुनुपर्ने।

(ञ) प्रसूति कक्षमा कार्डियोटोकोग्राफी मेशिन जडान भएको हुनुपर्ने।यस्तो प्रविधि अस्पतालको सूचना प्रविधिमा जोडिएको हुनुपर्ने।

**(२) उपचार सम्बद्ध स्वास्थ्य सेवा (एलाइड हेल्थ):-** एलाइड हेल्थ सेवाको लागि देहायको मापदण्ड पुगेको हुनुपर्नेछः

(क) बायोकेमेष्ट्री, माइक्रोबायोलोजी, हेमाटोलोजी, प्याथोलोजी सेवाहरु सञ्चालन हुनुपर्ने।

(ख) कम्तीमा एक जना फिजियोथेरापिष्ट सहितको फिजियोथेरापी युनिट हुनुपर्ने। त्यसमा फिजियोथेरापी तथा स्पिच थेरापीको ब्यवस्था हुनुपर्ने।

(ग) प्रयोगशाला परीक्षणको लागि कम्प्युटर प्रविधि प्रयोग गरी न्यूमेट्रिक ट्युब प्रणालीबाट नमुनाको संकेत र प्रतिवेदन दिने व्यवस्था मिलाएको हुनुपर्ने।

(घ) थेराप्युटिक औषधि अनुगमनको व्यवस्था हुनुपर्ने।

(ङ) नमुना संकलन, रिपोर्ट वितरण र सोधपुछको लागि अलग-अलग कोठाहरू हुनुपर्ने।

(च) रेडियोलोजिमा कार्यरत कर्मचारीहरुको लागि रेडियसनडोजमनिटर गर्ने थर्मोलुमिनेसेन्ट, डोजिमिटर, टि.एल.डी ब्याजेज उपलब्ध गराउनुपर्ने र समय समयमा रेडियसनसर्भे मनिटरिङ् गर्नुपर्ने, आँखा, जनेन्द्रिय, थाइराइड ग्रन्थी सुरक्षाको लागिलिड ग्लास/ग्लोभसरलिडएप्रोन आदिको ब्यवस्था हुनुपर्ने।

(छ) एक्स-रेएक्पोजगर्ने कोठा, डार्करुम र प्रतिक्षा कक्ष छुट्टाछुट्टै हुनुपर्ने।

(ज) रेडियोलोजि विभागमा जनसाधारणले देख्ने ठाउँमा एक्स-रेविकिरणले स्वास्थ्यमा खराव असर पार्नसक्छ भन्नेवारे सूचना टाँस्ने। साथै सूचनामा गर्भवती महिला तथा बालवालिकालाई अनावश्यक विकिरणबाट बच्न अनुरोध गर्ने।

(झ) एम.आर.आइ/सि.टि.स्क्यानराख्ने कोठाको साइज कम्तीमा १६x२० फीटको हुनुपर्ने

(ञ) सि.टि. स्क्यानको लागि रेडियसन लिकेज हुन नदिनका लागि माथि एक्सरेको लागि उल्लेख भए बमोजिम व्यवस्था मिलाउनु पर्ने।

(ट) एम.आर.आई को कोठाको लागि बाह्य चुम्बकिय असर हुन नहुने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने।

(ठ)कन्ट्रोल रुम कम्तीमा १०"१२ फीटको हुनुपर्ने।

(ड) सि.टी.स्क्यान मेशिन गुणस्तरयुक्त र स्पाईरलहेलिकल हुनुपर्ने ।

(ढ) एम.आर.आई. ०.५ टेस्लावा ०.२ टेस्ला भएमा एम.आर. एन्जियोग्राफी सुविधा उपलब्ध गराएको हुनुपर्ने।

**(३) ब्लड बैंकः** एक सय शैय्या वा सो भन्दा वढीको अस्पतालमा रक्त सेवाको ब्यवस्था उपलब्ध हुनुपर्नेछ । साथै अर्थोपेडिक, कार्डियाक सर्जरी, गाइने तथा अव्स, न्यूरो सर्जरी, नेफ्रोलोजी सेवा दिने एक सय शैय्या भन्दा कम भएका अस्पतालले पनि आवश्यकता अनुसार रक्त सेवा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। नेपाल रेडक्रस सोसाईटीबाट रक्त संचारसेवा उपलब्ध भएको ठाउँमा यो व्यवस्था अनिवार्य हुने छैन।

**(४) शव गृहः**

(क) शवगृह अस्पताल कम्पाउण्डभित्र तर अलग्गैं स्थानमा हुनुपर्ने।

(ख) शवगृहमा राखिने शव नसड्ने गरी राख्नको लागि मर्चरी फ्रिजको व्यवस्थाहुनुपर्ने।

(ग) अस्पतालमा रहेको शव गृहले छर छिमेकमा असर नपुऱ्याउने व्यवस्थाकोग्यारेन्टी अस्पतालले गर्नुपर्ने।

**(५) फोहरमैला व्यवस्थापनः**

(क) फोहरको सेग्रिगेशन, कलेक्सन, ट्रान्सपोर्टेशन, ट्रिटमेन्ट र अन्तिम बिसर्जन छुट्टै योजना तयार गरी उपयुक्त प्रविधिबाट फोहोरव्यवस्थापन गर्नु पर्ने।

(ख) मर्करी उपकरणहरुको सट्टामा डिजीटालाइज्ड उपकरण प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने।

(ग) अस्पतालबाट निष्काशित फोहरमैलाको व्यवस्थापन फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रचलित कानूनले तोके बमोजिम हुनुपर्ने।

(घ) चिकित्साजन्य फोहर ब्यवस्था सम्बन्धी कार्यको नियमित अनुगमन गर्न जनस्वास्थ्य तथावातावरणविद् सहितको स्यानिटेसन यूनिट र कर्मचारी ब्यवस्था हुनुपर्ने।

**(६) सरसफाई सम्बन्धी ब्यवस्थाः**

(क) बिरामी तथा कुरुवाको लागि नुहाउने घरको ब्यवस्था हुनुपर्ने।

(ख) महिला तथा पुरुषको लागि छुट्टाछुट्टै शौचालय तथा नुहाउने घरको ब्यवस्था हुनुपर्ने।

(ग) अस्पताल परिसर तथा वार्डहरु सधै सफा राख्नु पर्ने।

**(७) सुरक्षा व्यवस्थाः**

(क) अस्पताल भवनमा चट्याङ्ग छल्ने प्रविधिको जडान, वैकल्पिक भऱ्याङको व्यवस्था, आगो निभाउने संयन्त्र, अटोफायर अलार्म र स्मोक डिटेक्टर जडान गरिएको हुनुपर्ने।

(ख) अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य जनशक्तिलाई विपद व्यवस्थापनका लागि (आगजनी, भुकम्प, हुलदंगा आदि) र आपत्कालीन उद्धार तथा उपचार गर्ने प्रभावकारी विधिको कार्य योजना बनाई सो सम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिम कम्तीमा वर्षको दूई पटक र नमूना अभ्यास कम्तीमा एक पटक गराउनु पर्ने।

(ग) बहिरंग विभाग र अन्तरंग विभागः बहिरंग विभाग र अन्तरंग विभागमा आवश्यक विशेषज्ञ सेवाको लागि देहाय बमोजिम मापदण्ड पुगेको हुनुपर्नेछः

(क) पच्चीस देखि पचास शैंयासम्म क्षमताको अस्पतालमा सामान्य चिकित्सा, जनरल सर्जरी, बालरोग र प्रसूति तथा स्त्रीरोग सेवा अनिवार्य रुपमा हुनुपर्ने।

(ख) एकाउन्न देखि एक सय शैय्या क्षमताका अस्पतालहरुमा खण्ड (क) मा उल्लिखित सेवाका अतिरिक्त अर्थोपेडिक्स, डेन्टल, नाक, कान तथा घांटी, यौन तथा छालारोग, साइकियाट्रिक जस्ता विशेषज्ञ सेवाहरु मध्येबाट थप दुई सेवा समेत उपलब्ध हुनुपर्ने।

(ग) एक सय शैय्या देखि दुई सय शैय्या क्षमताका अस्पतालहरुमा माथि (ख) मा समावेश भइ बांकी रहेका थप दुई सेवा हुनुपर्ने।

(घ) खण्ड (क) देखि (ग) मा जुन सुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एक मात्र बिशेषज्ञ सेवा दिने गरी खोलिने अस्पतालको हकमा यो व्यवस्था बाध्यात्मक हुने छैन।

अनुसूची-८

(नियम १५ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)

**शैया संख्याको आधारमा अस्पतालको पूर्वाधार सम्बन्धी विशेष मापदण्ड**

## १. शैय्याअनुसारका विशेष मापदण्ड तथापूर्वाधारहरु

| क्र.स. | विवरण | १६ देखि २४ शैय्या | २५ देखि ५० शैय्या सम्म | ५१ शैय्या देखि २५० शैय्या सम्म |
|---|---|---|---|---|
| १ | शल्यक्रिया कक्ष | १ माइनर | १ माइनर, १ मेजर | १ माइनर , १ मेजर+ |
| २ | आई.सि.यू | स्वेच्छिक | अनिवार्य कुल शैय्याको कम्तीमा ५ प्रतिशत | |
| ३ | प्रतिकारात्मक प्रर्बधनात्मकसेवा | खोप, मातृशिशु सेवा, स्वास्थ्य शिक्षा, श्रव्यदृस्य | खोप, मातृशिशु सेवा, स्वास्थ्य शिक्षा,श्रव्यदृस्य, परामर्श सेवा | खोप, मातृशिशु सेवा, स्वास्थ्य शिक्षा, श्रव्यदृस्य, पोषण, परामर्श सेवा |
| ४ | शव गृह | कोठा | कोठा | गृह |
| ५ | क्यान्टिन सेवा | √ | √ | √ |
| ६ | मर्मत सेवा | √ | √ | √ |

+ प्रति ५० शैय्याका लागि थप १ मेजर ओ.टी. हुनुपर्नेछ ।

## २. आकस्मिक सेवा सञ्चालन गर्न थप मापदण्डहरु

| सि.नं. | विवरण | १६ देखि २४ शैय्या सम्म | २५ देखि ५० शैय्या सम्म | ५१ शैय्या देखि २५० शैय्या सम्म |
|---|---|---|---|---|
| १ | सवारी साधन जान सक्ने र सडक संग बाटो जोडिएको | √ | √ | √ |
| २ | सवारी साधन आवत जावत गर्न सक्ने पर्याप्त ठाउँ | √ | √ | √ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ३ | प्रवेश मार्ग र बाहिर निस्कने मार्ग अलग अलग | स्वेच्छिक | स्वेच्छिक | अनिवार्य |
| ४ | प्रतिक्षालय | √ | √ | √ |
| ५ | सोधपुछ तथा सम्पर्क गर्ने कक्ष | √ | √ | √ |
| ६ | व्हीलचेयर, ट्रली, स्ट्रेचर राख्ने ठाउँ र काम गर्नेव्यक्ती | १/१ जना | २/२ जना | ३/३ जना र प्रत्येक थप ५० शैय्याको लागि थप १/१ जना |
| ७ | बिरामी छनौटगर्ने ठाउँ (ट्रायज) | √ | √ | √ |
| ८ | परीक्षण गर्ने कक्ष* | २* | ३* | आवश्यकता अनुसार |
| ९ | उपचार शैय्या* | ३* | ५* | आवश्यकता अनुसार |
| १० | अवलोकन कक्षशैय्या * | १(०) * | १(१) * | आवश्यकता अनुसार |
| ११ | आकस्मिक शल्यकृया कक्ष | १ | १ | आवश्यकता अनुसार |
| १२ | सञ्चारसुविधा (टेलीफोन, ईन्टरनेट, आदि) | √ | √ | √ |
| १३ | शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था | √ | √ | √ |
| १४ | शौचालय र शौचालय मापर्याप्त पानीको व्यवस्था | √ | √ | √ |
| १५ | सार्वजनिक टेलिफोन सेवा | √ | √ | √ |
| १६ | आकस्मिक सेवाको लागि छुट्टै प्रयोगशाला सेवा | √ | √ | √ |

## ३. आवश्यक उपकरणहरु

| क्र. स. | विवरण | १६ देखि २४ शैय्या | २५ देखि ५० शैय्या | ५१ देखि ७५ शैय्या | ७६ देखि १०० शैय्या | १०१ देखि २०० शैय्या | २०१ देखि २५० शैय्या |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | सक्सन मेसिनप्रत्येक उपचारकक्षमा | १ | २ | ३ | ५ | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार |
| २ | सुचर सेट -प्रत्येक उपचार कक्षमा | १ | २ | ३ | ५ | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार |
| ३ | रिससीटेटर व्याग (एम्वु व्याग) | १ | २ | ३ | ५ | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार |
| ४ | अक्सिजन -प्रत्येक उपचार कक्षमा | २ | ४ | ५ | ७ | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार |
| ५ | ई सी जी मेशिन | १ | १ | १ | २ | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार |
| ६ | कार्डियाक मोनिटर | १ | १ | १ | २ | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार |
| ७ | डीफीव्रीलेटर (अटोमेटेक एक्सटर्नल डीफीव्रीलेट) | १ | १ | १ | १ | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार |
| ८ | भेन्टीलेटर (पोर्टेबल) | १ | १ | १ | २ | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार |
| ९ | बी पी सेट- | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

| क्र.स. | विवरण | १६ देखि २४ शैय्या | २५ देखि ५० शैय्या | ५१ देखि ७५ शैय्या | ७६ देखि १०० शैय्या | १०१ देखि २०० शैय्या | २०१ देखि २५० शैय्या |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | प्रत्येकउपचार कक्षमा) | | | | | | |
| १० | आइ भीस्टेण्ड (उपचार शैय्याको अनुपातमा) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ११ | प्लाष्टर गर्ने सामग्री | १ | १ | १ | २ | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार |
| १२ | डाईग्नोटिक सेट | १ | २ | २ | ४ | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार |
| १३ | आकस्मिक कार्यको लागि औषधि सहितको कार्ट (ट्रली) | १ | १ | १ | २ | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार |
| १४ | ट्राकियोस्टोमी सेट | १ | १ | १ | १ | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार |
| १५ | इन्ट्रा ओसियस | १ | १ | १ | २ | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार |
| १६ | भेनस सेक्सन सेट | १ | १ | १ | २ | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार |
| १७ | सि.भि.पी. लाइनसेट | १ | १ | १ | २ | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार |
| १८ | नेवुलाईजर सेट | १ | १ | १ | १ | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार |

| क्र. स. | विवरण | १६ देखि २४ शैय्या | २५ देखि ५० शैय्या | ५१ देखि ७५ शैय्या | ७६ देखि १०० शैय्या | १०१ देखि २०० शैय्या | २०१ देखि २५० शैय्या |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १९ | वाटरसील ड्रेनेजसेट | १ | १ | २ | २ | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार |
| २० | सूचना पाटी | १ | १ | १ | १ | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार |
| २१ | ह्वील चियर, ट्रली, स्ट्रेचर | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| २२ | फुट स्टेप | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| २३ | वैकल्पिक विद्युतव्यवस्था | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| २४ | ग्यास्ट्रिक ट्युव/एन. जी ट्युब एस्पिरेसनसेट | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| २५ | डुस सेट(Enema) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| २६ | खुट्टाले चलाउने सक्सन मेसिन | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| २७ | कोठाको क्षेत्रफल(शैय्या) | R१,Y +G =२ OB१, Bo | R१,Y +G =३ OB२, Bo | R१,Y१ ,G=३ ,OB३, B१ | R२,Y२ ,G=३ OB४ | तल दिइएको अनुपातमा | तल दिइएको अनुपातमा |

* अस्पतालमा १० प्रतिशत आकस्मिक शैय्या अन्तरगत देहायको व्यवस्था हुनुपर्नेछः

Red(R) = अति सिकिस्त बिरामीको सेवा दिने शैय्या =१ %

Yellow (Y) = सिकिस्त बिरामीको सेवा दिने शैय्या =२ %

Green (G) = सामान्यबिरामीको सेवा दिने शैय्या = ३ %

Black(B) = मृत्यु भईसकेका बिरामीलाई राख्ने शैय्या =१ %

अब्जरभेसन कोठा/शैय्या = ३%

**४. बहिरंग सेवा सञ्चालनको लागि अस्पतालले देहायका पूर्वाधार तथा मापदण्डहरुको पालना गरेको हुनुपर्नेछ**

| क्र. स. | विवरण | १६ देखी २४ शैय्या | २५ देखी ५० शैय्या | ५१ देखी १०० शैय्या | १०१ देखी २५० शैय्या |
|---|---|---|---|---|---|
| क. | सामान्य क्षेत्र | | | | |
| १ | सोधपुछ काउन्टर/क्यास काउन्टर (वर्ग मि.) | १(२८) | १(२८) | १(७५) | * |
| २ | चिकित्सा रेकर्ड (वर्ग मि.) | १(१०.५) | १(१०.५) | १(१०.५) | * |
| ३ | जेनेरेटरक्लोसेट(वर्ग मि.) | १(३.५) | १(३.५) | १(३.५) | * |
| ४ | प्रतिक्षा कक्ष (वर्ग मि.) | १(२८.०) | १(२९.०) | १(५०.०) | * |
| ५ | सार्वजनिक टेलिफोन (स्वचालित) | १ | १ | १ | * |
| ६ | शौचालय (महिला तथा पुरुष) | २(१७.५) १+१ | २(२८) २+१ | ४(४२) २+२ | * |
| ख | चिकित्साक्लिनिक | | | | |
| १ | परामर्शकक्ष (प्रत्येक १४ वर्ग मि) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| २ | उप प्रतीक्षा कक्ष | १(१४.०) | १(२१.०) | १(३५.०) | * |

| क्र. स. | विवरण | १६ देखी २४ शैय्या | २५ देखी ५० शैय्या | ५१ देखी १०० शैय्या | १०१ देखी २५० शैय्या |
|---|---|---|---|---|---|
| ग | शल्य चिकित्सा क्लिनिक | | | | |
| १ | परामर्शकक्ष (प्रन्येक १४ वर्ग मि ) | ✓ | ✓ | ✓ | I * |
| २ | उपचार तथा ड्रेसिङ्ग कक्ष | ✓ | ✓ | ✓ | I ✓ |
| ३ | उप प्रतीक्षा कक्ष | १(१४.०) | १(२१.०) | १(३५.०) | * |
| घ | अब्स/गाइने क्लिनिक | | | | |
| १ | परामर्शकक्ष (प्रन्येक १४ वर्ग मि ) | ✓ | ✓ | ✓ | I * |
| २ | उपचारकक्ष | १(१७.५) | १(१७.५) | १(१७.५) | * |
| ३ | शौचालय तथा सरसफाइ कक्ष (उपचार कक्ष सँग जोडिएको | ✓ | ✓ | ✓ | I * |
| ४ | प्रतिक्षा कक्ष | १(१४) | १(१४) | १(१४) | * |
| ङ | बालरोग क्लिनिक | | | | |
| १ | परामर्शकक्ष (प्रत्येक१४ वर्ग मि ) | ✓ | ✓ | ✓ | I * |
| २ | उपचारकक्ष | १(१४) | १(१४) | १(१४) | * |
| ३ | खोप कक्ष | १(१४) | १(१४) | १(१४) | * |
| ४ | मनोरन्जन तथाखेल कक्ष | १(१४) | १(१४) | १(१४) | * |
| ५ | प्रतिक्षा कक्ष | १(१४) | १(१४) | १(१४) | * |
| च | **अर्थोपेडिक क्लिनिक** | | | | I |

| क्र. स. | विवरण | १६ देखी २४ शैय्या | २५ देखी ५० शैय्या | ५१ देखी १०० शैय्या | १०१ देखी २५० शैय्या |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | परामर्शकक्ष (प्रत्येक१४ वर्ग मि ) | ✓ | ✓ | ✓ | I * |
| २ | प्लास्टर तथा स्पिन्ट भण्डारण कक्ष | १(१४) | १(१४) | १(१४) | * |
| ३ | उपचारकक्ष | १(१४) | १(१४) | १(१४) | * |
| ४ | रिकोभरी तथा प्लास्टर कटिङ्ग कक्ष | १(१४) | १(१४) | १(१४) | * |
| ५ | प्रतिक्षा कक्ष | १(१४) | १(१४) | १(१४) | * |
| ६ | फिजियोथेरापी कक्ष | १(२८) | १(२८) | १(२८) | * |
| छ | ई.एन.टी. क्लिनिक | | | | |
| १ | परामर्शकक्ष (प्रत्येक ८१ वर्ग मि) | ✓ | ✓ | ✓ | I * |
| २ | उपचारकक्ष | ✓ | ✓ | ✓ | I * |
| ३ | ओडियोमेट्रीकक्ष | १(१४) | १(१४) | १(१४) | * |
| ४ | प्रतिक्षाकक्ष | ✓ | ✓ | ✓ | I |
| ज | दन्त चिकित्सालय | | | | |
| १ | एक्स-रेकक्ष | ✓ | ✓ | ✓ | I |
| २ | परामर्श कक्ष (प्रत्येक ८ वर्ग मि ) | ✓ | ✓ | ✓ | I * |
| ३ | कार्यशाला / प्रयोगशाला | ✓ | ✓ | ✓ | I * |
| ४ | रिकोभरी कक्ष | ✓ | ✓ | ✓ | I * |

| क्र.स. | विवरण | १६ देखी २४ शैय्या | २५ देखी ५० शैय्या | ५१ देखी १०० शैय्या | १०१ देखी २५० शैय्या |
|---|---|---|---|---|---|
| ञ | छालातथा एस. टि .डि. क्लिनिक | ✓ | ✓ | ✓ | |
| १ | परामर्श कक्ष (प्रत्येक ८ वर्ग मि) | ✓ | ✓ | ✓ | I * |
| २ | उपचारकक्ष | ✓ | ✓ | ✓ | I * |
| ३ | छाला प्रयोगशाला | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ४ | प्रतिक्षाकक्ष | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ५ | परामर्शकक्ष | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

* बिरामीको चाप र सेवाको प्रकृती अनुसार थप गर्न सकिने

**५. अन्तरंग सेवाको लागि देहायका पूर्वाधार तथा मापदण्डहरुको पालना गरेको हुनुपर्नेछः**

| क्र.स | विवरण | १६ देखी २४ शैय्या | २५ देखी ५० शैय्या | ५१ देखी १०० शैय्या | १०१ देखी २५०शैय्या |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | वार्डक्षेत्र (प्रति शैय्या ७ वर्ग मि.) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| २ | नर्सिङ स्टेसन | १(१७.५) | १(१७.५) | १(२१) | १(२१.०) |
| ३ | नर्स चेन्जिङ कक्ष | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ४ | उपचारकक्ष | १(१०.५) | १(१४) | १(२१) | १(२१) |
| ५ | क्लिन युटिलिटी कक्ष | १(१४) | १(१४) | १(१४) | १(१४) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ६ | वार्डको भान्सा/भान्साको सामान राख्ने ठाउ | १(१०.५) | १(१४) | १(२१) | १(२१) |
| ७ | स्लुइसकक्ष (फोहोर पखाल्ने ठाउँ) | १(१०.५) | १(१४) | १(२१) | १(२१) |
| ८ | वार्ड स्टोर | १(१०.५) | १(१४) | १(२१) | १(२१) |
| ९ | डाक्टरको कार्यकक्ष शौचालय सहित | १(१०.५) | १(१४) | १(२१) | १(२१) |
| १० | सेनेटरी सुविधा | | | | |
| क | वाटर क्लोसेट/शौचालय प्रत्येक १ देखी ८ शैय्या (पुरुष) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ख | युरिनल/ शौचालय प्रत्येक १ देखी ६ शैय्या (महिला) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ग | वाश बेसिन : प्रत्येक १२ शैय्याको लागी १ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| घ | सिन्क : प्रत्येक वार्डको लागी १ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ङ | किचन सिन्क तथा डिस वासर प्रत्येक वार्ड को लागी १ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| १ | प्रशासकिय बिभाग | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | निर्देशकको कक्ष | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | प्रशासकिय युनिट | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | वित्त युनिट | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | पुस्तकालय | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | बैठक हल | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | तालिम हल | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | अभिलेखन युनिट | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | सुरक्षायुनिट | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | शौचालय (महिला/पुरुष) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | हाउस कीपिङ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| १ | लौन्ड्री | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | प्रयोग भएका कपडा रिसिभ गर्ने स्थान | | | | |
| | क्लिन स्टोरकक्ष | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | शौचालय सहित स्टाफ कक्ष | | | | |
| | सरसफाइ क्षेत्र | | | | |
| | भान्सा | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | सेन्ट्रल स्टेटाइल सर्भिस डिपार्टमेन्ट (सि.एस.एस.डि) | | | | |
| | प्रयोग भएका रिसिभ गर्ने स्थान | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | क्लिनिङ कक्ष | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | स्टेरिलाइजेसनकक्ष | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | सफा भण्डारण कक्ष | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | साझा भन्डारण | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ड्राइङ तथाप्याकिङ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | एम्बुलेन्स | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

* बिरामीको चाप र सेवाको प्रकृती अनुसार थप गर्न सकिने

अनुसूची-९

(नियम १५ को उपनियम (५) सँग सम्बन्धित)

**बहिरङ्ग सेवा सञ्चालन गर्ने अस्पतालको पूर्वाधार तथा मापदण्ड**

बहिरङ्ग सेवा सञ्चालनको लागि अस्पतालले देहायका पूर्वाधार तथा मापदण्ड पुरा गर्नुपर्नेछः-

| क.स. | विवरण | १६ देखी २४ शैय्या | २५ देखी ५० शैय्या | ५१ देखी १०० शैय्या | १०१ देखी २५० शैय्या |
|---|---|---|---|---|---|
| क. | सामान्य क्षेत्र | | | | |
| १ | सोधपुछकाउन्टर/क्यास काउन्टर (वर्ग मि.) | १(२८) | १(२८) | १(७५) | * |
| २ | चिकित्सा रेकर्ड (वर्ग मि.) | १(१०.५) | १(१०.५) | १(१०.५) | * |
| ३ | जनिटरक्लोसेट (सरसफाई सामग्री राख्ने ठाउँ (वर्ग मि.) | १(३.५) | १(३.५) | १(३.५) | * |
| ४ | प्रतिक्षा कक्ष (वर्ग मि.) | १(२८.०) | १(२९.०) | १(५०.०) | * |
| ५ | सार्वजनिक टेलिफोन (स्वचालित) | १ | १ | १ | * |
| ६ | शौचालय (महिला तथा पुरुष) | २(१७.५) १+१ | २(२८) २+१ | ४(४२) २+२ | * |
| ख | चिकित्साक्लिनिक | | | | |
| १ | परामर्शकक्ष (प्रत्येक १४ वर्ग मि .) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| क्र.स. | विवरण | १६ देखी २४ शैय्या | २५ देखी ५० शैय्या | ५१ देखी १०० शैय्या | १०१ देखी २५० शैय्या |
|---|---|---|---|---|---|
| २ | उप प्रतीक्षा कक्ष | १(१४.०) | १(२१.०) | १(३५.०) | * |
| ग | शल्य चिकित्सा क्लिनिक | | | | |
| १ | परामर्शकक्ष (प्रत्येक १४ वर्ग मि.) | ✓ | ✓ | ✓ | * |
| २ | उपचारतथाड्रेसिङ्गकक्ष | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ३ | उप प्रतीक्षा कक्ष | १(१४.०) | १(२१.०) | १(३५.०) | * |
| घ | अब्स/गाइने क्लिनिक | | | | |
| १ | परामर्शकक्ष (प्रत्येक १४ वर्ग मि.) | ✓ | ✓ | ✓ | * |
| २ | उपचारकक्ष | १(१७.५) | १(१७.५) | १(१७.५) | * |
| ३ | शौचालय तथा सरसफाइ कक्ष (उपचार कक्ष सँग जोडिएको) | ✓ | ✓ | ✓ | * |
| ४ | प्रतिक्षा कक्ष | १(१४) | १(१४) | १(१४) | * |
| ङ | बालरोग क्लिनिक | | | | |
| १ | परामर्शकक्ष (प्रत्येक १४ वर्ग मि.) | ✓ | ✓ | ✓ | * |
| २ | उपचारकक्ष | १(१४) | १(१४) | १(१४) | * |
| ३ | खोप कक्ष | १(१४) | १(१४) | १(१४) | * |
| ४ | मनोरन्जन तथाखेल कक्ष | १(१४) | १(१४) | १(१४) | * |

| क्र.स. | विवरण | १६ देखी २४ शैय्या | २५ देखी ५० शैय्या | ५१ देखी १०० शैय्या | १०१ देखी २५० शैय्या |
|---|---|---|---|---|---|
| ५ | प्रतिक्षा कक्ष | १(१४) | १(१४) | १(१४) | * |
| च | **अर्थोपेडिक क्लिनिक** | | | | |
| १ | परामर्शकक्ष (प्रत्येक १४ वर्ग मि.) | ✓ | ✓ | ✓ | * |
| २ | प्लास्टरतथास्पिन्ट भण्डारणकक्ष | १(१४) | १(१४) | १(१४) | * |
| ३ | उपचारकक्ष | १(१४) | १(१४) | १(१४) | * |
| ४ | रिकोभरी तथा प्लास्टर कटिङ्गकक्ष | १(१४) | १(१४) | १(१४) | * |
| ५ | प्रतिक्षा कक्ष | १(१४) | १(१४) | १(१४) | * |
| ६ | फिजियोथेरापीकक्ष | १(२८) | १(२८) | १(२८) | * |
| छ | ई.एन.टी.क्लिनिक | | | | |
| १ | परामर्शकक्ष (प्रत्येक ८१वर्ग मि.) | ✓ | ✓ | ✓ | * |
| २ | उपचारकक्ष | ✓ | ✓ | ✓ | * |
| ३ | ओडियोमेट्रीकक्ष | १(१४) | १(१४) | १(१४) | * |
| ४ | प्रतिक्षाकक्ष | ✓ | ✓ | ✓ | * |
| ज | दन्त चिकित्सालय | | | | |
| १ | एक्स-रे कक्ष | ✓ | ✓ | ✓ | |
| २ | परामर्श कक्ष (प्रत्येक ८ वर्ग मि.) | ✓ | ✓ | ✓ | * |

| क्र.स. | विवरण | १६ देखी २४ शैय्या | २५ देखी ५० शैय्या | ५१ देखी १०० शैय्या | १०१ देखी २५० शैय्या |
|---|---|---|---|---|---|
| ३ | कार्यशाला / प्रयोगशाला | ✓ | ✓ | ✓ | * |
| ४ | रिकोभरी कक्ष | ✓ | ✓ | ✓ | * |
| ञ | छालातथा एस. टि .डि. क्लिनिक | ✓ | ✓ | ✓ | |
| १ | परामर्श कक्ष (प्रत्येक ८ वर्ग मि.) | ✓ | ✓ | ✓ | * |
| २ | उपचारकक्ष | ✓ | ✓ | ✓ | * |
| ३ | छाला प्रयोगशाला | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ४ | प्रतिक्षाकक्ष | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ५ | परामर्शकक्ष | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

* बिरामीको चाप र सेवाको प्रकृती अनुसार थप गर्न सकिने

अनुसूची-१०

(नियम १५ को उपनियम (६) सँग सम्बन्धित)

## विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्ने अस्पतालको थप पूर्वाधार तथा मापदण्ड

### (क) मुटुरोगः

मुटुरोग सम्बन्धी विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्ने अस्पतालमा देहाय बमोजिमको पूर्वाधारहरुको व्यवस्था हुनुपर्नेछः-

| विवरण | १६-२४ शैय्या | २५-५० शैय्या | ५०-१०० शैय्या |
|---|---|---|---|
| १. आकस्मिकसेवा<br>अब्जर्बेशन वार्ड क्याथ ल्याबसँग सिधा )<br>(पहुँच भएको | १० | १४ | २० |
| इक्युपमेन्टः<br>मनिटर<br>डीफिब्रिलेटरर्स<br>भन्टिलेटर<br>इन्ट्युबेशन सेट र इमरजेन्सी ड्रग<br>काउन्टर<br>आइ.पी.वि.ए . | | | |
| २. अन्तरङ्ग सेवा | | | |
| एस.आइ.सि.यु. | १० | १२ | १४ |
| सि.सि.यु. | १० | १२ | १४ |
| इन्टरमिडियट/ मनिटर्स शैय्या मेडिकल | ३० | ४० | ५० |
| इन्टरमिडियट/ मनिटर्स शैय्या सर्जिकल | ३० | ४० | ५० |
| अन्य शैय्या साधारण | - | - | - |
| अपरेटिङ्ग कक्ष (लुमिनार फ्लोर एयर | ३ | ५ | ४ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| फिल्टर) | | | |
| ३. कार्यगत विभागहरुः | | | |
| क. कार्डियोलोजी विभागः | | | |
| ननइन्भ्याजिभ- | √ | √ | √ |
| इन्भेयाजिभइन्टरभेन्शनल / कार्डियोलोजी | √ | √ | √ |
| इलेक्ट्रोफिजियोलोजी- | * | √ | √ |
| प्रिभेन्टिभ पुनर्थापना | * | √ | √ |
| ख. कार्डियाक सर्जरी विभागः | | | |
| एडल्ट | √ | √ | √ |
| पेडियाट्रिक | * | √ | √ |
| भास्कुलर | √ | √ | √ |
| ग. रेडियोलोजि इमेजिङ सेवा | | | |
| एक्स-रे | √ | √ | √ |
| यु.एस.जी. जनरल | √ | √ | √ |
| सि.टी. स्क्यान | √ | √ | √ |
| एम.आर.आई. कार्डियाक इमेजिङ्गको लागि | * | √ | √ |
| न्युक्लियर मेडिसिन | * | √ | √ |
| क्याथ ल्याब | √ | √ | √ |
| घ. एनेस्थेसिया | √ | √ | √ |
| ङ. प्याथोलोजीः | | | |
| हेमोटोलोजी | √ | √ | √ |
| बायोकेमेस्ट्री | √ | √ | √ |
| माइक्रोबायोलोजी | √ | √ | √ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| च. नर्सिङ सामान्य सेवाका अस्पताल सरह | √ | √ | √ |
| छ. अस्पताल प्रशासनः सामान्य सेवाका अस्पताल सरह | √ | √ | √ |
| ज. ब्लडबैङ्क | √ | √ | √ |
| झ. अस्पताल फार्मसी (बाह्य/आफ्नै) | √ | √ | √ |
| ञ. अन्य विभागहरु सामान्य सेवाका अस्पताल सरह | - | - | - |
| ४. थप/स्पेशियालिटीः विशेषज्ञको रुपमा | | | |
| पेडियाट्रिक | * | √ | √ |
| संक्रामक रोग | * | √ | √ |
| नेफ्रोलोजी | √ | √ | √ |
| न्यूरोलोजी | √ | √ | √ |
| जनरल मेडिसिन | √ | √ | √ |
| ५. मुख्य जनशक्ति | | | |
| कार्डियोलोजिस्ट (फुल टाइम तथा पार्ट टाइम) | | | |
| जनरल/एडल्ट पेडियाट्रिककार्डियोलोजिस्ट | ५ | ७ | १० |
| इन्टरभेन्शन स्पेशलिस्ट | | | |
| स्पेशलिस्ट-ननइन्भ्याजिब | * | √ | √ |
| पुनर्स्थापना/प्रिभेन्टिभ | | | |
| कार्डियाक/भास्कुलरसर्जन (एफ/पी) | F/P ५ | ५ | ७ |
| - एडल्ट | २ | ४ | ६ |
| - पेडियाट्रिक | ५ | ५ | ७ |
| - भास्कुलर | ४ | ५ | ६ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| इन्टेन्सिभिस्टः | १ | २ | ३ |
| - एनेस्थेसियोलोजिष्टः फुल टाइमपार्ट / टाइम | १ | २ | ३ |
| - रेडियोलोजिष्ट | १ | २ | ३ |
| - प्याथोलोजिष्ट : हिस्टोप्याथोलोजिष्ट, बायोकेमिस्ट | १ | २ | ३ |
| माइक्रोबायोलोजिष्ट हेमाटोलोजिष्ट | * | * | * |
| - फर्माकोलोजिष्ट/फार्मासिष्ट | फुल टाइम तथा २४ घण्टा अनुकुल | | |
| - डाइटिसीयनः (प्यारामेडिक्स/नर्सिङ्ग) | | | |
| - प्राविधिक सामान्य सेवाका अस्पताल सरह | | | |
| - उचित सीप मिश्रित प्रशासन/अक्जुलरी नर्स/मेडिकल अधिकृत र अन्य जनशक्ती २४ घण्टा (जनरल अस्पतालमा हुने अनुपनतमा बिशेषज्ञहरुको पहुँच) | | | |
| - पेडियाट्रिसियन | | | |
| - संक्रामक रोग विशेषज्ञ | | | |
| - नेफ्रोलोजिष्ट | | | |
| - न्यूरोलोजिष्ट | | | |
| - जनरलसर्जन | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| - जनरलमेडिसिन/फिजिसियन | | | |
| ६. मुख्य उपकरण (इ.सी.जी.) कम्तीमा १२ तह | १० | १५ | २० |
| एक्स-रे मेसिन ५०० एम.ए | १ | २ | ३ |
| पोर्टेबल एक्स-रे मेसिन | २ | ३ | ४ |
| यु.एस.जि मेसिनसाधारण अस्पतालमा हुनुपर्ने नियम अनुसार | २ | २ | ३ |
| इको कारडियो तथा कलर डप्लर र टीइइ (ट्रन्सेसोफेगल इकोकारडियोग्राम) | ३ | ५ | ८ |
| कार्डियक मनिटर विथ एस.पि.क्यु २, टेम्प, आइ.बि.पी., नि.बि.पी आदी | १५-२५ | २५-३५ | ३५-५५ |
| कन्टिनियस कारर्डिएक आउट्पुट मनिटर | १ | २ | ३ |
| मनिटर सहितको ग्याँस एनालाइजरः एनेस्थेसिया मेसिन | ४ | ६ | १० |
| ब्लड ग्याँस एनालाइजर | २ | ३ | ४ |
| होल्टर रेकोर्डर र एनलाईजर | २ | ४ | ६ |
| इन्ट्रा एओर्टिक बलून पम्प (पी.अबि) | २ | ५ | ८ |
| एम्बुलेट्री बि.पी. रेकर्डर | २ | ३ | ५ |
| टी एम टी | ३ | ५ | ८ |
| अटो प्रोसेसर फर एक्स-रे | २ | २ | २ |
| डिफेब्रीलेटर विथ इन्टर्नल प्याडल्स | १ | २ | ३ |
| डिफेब्रीलेटर विथएक्सटर्नल पेसिङ फङ्सन | २ | ३ | ४ |
| भेन्टिलेटर बाल तथा बयस्क | १० | २० | ३० |
| इन्फ्युजन पम्प | ५० | ७५ | १०० |
| सिरिन्ज पम्प | २ | ७५ | १०० |

| | | | |
|---|---|---|---|
| मुटु तथा फोक्सो मेसिन | २ | ४ | ६ |
| हिटर कूलर | १ | ४ | ६ |
| सि.टी स्क्यान मल्टी स्लाइस =>१६ | * | १ | २ |
| एम.आर.आई. (कार्डियाकफंसन भएको) | * | १ | १ |
| न्युक्लियरमेडिसिन सिस्टम | - | - | १ |
| ल्याबइक्युपमेन्ट (साधारण अस्पताल निर्देशिका अनुसार) (बि.टि.ए को एन.टि.एस.सी. निर्देशिका अनुसार) | - | - | - |
| ब्लड बैङ्क इक्युपमेन्ट (कम्पोनेन्ट सेपरेटर अनिवार्य) | १ | २ | ३ |
| रिहाब, फिजियोथेरापी उपकरण (सेट) | १ | २ | ३ |
| ब्रोनकोस्कोपि | १ | २ | ३ |
| स्पायिरोमेट्री | * | * | १ |
| एक्ट्रा कारपोरियल मेम्ब्रेन अक्सिजनेसन मेसिन (इ सि एम ओ) | * | * | * |
| इ सि सि पि डिभाइसएक्ट्रा कारपोरियल (कम्प्रेसन) काउन्टर - पल्सेसन डिभाइस | * | * | * |
| इन्डोस्कोपी थोरासिक/कार्डियक सर्जीरिको उपकरण | * | * | * |
| अन्य उपकरणहरु जनरल अस्पतालमा भए सरह हुनुपर्ने | | | |

यस अनुसूचीमा उल्लेख भए बमोजिमका विशेषज्ञ सेवा बाहेक अन्य सेवा जस्तैः श्वासप्रस्वास, अर्बुदरोग, प्लाष्टिक सर्जरीआदिका हकमा भौतिक पूर्वाधार र

आकस्मिक सेवा कम्तीमा जनरल अस्पताल सरह र अन्य विशेष स्वास्थ्य सेवा सुविधाका हकमा प्रचलित विश्व स्वाथ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार हुनुपर्नेछ ।

*= ऐच्छिक

(२) मुटु रोगको विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्ने अस्पतालमा नर्स र बिरामीको अनुपात एस.आइ.सि.यु. मा १:१ र सि.सि.यु.मा १:५ देखि २:१ हुनुपर्नेछ ।

**(ख) युरोलोजी/नेफ्रोलोजी अस्पताल**

युरोलोजि/नेफ्रोलोजी सेवा सम्बन्धी विशेषज्ञ अस्पतालमा देहाय बमोजिमको पूर्वाधार हुनुपर्नेछः-

| सि.नं. | विवरण | १६-२४ शैय्या | २५-५० शैय्या | ५१-१०० शैय्या |
|---|---|---|---|---|
| १ | भौतिक सुविधाहरू (जनरल अस्पतालको पूर्वाधार सरह) | | | |
| २ | आकस्मिक सेवा (जनरल अस्पतालको पूर्वाधार सरह) | | | |
| ३ | बहिरंग सेवा | | | |
| | युरोलोजी (नेफ्रोलोजी अनिवार्य) | १ | २ | २ |
| | नेफ्रोलोजी (युरोलोजी अनिवार्य) | १ | २ | २ |
| | गाइनोकोलोजी (अनिवार्य ) | १ | २ | २ |
| | जनरल सर्जिकल (स्वैच्छिक) | १ | २ | ३ |
| | पिडियाट्रिक (स्वैच्छिक) | १ | २ | ३ |
| | जनरल मेडिसिन (स्वैच्छिक) | १ | २ | ३ |
| | कार्डियोलोजी (अनिवार्य) | १ | २ | ३ |
| ४ | अन्तरंग सेवा | | | |
| | न्युरोलोजी (नेफ्रोलोजी अनिवार्य) | १ | २ | ३ |
| | नेफ्रोलोजी (युरोलोजी अनिवार्य) | १ | २ | ३ |
| | गाइनोकोलोजी (अनिवार्य) | १ | २ | ३ |
| | जनरल सर्जिकल (स्वैच्छिक) | १ | २ | ३ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | पिडियाट्रिक (स्वैच्छिक) | १ | २ | ३ |
| | जनरल मेडिसिन (स्वैच्छिक) | १ | २ | ३ |
| | कार्डियोलोजी (स्वैच्छिक) | १ | २ | ३ |
| | अपरेशन थिएटर मेजर | १ | २ | ३ |
| | अपरेशन थिएटर इन्टरमिडिएट | १ | २ | ३ |
| | अपरेशन थिएटर माइनर | १ | २ | ३ |
| | सर्जिकल वार्ड | १ | २ | ३ |
| | आइ.सी.यु. (भेन्टिलेटर, सिरिन्ज, पम्प, इन्फ्यूजन पम्प, फ्रिबिलेटर मोनिटर सहित) | २ | ४ | ४ |
| | सक्सन युनिट (इलेक्ट्रिक र नन-इलेक्ट्रिक) | २ | ४ | ४ |
| | अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर | २ | २ | २ |
| | दिवा सेवा केन्द्र | २ | २ | २ |
| ५ | निदानात्मक उपकरणहरू | | | |
| | एक्स-रे | जनरल अस्पताल सरह | | |
| | सी.टी.स्क्यान | स्वेच्छिक | १ | १ |
| | एम.आर.आई. | स्वेच्छिक | १ | १ |
| | हेमोडाइलासिस सम्पूर्ण सेट विस्तृत विवरण (नेफ्रो) | ५ | १० | २० |
| | अल्ट्रासाउण्ड मेशिन<br>• रेगुलर<br>• टि.आर.यू.एस<br>• यू.एस गाइडेड निडल<br>• बायोस्पी | १ | २ | ३ |
| | गामा क्यामराः डि टि पि ए, डि एम एस एः | स्वेच्छिक | १ | १ |
| | रेनलएन्जियोग्राफी | स्वेच्छिक | स्वेच्छिक | स्वेच्छिक |
| | इमोबिलाइजेशन | स्वेच्छिक | स्वेच्छिक | स्वेच्छिक |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | बोनस्क्यान | स्वेच्छिक | १ | १ |
| | रेडियो आइसोटप | स्वेच्छिक | १ | १ |
| | यूरोलोजी विशेष अस्पतालामा यू आर एस र पी सी एन एलसाइट्रोमेट्री र यूरोडाइनामीक स्टडिज | स्वेच्छिक | १ | १ |
| ६ | शल्यक्रियाका लागि उपकरण | | | |
| | भेन्टिलेटर | १ | ३ | ३ |
| | युरो सर्जरी सेट | १ | ३ | ३ |
| | कार्डियाक मनिटर | १ | २ | ३ |
| | ब्वाइल्स एपरेट्स | १ | २ | ३ |
| | एनेस्थेटिक मनिटर | १ | २ | ३ |
| | माइक्रो सर्जिकल इन्स्ट्रमेन्ट | १ | २ | ३ |
| | रिसस्सिटेशन सेट | २ | ३ | ४ |
| | अप्रेटिभ इन्सुमेन्ट माइक्रोस्कोप | स्वेच्छिक | २ | २ |
| | * यू आर एस र सेट, पी सी एन एलसेट** | स्वेच्छिक | २ | २ |
| | अपरेटिभ टेबुल (ब्याक-रेष्ट भएको) | २ | १ | १ |
| | इण्डोयूरोलोजीसेट | स्वेच्छिक | २ | २ |
| | अटोक्लेभ मेशिन | १ | २ | २ |
| | डायथर्मिक मेशिन अन्डर वाटर कटिङ् (यूरोलोजी) | १ | २ | २ |
| | लिथोट्रिप्सी (ई एस डब्लु एल)(यूरोलोजी) | स्वेच्छिक | २ | २ |
| | अक्सिजन कन्सनट्रेटर | १ | ४ | ६ |
| | हाइपोथर्मिया | १ | २ | ४ |
| ७ | अन्य सेवाहरुः सम्बन्धित सेवा अनुसारका आवश्यक उपकरणहरूको व्यवस्थाः | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | यूरोफ्लोमेट्री | स्वैच्छिक | सेवा अनुसार | सेवा अनुसार |
| | साइट्रोमेट्री | स्वैच्छिक | सेवा अनुसार | सेवा अनुसार |
| | यूरोडाइनामीक स्टडिज | स्वैच्छिक | १ | १ |
| | फिजियोथेरापी | अनिवार्य | अनिवार्य | अनिवार्य |
| | रिह्यािविलिटेशन | स्वैच्छिक | स्वैच्छिक | अनिवार्य |
| | ल्यावोरेटोरी | जनरल अस्पताल सरह | | |
| | हिस्टोप्याथोलोजी रेनल फङ्सन टेस्ट, पी एस ए | १ | २ | २ |
| ८ | **जनशक्ति** | | | |
| | युरोलोजी विशेषज्ञः अस्पतालमा युरोलोजिष्ट | २ | ४ | ५ |
| | नेफ्रोलोजी विशेषज्ञः अस्पतालमा नेफ्रोलोजिष्ट | २ | ४ | ६ |
| | रजिष्ट्रार | २ | ४ | ५ |
| | मेडिकल अफिसर | १० | १२ | १६ |
| | सम्बन्धित विशेषज्ञहरू पार्ट-टाइमको प्रावधान | २ | ४ | ६ |
| | प्रशासनिक कर्मचारी | जनरल अस्पतालकोअनुसार | | |
| | नर्सिङ स्टाफ | जनरल अस्पतालको अनुसार | | |
| | एनेस्थेसिस्ट | ४ | ६ | ८ |
| | कार्डियोलोजिष्ट | २ | २ | ३ |
| | हेमोडाईलाईसिस नर्स | २ | २ | २ |

**पी सी एन एल = पर क्युटयानिओस नेफ्रोलिथोटोमी

- यू आर एस = यूरेथ्रो रेनोस्कोपीसेट
- सम्बन्धित विशेषज्ञ आफ्नै वा पार्ट-टाइमको व्यवस्था मिलाउने

- यूरोसर्जरीको लागि आवश्यक उपकरणहरू तथा इण्डोयूरोलोजिकल सर्जरीको सुविधा पनि हुनुपर्छ ।
  (जस्तै टि.यू.आर.पी, टि.यू.आर.बि.टि, आइ.ओ.यू, साइटोस्कोपी इत्यादि
- रेनल ट्रान्सप्लान्टेशनः ऐनले व्यवस्था गरे बमोजिम हुने

**(ग) आँखा अस्पतालः**

आँखा सेवा सञ्चालन गर्ने अस्पतालले देहायको मापदण्ड र पूर्वाधार पुरा गर्नुपर्दछः-

| सि.नं | विवरण | १६-२४ शैय्या | २५-५० शैय्या | ५१-१०० शैय्या | १०१ शैय्या वा सो भन्दा बढी |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | **भौतिक संरचनाहरू** | जनरल अस्पतालको पूर्वाधार सरह | | | |
| २ | **उपकरणहरू** | | | | |
| | भिजन ड्रम | २ | ४ | ७ | ३० |
| | रिफ्रेक्शन सेट | २ | ४ | ७ | १८ |
| | डाइरेक्ट अफ्थलमोस्कोप/इनडाइरेक्ट अफ्थलमोस्कोप | २ | ४ | ७ | ३५ |
| | स्लिट ल्याम्प | ४ | ४ | ७ | १८ |
| | टोनोमिटर एप्लानेशन टोनोमिटर | ४ | ४ | ७ | १८ |
| | अपरेटिङ्ग माइक्रोस्कोप | २ | ४ | ६ | १५ |
| | अपरेटिङ्ग टेबुल | ४ | ५ | ७ | १५ |
| | केराटोमिटर | २ | ४ | ५ | ६ |
| | अल्ट्रासाउण्ड मेशिन (एस्क्यान/बिस्क्यान) | २ | ४ | ५ | ६ |
| | लेन्स मिटर | २ | ४ | ५ | १८ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | याग लेजर | २ | ४ | ५ | ५ |
| | अटोक्लेभ मेशिन | २ | ४ | ६ | ७ |
| | सर्जिकल इन्स्टुमेन्ट सेट | ८ | १० | १८ | ६० |
| | अप्टिकलकोहेरेन्स टोमोग्राफ | १ | २ | ३ | ४ |
| | प्रिज्म, जि डी एक्स, गोल्डम्यान पेरिम्याट्री, हम्फेरी भिजुअल फिल्ड, इन्डाइरेक्ट अप्थ्यलमोस्कोप, भिट्रेक्टोमी मेसिन, फन्डस क्यामेरा, साइन्यप्टोफोर, स्टेरोप्सिससेट, हर्टलसेट, अटो रिफ्र्याक्टर* | * | * | * | * |
| ३ | **जनशक्ति** | | | | |
| | आई सर्जन (फ्यक्रोसर्जन, भिट्रिवलरेटिनलसर्जन, अकुलोप्लास्टिकसर्जन) | ४ | ४ | ८ | १० |
| | एनेस्थेटिक | १ | १ | २ | ३ |
| | अफ्थल्मिक पारामेडिक | ८ | १० | १८ | २० |
| | नर्सिङ्ग स्टाफ (जनरल अस्पतालको स्टाफ अनुसार) | ८ | १० | १८ | ३० |

* आवश्यकता अनुसार

**(घ) मानसिक अस्पतालः**

मानसिक अस्पतालमा देहायको मापदण्ड र पूर्वाधार हुनुपर्दछः-

१. सोह्र शैय्या देखि एक सय शैय्यासम्मको अस्पताललाई मात्र अनुमति प्रदान गरिने छ।

२. एक सय शैय्याको क्षमता भन्दा माथिको अस्पताल वा विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्ने अस्पतालहरूमा छुट्टै मानसिक रोग विभाग हुनुपर्नेछ।

३. मानसिक अस्पतालमा Half way home तथा पुर्नस्थापन सेवा प्रदान गर्ने केन्द्रहरूको प्रावधान हुनुपर्नेछ ।

४. मानसिक अस्पतालमा योगाभ्यास, शिरोधारा लगायतका सेवा पनि समावेस गर्नुपर्ने छ ।

५. मानसिक अस्पतालको लागि देहायको मापदण्ड पुरा गरको हुनुपर्नेछः-

| सि.नं. | विवरण | १६-२४ शैय्या | २५-५० शैय्या | ५१-१०० शैय्या |
|---|---|---|---|---|
| १ | भौतिक सुविधाहरू | जनरल अस्पताल सरह विशेष प्रावधान हुनुपर्ने | | |
| २ | वहिरंग सेवा | प्रावधान हुनुपर्ने | प्रावधान हुनुपर्ने | प्रावधान हुनुपर्ने |
| | परीक्षण | प्रावधान हुनुपर्ने | प्रावधान हुनुपर्ने | प्रावधान हुनुपर्ने |
| | उपचार | प्रावधान हुनुपर्ने | प्रावधान हुनुपर्ने | प्रावधान हुनुपर्ने |
| | दिवा स्याहार केन्द्र | प्रावधान हुनुपर्ने | प्रावधान हुनुपर्ने | प्रावधान हुनुपर्ने |
| | बाल वार्ड | प्रावधान हुनुपर्ने | प्रावधान हुनुपर्ने | प्रावधान हुनुपर्ने |
| ३ | अन्तरंग सेवा | | | |
| | महिला वार्ड | प्रावधान हुनुपर्ने | प्रावधान हुनुपर्ने | प्रावधान हुनुपर्ने |
| | पुरुष वार्ड | प्रावधान हुनुपर्ने | प्रावधान हुनुपर्ने | प्रावधान हुनुपर्ने |
| | बाल वार्ड | प्रावधान हुनुपर्ने | प्रावधान हुनुपर्ने | प्रावधान हुनुपर्ने |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | एक्युइट वार्ड | प्रावधान हुनुपर्ने | प्रावधान हुनुपर्ने | प्रावधान हुनुपर्ने |
| ४ | साइक्राइटिक इमर्जेन्सी२४ सै घण्टा सार्थैसि.पि.आर. कोलागि प्रावधान | प्रावधान हुनुपर्ने | प्रावधान हुनुपर्ने | प्रावधान हुनुपर्ने |
| ५ | निदानात्मक सेवा | | | |
| | प्रयोगशाला र एक्सरे जनरल अस्पतालका पूर्वाधार सरह | प्रावधान हुनुपर्ने | प्रावधान हुनुपर्ने | प्रावधान हुनुपर्ने |
| | ई.ई.जी मेशिन | १ | १ | ३ |
| | सि.टी.स्क्यान | ऐच्छिक | ऐच्छिक | १ |
| | एम.आर.आई. | ऐच्छिक | ऐच्छिक | १ |
| | मोडिफाइड इ.सि.टी | ऐच्छिक | ऐच्छिक | १ |
| ६ | जनशक्ति | | | |
| | साइक्याट्रिक | २ | ३ | ५ |
| | फिजिसियन पार्टटाइम | २ | ३ | ४ |
| | क्लिनिकल साइकोलोजिष्ट (फूलटाइम) | २ | ३ | ४ |
| | साइक्याट्रिक सोसल वर्कर (प्रति | २ | ३ | ४ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | १०० शैय्या २ का दरले) | | | |
| | डयुटी मेडिकल अफिसर | ४ | ८ | १२ |
| | अक्युपेशनल थेरापिष्ट | १ | १ | १+१ # |
| | एनेस्थेटिक पार्टटाइम | १ | १ | २ |
| | न्युरोलोजिष्ट पार्टटाइम | १ | १ | २ |
| | मेट्रोन (मानसिकमा तालिम प्राप्त) | १ | १ | २ |
| | सुपरभाइजर र नर्सिङ सिस्टर | २ | ४ | ६ |
| | स्टाफ नर्स | १० | २० | ३० |
| | योग शिक्षक | १ | १ | १ |
| | प्रशासनिक कर्मचारी | जनरल अस्पतालको पूर्वाधार सरह | | |

#   : पार्ट टाइम

**(ङ) अर्थोपेडिक अस्पतालः**

अर्थोपेडिक अस्पतालमा देहायको मापदण्ड र पूर्वाधार हुनुपर्नेछः-

| सि.नं | विवरण | १६-२४ शैय्या | २५-५० शैय्या | ५१-१०० शैय्या |
|---|---|---|---|---|
| १ | भौतिक सुविधाहरू | जनरल अस्पतालको पूर्वाधार सरह | | |
| २ | आकस्मिक सेवा | जनरल अस्पतालको पूर्वाधार सरह | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ३ | डिजास्टर व्यवस्थापन +मासक्याजुअल्टी व्यवस्थापन+पोलीट्रमा व्यवस्थापन | ५ | १० | २० |
| ४ | बहिरंग सेवा | | | |
| | कार्डियाथोरासिक | २ | २ | ३ |
| | युरोलोजी | २ | २ | ३ |
| | गाइने अब्स | २ | २ | ३ |
| | आइसर्जन | १ | १ | ३ |
| | जनरल सर्जिकल | २ | २ | ३ |
| | अर्थोपेडिक सर्जरी | २ | २ | ३ |
| | डेन्टल र फेसियो म्याक्सिलरी | २ | २ | ३ |
| | इ.एन.टी. सर्जरी | २ | २ | ३ |
| | फिजियोथेरापीः सम्बन्धित सामग्री सहित | २ | २ | ३ |
| ५ | अन्तरंग सेवा | | | |
| | अपरेशन थिएटर मेजर | १ | २ | ५ |
| | अपरेशन थिएटर माइनर | १ | ३ | ५ |
| | फिजियोथेरापी | १ | २ | ४ |
| | आइ.सी.यु. मनिटर सहित | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार |
| | सक्सन युनिट, ब्लड ग्यास एनालाइजर, सोडियम एण्ड पोटासियम | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | एनालाइजर, अक्सिजन कन्सन्ट्रेशन | | | |
| ६ | निदानात्मक उपकरणहरु | | | |
| | एक्स-रे | जनरल अस्पताल सरह | | |
| | सी.टी. स्क्यान | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार |
| | एम.आर.आइ. | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार |
| | अल्ट्रासाउन्ड मेशिन | १ | २ | ३ |
| | सी. आर्म | १ | २ | ३ |
| ७ | शल्यक्रियाका लागि उपकरण | | | |
| | भेन्टिलेटर | ८ | १० | १२ |
| | कार्डियाक मनिटर | १६ | १८ | २२ |
| | ब्वाइल अपरेटस | २ | २ | २ |
| | एनेस्थेटिक मनिटर | २ | २ | २ |
| | माइक्रो सर्जिकल इन्स्ट्रमेन्ट | २ | २ | २ |
| | रिसस्सिटेशन सेट | २ | २ | २ |
| | अपरेटिभ इन्स्ट्रमेन्ट माइक्रोस्कोप | ३ | ३ | ४ |
| | स्पाइनल सेट | २ | २ | ३ |
| | एयरपावर ड्रिल सेट | २ | २ | ३ |
| | अपरेटिभ टेवल र वेड रेस्ट | २ | २ | ३ |
| | अटोक्लेभ मेशिन | २ | २ | ३ |
| | डायथर्मिक मेशिन | २ | २ | ३ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | सक्सन युनिट | २ | २ | ३ |
| | अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर | २ | २ | ३ |
| | आइसोटपस्क्यान | स्वैच्छिक | स्वैच्छिक | स्वैच्छिक |
| ८ | अन्य सेवाहरू | सम्बन्धित सेवा अनुसारका आवश्यक उपकरणहरूको व्यवस्था गर्ने | | |
| | अर्थोपेडिक | √ | √ | √ |
| | फेसियोम्यागजेलरी | √ | √ | √ |
| | फिजियोथेरापी | √ | √ | √ |
| | रिह्याविलिटेशन | √ | √ | √ |
| | ल्याबोरेटरीः जनरल अस्पताल सरह | √ | √ | √ |
| | हिस्टोप्याथोलोजी | √ | √ | √ |
| ९ | जनशक्ति | | | |
| | कन्सल्टयान्ट (१:२५ शैय्या) | | | |
| | रजिष्ट्रार | १ | १ | ३ |
| | मेडिकल अफिसर | १० | १२ | १४ |
| | सम्बन्धित विशेषज्ञहरू (पार्टटाइमकोप्रावधान) | २ | २ | ३ |
| | प्रशासनिक कर्मचारी | जनरल अस्पताल अनुसार | | |
| | नर्सिङ्ग स्टाफ | जनरल अस्पताल अनुसार | | |
| | एनेस्थेसिस्ट | २ | ३ | ४ |
| | अर्थोपेडिक | २ | २ | ३ |
| | फिजियोथेरापिष्ट | १ | २ | ३ |

## (च) न्यूरोलोजी अस्पतालः

न्यूरोलोजी अस्पतालले देहायका मापदण्डहरुको पालना गर्नु पर्नेछः—

| सि.नं. | विवरण | १६-२४ शैय्या | २५-५० शैय्या | ५१-१०० शैय्या |
|---|---|---|---|---|
| १ | भौतिक सुविधाहरू | अस्पतालको मापदण्डमा उल्लेख भए अनुसार | | |
| २ | आकस्मिक सेवा | अस्पतालको मापदण्डका अतिरिक्त निम्नानुसार हुनुपर्नेः कार्डियाक मनिटर, डिफिब्रिलेटर, अन्य आकस्मिक न्यूरो सेवाका लागि आवश्यक उपकरणहरु | | |
| ३ | बहिरंग सेवा (ओ.पि.डि.) | | | |
| | मेडिकल न्यूरोलोजी | √ | √ | √ |
| | सर्जिकल न्यूरोलोजी | √ | √ | √ |
| | अर्थोपेडिक सर्जरी | √ | √ | √ |
| | डेन्टल र फेसियो म्याक्सिलरी सर्जरी | √ | √ | √ |
| | इ.एन.टी.सर्जरी | √ | √ | √ |
| | फिजियोथेरापीः सम्बन्धित सामग्री सहित | √ | √ | √ |
| ४ | अन्तरंग सेवा | | | |
| | आइ.सी.यु. मनिटर सहित | १० | १० | १० |
| | सक्सन युनिट | १० | १० | १० |
| | ब्लड ग्यास एनालाइजर | १ | १ | १ |

| सि.नं. | विवरण | १६-२४ शैय्या | २५-५० शैय्या | ५१-१०० शैय्या |
|---|---|---|---|---|
| | सोडियम एण्ड पोटासियम एनालाइजर | १ | १ | १ |
| | अक्सिन कन्सन्ट्रेटर | १ | १ | १ |
| | सर्जिकल वार्ड | ५ | ५ | ५ |
| | मेडिकल वार्ड | ५ | ५ | ५ |
| | अपरेशन थिएटर मेजर | ३ | ३ | ३ |
| | अपरेशन थिएटर इन्टरमिडियट | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार |
| | अपरेशन थिएटर माइनर | ४ | ४ | ४ |
| ५ | निदानात्मक उपकरणहरू | | | |
| | एक्स-रे | जनरल अस्पतालको पूर्वाधार सरह | | |
| | सी.टी. स्क्यान | १ | १ | १ |
| | इ.सी.जी. मेशिन | १ | १ | १ |
| | इ.एम.जी. | १ | १ | १ |
| | एम.आर.आइ. | १ | १ | १ |
| | एन्जियोग्राम | १ | १ | १ |
| | अल्ट्रासाउन्ड मेशिन | १ | १ | १ |
| | सी. आर्म पोर्टेबलएक्स-रे | १ | १ | १ |
| ६ | शल्यक्रियाका लागि उपकरण | | | |
| | भेन्टिलेटर | ८ | ८ | ८ |
| | कार्डियक मनिटर | १५ | १५ | १५ |
| | ब्वाइल्स अपरेटस | ५ | ५ | ५ |

| सि.नं. | विवरण | १६-२४ शैय्या | २५-५० शैय्या | ५१-१०० शैय्या |
|---|---|---|---|---|
| | एनेस्थेटिक मनिटर | ३ | ३ | ३ |
| | इलेक्ट्रिक ड्रील सिस्टम (एयर पावर्ड) | २ | २ | २ |
| | माइक्रो सर्जिकल इन्स्ट्रमेन्ट | २ | २ | २ |
| | रिसस्सिटेशन सेट | २ | २ | २ |
| | अप्रेटिभ इन्स्टुमेन्ट माइक्रोस्कोप | ३ | ३ | ३ |
| | क्रयानियोटोमी सेट | २ | २ | २ |
| | स्पाइनल सेट | २ | २ | २ |
| | न्यूरोअपरेटिभ टेवल र हेडरेस्ट | २ | २ | २ |
| | अफ्थल्मिक इन्स्ट्रमेन्ट | २ | २ | २ |
| | अटोक्लेभ मेशिन | २ | २ | २ |
| | डायथर्मिक मेशिन | ३ | ३ | ३ |
| | सक्सन युनिट | ४ | ४ | ४ |
| ७ | अन्यसेवाहरुः सम्बन्धित सेवा अनुसारका आवश्यक उपकरणहरूको व्यवस्था गर्ने | | | |
| | अर्थोपेडिक | स्वैच्छिक | स्वैच्छिक | स्वैच्छिक |
| | फेसियो म्याग्जिलरी | स्वैच्छिक | स्वैच्छिक | स्वैच्छिक |
| | अफ्थलमोलोजी | स्वैच्छिक | स्वैच्छिक | स्वैच्छिक |
| | फिजियोथेरापी | स्वैच्छिक | स्वैच्छिक | स्वैच्छिक |
| | रिह्याविलिटेशन | स्वैच्छिक | स्वैच्छिक | स्वैच्छिक |
| | ल्याबोरेटरी | जनरल अस्पताल सरह | | |

| सि.नं. | विवरण | १६-२४ शैय्या | २५-५० शैय्या | ५१-१०० शैय्या |
|---|---|---|---|---|
| | हिस्टोप्याथोलोजी | जनरल अस्पताल सरह | | |
| ८ | जनशक्ति | | | |
| | न्यूरो कन्सल्टयान्ट (१:२५ शैय्या) | ४ | ४ | ४ |
| | रजिष्ट्रार | ३ | ३ | ३ |
| | मेडिकल अफिसर | ८-१० | ८-१० | ८-१० |
| | सम्बन्धित विशेषज्ञहरू पार्टटाइमको प्रावधान | २ | २ | २ |
| | प्रशासनिक कर्मचारी | जनरल अस्पतालको अनुसार | | |
| | नर्सिङ्ग स्टाफ | | | |
| | मेट्रोन | १ | १ | १ |
| | सिस्टर | १० | १० | १० |
| | स्टाफ नर्स | १०० | १०० | १०० |
| | एनेस्थेसिस्ट | १~ | १~ | १~ |
| | अर्थोपेडिक | १ | १ | १ |

~ = आवश्यकता अनुसार

**(छ) स्त्रीरोग तथा प्रशूति अस्पतालः**

स्त्रीरोग तथा प्रसुती अस्पतालमा देहायका मापदण्ड र पूर्वाधार हुनुपर्दछः-

| सि.नं. | विवरण | १६-२४ शैय्या | २५-५० शैय्या | ५१-१०० शैय्या |
|---|---|---|---|---|
| १ | भौतिक संरचना | जनरल अस्पताल सरह | | |
| २ | बहिरंग सेवा | | | |
| | अन्य पूर्वाधारहरू जनरल | √ | √ | √ |

| सि.नं. | विवरण | १६-२४ शैय्या | २५-५० शैय्या | ५१-१०० शैय्या |
|---|---|---|---|---|
| | अस्पताल सरह | | | |
| | पूर्व प्रसूति सेवा | √ | √ | √ |
| | सुत्केरी सेवा | √ | √ | √ |
| | खोप सेवा | √ | √ | √ |
| | परिवार नियोजन | √ | √ | √ |
| | गाइनोकोलोजी साधारण उपचार सेवा | √ | √ | √ |
| ३ | विशेष क्लिनिक सेवा (कुनै २ अनिवार्य) | | | |
| | क्यान्सर स्क्रिनिङ्ग | √ | √ | √ |
| | सबफर्टिलिटी र इनफर्टिलिटी | √ | √ | √ |
| ४ | किशोरकिशोरी स्वास्थ्य | √ | √ | √ |
| ५ | एस टी डी / एस टी आइ | √ | √ | √ |
| ६ | पोस्ट एबोर्सन केयरर कम्प्रिहेन्सिभ एबोर्सन केयर | √ | √ | √ |
| ७ | परिवार नियोजन | √ | √ | √ |
| ८ | इमेर्जेन्सी | √ | √ | √ |
| ९ | अन्तरंग सेवा | | | |
| | प्रसूति सेवा कक्ष (सम्पूर्ण शैय्याको ७%) | | | |
| | जनरल वार्ड (सम्पूर्ण शैय्याको) | ५ % | ६ % | ८ % |
| | शल्यक्रिया सेवा शैय्या (सम्पूर्ण शैय्याको) | ४ % | ५ % | ७ % |
| | एम.आइ.सी.यु. | | | |

| सि.नं. | विवरण | १६-२४ शैय्या | २५-५० शैय्या | ५१-१०० शैय्या |
|---|---|---|---|---|
| | (सम्पूर्ण शैय्याको ३ ) | | | |
| | एन.आइ.सी.यु. (सम्पूर्ण शैय्याको १० प्रतिशत) | | | |
| | सि.टि.जी रुम (कुल शैय्याको ४%) | | | |
| | नियोनेटल युनिट | √ | √ | √ |
| | फिजियोथेरापी युनिट | स्वैच्छिक | स्वैच्छिक | स्वैच्छिक |
| १० | निदानात्मक सेवा | | | |
| | प्रयोगशाला | १ | १ | १ |
| | एक्स रे | २ | २ | ३ |
| | अल्ट्रासाउण्ड अनिवार्य | २ | २ | ३ |
| | कल्पोस्कोपी | √ | √ | √ |
| | हिस्टेरोस्कोपी | √ | √ | √ |
| | ल्यापारोस्कोपी | √ | √ | √ |
| ११ | युनिट | | | |
| | मातृ सेवा(आइ सि यू) | √ | √ | √ |
| | नवजात शिशु स्याहार युनिट (आइ सि यू) | √ | √ | √ |
| | टिचिङ्ग र तालिम युनिट | √ | √ | √ |
| | रिसर्च युनिट | √ | √ | √ |
| | अंकोलोजी युनिट | √ | √ | √ |
| | रेडियोलोजी युनिट | √ | √ | √ |
| | एक्स-रे | √ | √ | √ |

| सि.नं. | विवरण | १६-२४ शैय्या | २५-५० शैय्या | ५१-१०० शैय्या |
|---|---|---|---|---|
| | यू.एस.जी. | √ | √ | √ |
| | सि.टी./एम.आर.आई. | स्वैच्छिक | स्वैच्छिक | स्वैच्छिक |
| | ल्याबोरेटोरीब्लड ट्रान्सफ्यूजन सहित | √ | √ | √ |
| | फिजियोथेरापी | स्वैच्छिक | स्वैच्छिक | स्वैच्छिक |
| | नर्सिङ्ग | √ | √ | √ |
| | हाउस किपिङ्ग | √ | √ | √ |
| | गाइनो अब्स युनिट | √ | √ | √ |
| | जनरल गाइनो अब्स | √ | √ | √ |
| | गाइनो अंकोलोजी | √ | √ | √ |
| | सव फर्टिलिटी र इनफर्टिलिटि | √ | √ | √ |
| | युरोगाइनोकोलोजी | √ | √ | √ |
| | सोसल सर्भिस | √ | √ | √ |
| १२ | जनशक्ति | | | |
| | गाइनो अब्स कन्सल्टयान्ट | | | |
| | सिनियर गाइनो अब्सः | २ | ३ | ५ |
| | रजिष्ट्रार लेभलः | ४ | ५ | १० |
| | मिड लेभल (मेडिकल अफिसर लेभल) | ५ | १० | २० |
| | एनेस्थेटिक्स | २ | ४ | ८ |

| सि.नं. | विवरण | १६-२४ शैय्या | २५-५० शैय्या | ५१-१०० शैय्या |
|---|---|---|---|---|
| | पिडियट्रिसियन (नियमित) | ३ | ३ | ४ |
| | प्याथोलोजिष्ट | ३ | ३ | ३ |
| | फिजिसियन (नियमित) | आवश्यकता अनुसार नियमित उपलब्ध हुनुपर्ने | | |
| | जनरल सर्जन (नियमित) | आवश्यकता अनुसार नियमित उपलब्ध हुनुपर्ने | | |
| | ल्याव टेक्निसियन | ६ | ८ | १२ |
| | ल्याव असिष्टेन्ट | ८ | १० | १२ |
| | मेट्रोन | २ | ३ | ३ |
| | नर्सिङ्ग प्रसाशक | | १ | २ |
| | नर्सिङ्ग अधिकृत | ३ | ५ | ८ |
| | स्टाफ नर्स | १५ | २० | ३० |
| १३ | उपकरण | | | |
| | शल्यक्रियाः जनरल अस्पताल सरह | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार |
| | अन्कोलोजी युनिट (कोलोपोस्कोप, हिस्टेरोस्कोप, क्रायोथेरापीयुनिट) | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार |
| | हिस्टेरोस्कोप | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार |
| | इन्डोस्कोपी | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार |
| | लेप्रोस्कोपी | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार |

| सि.नं. | विवरण | १६-२४ शैय्या | २५-५० शैय्या | ५१-१०० शैय्या |
|---|---|---|---|---|
| | लेबर रुममा चाहिने सम्पूर्ण सामानहरू | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार |

## (ज) बालरोग अस्पतालः

बालरोग अस्पतालमा देहायका मापदण्ड र पूर्वाधार हुनुपर्दछः-

| सि.नं | विवरण | १६-२४ शैय्या | २५-५० शैय्या | ५१-१०० शैय्या |
|---|---|---|---|---|
| १ | भौतिक सुविधाहरू | जनरल अस्पतालको पूर्वाधार सरह | | |
| २ | आकस्मिक सेवा | जनरल अस्पतालको पूर्वाधार सरह | | |
| ३ | बहिरंग सेवा | | | |
| | वाल रोग विशेषज्ञ | २ | २ | ३ |
| | वाल रोग सर्जन | २ | २ | ३ |
| | गाइने अब्स | २ | २ | ३ |
| | आइसर्जन | १ | १ | ३ |
| | जनरल सर्जिकल | २ | २ | ३ |
| | अर्थोपेडिक सर्जरी | २ | २ | ३ |
| | डेन्टल र फेसियो म्याक्सिलरी | २ | २ | ३ |
| | इ.एन.टी. सर्जरी | २ | २ | ३ |
| | फिजियोथेरापीः सम्बन्धित सामग्री सहित | २ | २ | ३ |
| ५ | अन्तरंग सेवाः | | | |
| | अपरेशन थिएटर मेजर | १ | २ | ५ |

| सि.नं | विवरण | १६-२४ शैय्या | २५-५० शैय्या | ५१-१०० शैय्या |
|---|---|---|---|---|
| | अपरेशन थिएटर माइनर | १ | ३ | ५ |
| | एन आइ.सी.यु. मनिटर सहित | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार |
| | सक्सन युनिट, ब्लड ग्यास एनालाइजर, सोडियम एण्ड पोटासियम एनालाइजर, अक्सिजन कन्सन्ट्रेशन | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार |
| ६ | निदानात्मक उपकरणहरुः | | | |
| | एक्स रे | जनरल अस्पताल सरह | | |
| | सी.टी. स्क्यान | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार |
| | एम.आर.आइ. | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार |
| | अल्ट्रासाउन्ड मेशिन | १ | २ | ३ |
| | सि.आर्म | १ | २ | ३ |
| ७ | शल्यक्रियाका लागि उपकरणहरु | | | |
| | भेन्टिलेटर | ८ | १० | १२ |
| | कार्डियाक मनिटर | १६ | १८ | २२ |
| | ब्वाइल अपरेटस | २ | २ | २ |
| | एनेस्थेटिक मनिटर | २ | २ | २ |
| | माइक्रो सर्जिकल इन्स्ट्रमेन्ट | २ | २ | २ |
| | रिसस्सिटेशन सेट | २ | २ | २ |

| सि.नं | विवरण | १६-२४ शैय्या | २५-५० शैय्या | ५१-१०० शैय्या |
|---|---|---|---|---|
| | अपरेटिभ इन्स्ट्रमेन्ट माइक्रोस्कोप | ३ | ३ | ४ |
| | स्पाइनल सेट | २ | २ | ३ |
| | एयरपावर ड्रिल सेट | २ | २ | ३ |
| | अपरेटिभ टेवल र वेड रेस्ट | २ | २ | ३ |
| | अटोक्लेभ मेशिन | २ | २ | ३ |
| | डायथर्मिक मेशिन | २ | २ | ३ |
| | सक्सन युनिट | २ | २ | ३ |
| | अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर | २ | २ | ३ |
| | आइसोटपस्क्यान | स्वैच्छिक | स्वैच्छिक | स्वैच्छिक |
| ८ | अन्य सेवाहरू: सम्बन्धित सेवा अनुसारका आवश्यक उपकरणहरूको व्यवस्था गर्ने | | | |
| | अर्थोपेडिक | स्वैच्छिक | स्वैच्छिक | स्वैच्छिक |
| | फेसियो म्याग्जिलरी | स्वैच्छिक | स्वैच्छिक | स्वैच्छिक |
| | अफ्थलमोलोजी | स्वैच्छिक | स्वैच्छिक | स्वैच्छिक |
| | फिजियोथेरापी | स्वैच्छिक | स्वैच्छिक | स्वैच्छिक |
| | रिह्यावििलटेशन | स्वैच्छिक | स्वैच्छिक | स्वैच्छिक |
| | ल्याबोरेटरी | जनरल अस्पताल सरह | | |
| | हिस्टोप्याथोलोजी | जनरल अस्पताल सरह | | |
| ९ | जनशक्ति | | | |

| सि.नं | विवरण | १६-२४ शैय्या | २५-५० शैय्या | ५१-१०० शैय्या |
|---|---|---|---|---|
| | कन्सल्टयान्ट (१:२५ शैय्या) | | | |
| | नियोन्याटोलोजिष्ट,<br>पेडियाट्रीक इन्टेन्सीभिष्ट | २<br>२ | ३<br>३ | ४<br>४ |
| | पेडियाट्रिक कार्डियोलोजिष्ट | २ | ३ | ४ |
| | पेडियाट्रिकन्यूरोलोजिष्ट | २ | ३ | ४ |
| | पेडियाट्रिक इन्डोक्राइनोलोजिष्ट | २ | ३ | ४ |
| | पेडियाट्रिकसर्जन | २ | ३ | ४ |
| | मेडिकल अफिसर | १० | १२ | १४ |
| | सम्बन्धित विशेषज्ञहरू (पार्टटाइमको प्रावधान) | | | |
| | प्रशासनिक कर्मचारी | जनरल अस्पताल अनुसार | | |
| | नर्सिङ्ग स्टाफ | जनरल अस्पताल अनुसार | | |
| | एनेस्थेसिस्ट | २ | ३ | ४ |
| १० | आकस्मिक सेवा र सामग्री उपकरण | २४सै घण्टा सेवा | २४सै घण्टा सेवा | २४सै घण्टा सेवा |
| ११ | औषधिको उपलब्धता | २४सै घण्टा सेवा | २४सै घण्टा सेवा | २४सै घण्टा सेवा |
| १२ | एम्बुलेन्स | अनिवार्य | अनिवार्य | अनिवार्य |
| १३ | प्रतिकारात्मक तथा प्रवर्द्धनात्मक सेवा | अनिवार्य | अनिवार्य | अनिवार्य |
| १४ | शवगृह | अनिवार्य | अनिवार्य | अनिवार्य |

| सि.नं | विवरण | १६-२४ शैय्या | २५-५० शैय्या | ५१-१०० शैय्या |
|---|---|---|---|---|
| १५ | क्यान्टिन सेवा | अनिवार्य | अनिवार्य | अनिवार्य |

**(झ) दन्त अस्पताल**

दन्त उपचार सेवा सञ्चालन गर्ने अस्पताल वा क्लिनिकमा देहाय बमोजिम पूर्वाधार हुनुपर्नेछः-

| क्र.स. | विवरण | १५ दन्त चियर (१५डेण्टल चेयरभन्दा कम | १५ दन्त चियर देखि ५० दन्त चियर सम्म | ५० दन्त चियर भन्दा माथि |
|---|---|---|---|---|
| १ | भौतिक पूर्वाधार (प्रशासनिक कक्ष) | | | |
| २ | रिसिप्सन | १(१० बर्ग मि.) | १(१०बर्ग मि.) | १(१०बर्ग मि.) |
| ३ | प्रतिक्षा कक्ष | १(१४बर्ग मि.) | १(१४बर्ग मि.) | १(१४बर्ग मि.) |
| ४ | लेखा कक्ष | १(१०बर्ग मि.) | १(१०बर्ग मि.) | १(१०बर्ग मि.) |
| ५ | स्टोर कक्ष | १(१०बर्ग मि.) | १(१०बर्ग मि.) | १(१०बर्ग मि.) |
| ६ | मर्मत कक्ष | १(१४बर्ग मि.) | १(१४बर्ग मि.) | १(१४बर्ग मि.) |
| ७ | चिकित्सक बैठक | १(१६बर्ग मि.) | १(१६बर्ग मि.) | १(१६बर्ग |

| क्र. स. | विवरण | १५ दन्त चियर (१५डेण्टल चेयरभन्दा कम | १५ दन्त चियर देखि ५० दन्त चियर सम्म | ५० दन्त चियर भन्दा माथि |
|---|---|---|---|---|
| | कक्ष | | | मि.) |
| ८ | चेन्जिङ कक्ष | १(१०बर्ग मि.) | १(१०बर्ग मि.) | १(१०बर्ग मि.) |
| ९ | निर्देशक कक्ष | १(१०बर्ग मि.) | १(१०बर्ग मि.) | १(१०बर्ग मि.) |
| १० | लाइब्रेररी कक्ष | १(१४बर्ग मि.) | १(१४बर्ग मि.) | १(१४बर्ग मि.) |
| ११ | कार्यकारी कक्ष | ० | १(१४बर्ग मि.) | १(१४बर्ग मि.) |
| १२ | सेमिनार हल | ० | १(१६बर्ग मि.) | १(१६बर्ग मि.) |
| १३ | क्लिनिकल कक्ष | √ | √ | √ |
| १४ | ओरल तथा मेक्सिलोफ्यासियल सर्जरी कक्ष | (ओरल सर्जनअन कलर हप्तामा २ पटक नियमित भेट)<br>माइनर ओटि-२<br>बेड-२<br>DC-२ | माइनर ओटि-२<br>मेजर ओटि-१<br>जेनेरल बेड-५DC-५<br>आइ.सि.यु. शैय्या-२ | माइनर ओटि-२<br>मेजर ओटि-१<br>जेनेरल बेड-१०DC-७<br>आइ.सि.यु. शैय्या-२ |
| १५ | अर्थोडेन्टिक विभाग | (विशेषज्ञ भेट महिनामा कम्तिमा २ पटक)<br>DC-१ | (विशेषज्ञ भेट महिनामा कम्तिमा २ | (विशेषज्ञ भेट महिनामा कम्तिमा २ |

| क्र. स. | विवरण | १५ दन्त चियर (१५डेण्टल चेयरभन्दा कम | १५ दन्त चियर देखि ५० दन्त चियर सम्म | ५० दन्त चियर भन्दा माथि |
|---|---|---|---|---|
| | | | पटक) DC-२ | पटक) DC-४ |
| १६ | प्रोस्थोडेन्टिक विभाग | (विशेषज्ञ भेट हप्तामा कम्तिमा १ पटक) DC-१ | (विशेषज्ञ भेट हप्तामा कम्तिमा १ पटक) DC-२ | (बिशेषज्ञ भेट प्रत्येक दिन) DC-५ |
| १७ | जेनेरल विभाग | (एकिकृत प्रणाली) DC-१० | (एकिकृत प्रणाली) DC-१२ | (एकिकृत प्रणाली) DC-२२ |
| १८ | पेरिओडेन्टिक विभाग | हप्तामा कम्तिमा १ पटक बिशेषज्ञ भिजिट | (हप्तामा कम्तिमा १ पटक बिशेषज्ञ भिजिट)DC-२ | (बिशेषज्ञ भिजिट प्रत्येक दिन) DC-५ |
| १९ | रेस्टोरेटिभ/पेडो विभाग | हप्तामा कम्तिमा १ पटक बिशेषज्ञ भिजिट | (हप्तामा कम्तिमा १ पटक बिशेषज्ञ भिजिट)DC-२ | ( बिशेषज्ञ भिजिट प्रत्येक दिन) DC-५ |
| २० | २४ घण्टे आकस्मिक सेवा | √ | √ | √ |
| **कर्मचारी** | | | | |
| | ग्रेजुयट चिकित्सक | १० | १५ | २५ |

| क्र. स. | विवरण | १५ दन्त चियर (१५डेण्टल चेयरभन्दा कम | १५ दन्त चियर देखि ५० दन्त चियर सम्म | ५० दन्त चियर भन्दा माथि |
|---|---|---|---|---|
| | स्टाफ नर्स | २ | ५ | ७ |
| | एनेस्थेटिक | अन कल | अन कल | अन कल |
| | डेन्टल हाइजेनिष्ट | ३ | ३ | ५ |
| | डेन्टल सहायक | ८ | १० | २० |
| | रेडियोग्राफर | १ | २ | २ |
| | ल्याब टेक्निसियन | १ | २ | २ |
| | मर्मत टेक्निसियन | १ | १ | १ |
| | मेडिकल रेकर्डर | १ | १ | १ |
| | रिसिप्सन | १ | २ | २ |
| | स्टोर किपर | १ | १ | १ |
| | सुरक्षा गार्ड | १ | १ | २ |
| | स्वीपर | ३ | ४ | ४ |
| | लेखापाल | १ | २ | २ |
| | ब्यबस्थापक | १ | १ | १ |
| | **अन्य सुविधा** | | | |
| | स्टेरलाइजेशन कक्ष | १(१४बर्ग मि..) | १(१४बर्ग मि..) | १(१४बर्ग मि..) |
| | डेन्टल प्रयोगशाला | १(१४बर्ग मि..) | १ (१४ बर्ग मि.) | १ (१६ बर्ग मि.) |
| | फार्मेशी-२४ घण्टे | √ | √ | √ |

| क्र. स. | विवरण | १५ दन्त चियर (१५डेण्टल चेयरभन्दा कम | १५ दन्त चियर देखि ५० दन्त चियर सम्म | ५० दन्त चियर भन्दा माथि |
|---|---|---|---|---|
| | ओरल प्याथोलोजि | √ | √ | √ |
| | जेनेरल प्याथोलोजी | √ | √ | √ |
| | फोहोर व्यबस्थापन प्रणाली | √ | √ | √ |
| | पानी स्टोरेज | √ | √ | √ |
| | शौचालय (महिला/पुरुष) | २ | २ | ४ |
| | क्यान्टिन | √ | √ | √ |
| | २४ घण्टे एम्वुलेन्स सेवा | ऐच्छिक | ऐच्छिक | √ |
| | गाडी पार्किङ सुविधा | १/३खुल्ला क्षेत्र | १/३खुल्ला क्षेत्र | १/३खुल्ला क्षेत्र |

विशेषज्ञ भन्नाले विशेषज्ञ क्षेत्रभित्र पर्ने नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका चिकित्सकहरुलाई बुझाउँछ ।

अनुसूची-११

(नियम १६ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

## स्वास्थ्य संस्थाको औजार तथा उपकरण सम्बन्धी मापदण्ड

### १. औजार तथा उपकरण सम्बन्धी व्यवस्थाः

(क) प्रयोगशालाका औजार तथा उपकरणहरुः

| क्र.स. | उपकरण को नाम | युनिट | शैय्याको क्षमता तथा उपकरण | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | १६ देखी २४ शैय्या | २५ देखी ५० शैय्या | ५१ देखी १०० शैय्या | १०१ देखी २५० शैय्या |
| १. | माइक्रोस्कोप | थान | १-३ | ३ | ३ | ४ |
| २ | माईक्रोटोम | थान | - | १ | १ | २ |
| ३ | टिस्सुप्रोसेसर | थान | - | १ | १ | १ |
| ४ | स्लाईडस्टेनर (हिस्टो) | थान | - | - | - | - |
| ५. | टिस्सुफ्लोटिङ वाटर बाथ | सेट | - | १ | १ | १ |
| ६ | इम्युनोहिस्टो-केमेस्ट्रीसेट | सेट | - | - | - | - |
| ७ | अटो एनलाईजर(बायोकेमेस्ट्री) | सेट | - | - | - | - |
| ८ | सेमीअटो एनलाईजर(बायोकेमेस्ट्री) | सेट | १ | १ | १ | १ |
| ९ | एलाईजा रिडर विथ वासर | सेट | - | - | - | १ |
| १० | इन्कुबेटर | सेट | १ | १-२ | २ | ५ |
| ११ | रसायन सन्तुलन | सेट | १ | १ | १ | १ |
| १२ | ईलेक्ट्रोलाईट एनलाईजर | सेट | १ | १ | १ | २ |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १३ | क्यालोरीमिटर | सेट | १-३ | १-३ | १-३ | २-३ |
| १४ | हट ऐयर ओवन | सेट | १ | २ | २ | ३ |
| १५ | अटोक्लेव | सेट | १ | २ | २ | ३ |
| १६ | फ्रीज | सेट | १-२ | २-४ | ३-४ | ४ |
| १७ | कोवाग्लुमिटर | सेट | - | | १ | १ |
| १८ | ब्लड सेल काउन्टर (१८ प्यारामिटर वा माथी) | | १* | १ | १ | २ |
| १९ | ब्लड ग्याँस एनलाईजर | सेट | - | - | १ | १ |
| २० | जेनेरेटर | सेट | १ | १ | १ | १ |
| २१. | सेन्ट्रिफ्युज | थान | २ | ४ | ४ | ६ |
| २२. | लेमिनर होड | | - | - | १ | १ |
| २३ | काउन्टिङ चेम्बर | थान | १-२ | १-२ | १-२ | १-२ |
| २४ | डि.एल.सि काउन्टर | थान | १-२ | २ | २ | २ |
| २५ | पिपेट, ग्लासवेयर, किट्स, कन्जुमेवल्स | थान | आवश्यकता अनुसार | | | |
| २६ | बायोसेफ्टी क्याबिनेट (क्लास २) | | - | - | - | - |
| २७ | इन्सेनिरेटर | सेट | १ | १ | १ | १ |
| २८ | ग्लासवेर, किट्स, रिएजेन्ट, कन्जुमेवल्स | आवश्यकता अनुसार | | | | |
| २९ | कम्प्युटर तथा प्रीन्टर | सेट | १ | १ | १ | २-४ |
| ३० | पर्याप्त मात्रामा फर्नीचर हुनुपर्ने | | | | | |

## (ख) इमेजिङ उपकरण

| क्र.स. | उपकरणको नाम | शैय्या संख्या | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | १६ देखि २४ | २५ देखि ५० | ५१ देखि १०० | १०१ देखि २०० | २०१ देखि २५० |
| १ | ५०० एम.एएक्स-रे (इमेज इन्टेन्सीफायर सहित) | - | १* | १ | १ | १ |
| २ | ५०० एम.एएक्स-रे | - | १ | १ | १ | १ |
| ३ | डिजिटलएक्स-रे मेसिन | १ | १ | १ | १ | १ |
| ४ | ५०० एम.एएक्स-रेमेसिन (मोबाइल) | - | १ | १ | १ | १ |
| ५ | ड्राइ भ्यु प्रोसेसर (सि.आर. सिस्टम) | स्वैच्छिक | स्वैच्छिक | स्वैच्छिक | १ | १ |
| ६ | डेण्टलएक्स-रेमेसिन | स्वैच्छिक | स्वैच्छिक | ! | १ | १ |
| ७ | अल्ट्रा साउण्ड मेसिन (कलर डप्लर र गाइडेड बायोप्सीसहित | १ | १ | १ | १ | २ |
| ८ | स्पाइरलसि.टी. स्क्यान | - | स्वैच्छिक | स्वैच्छिक | * | १ |
| ९ | एम.आर.आई.मेसिन | - | स्वैच्छिक | स्वैच्छिक | * | * |
| १० | म्यामोग्राफीयुनिट | - | - | - | १ | १ |
| ११ | इकोकार्डियोग्राम | स्वैच्छिक | १ | १ | १ | १ |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १२ | इ.सि.जी. | १ | १ | १ | १ | १ |

⁎ आवश्यकता अनुसार

**(ग) कार्डिएक उपकरण**

| क्र.स. | उपकरण नाम | जम्मा शैय्या | | |
|---|---|---|---|---|
| | | ५१- १०० | १०१-२०० | २०१-२५० |
| १ | कम्प्युटराइज्डइ.सि.जी.मेसिन | १ | १ | १ |
| २ | अडिनरीइ.सि.जी.मेसिन | १ | २ | ३ |
| ३ | १२ च्यानल स्ट्रेसइ.सि.जी.टेस्टइक्युपमेन्ट ट्रेड मिल ⁎ | १ | १ | १ |
| ४ | कार्डियाकमनिटर | २ | ३ | ४ |
| ५ | कार्डियाकमनिटर(डीफिब्रिलेटर सहित) | १ | २ | २ |
| ६ | भेन्टिलेटर (एडल्ट) | १ | २ | २ |
| ७ | भेन्टिलेटर (पेडियाट्रिक) | १⁎ | १ | १ |
| ८ | पल्स अक्सिमिटर | २ | ३ | ४ |
| ९ | पल्स अक्सिमिटर एन.आइ.बि.पी⁎ सहित | १ | १ | १ |
| १० | इन्फ्युजन पम्प | १ | १ | २ |
| ११ | बि.पी. एपारटस टेबल मोडेल | १० | १० | १५ |
| १२ | बि.पी. एपारटस स्टयाण्ड मोडेल | १० | १० | १५ |
| १३ | स्टेथेस्कोप | १५ | १५ | २० |

## (घ) अपरेशन थियटर इक्युपमेन्ट

| क.स | उपकरण | शैय्या संख्या | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | १६ देखि २४ | २५ देखि ५० | ५१ देखि १०० | १०१ देखि २०० | २०१ देखि २५० |
| १ | अटोक्लेभ एच.पी. होरिजेन्टल | * | * | १ | २ | ३ |
| २ | अटोक्लेभ एच.पी. भर्टिकल (२ बिन) | १ | १ | १ | १ | २ |
| ३ | अपरेशन टेबल अडिनरी पेडियाट्रिक | * | * | १ | १ | २ |
| ४ | अपरेशन टेबल हाइड्रोलिकमेजर | २ | ४ | ८ | ८ | १० |
| ५ | अपरेशनटेबलहाइड्रोलिकमाइनर | २ | ४ | ८ | ८ | १० |
| ६ | अपरेटिङ्गटेबलनन-हाइड्रोलिकफिल्ड टाइप | २ | ४ | १ | ६ | ९ |
| ७ | अपरेटिङ्गटेबलअर्थोपेडिक | १ | १ | २ | ३ | ४ |
| ८ | अटोक्लेभ २ बर्नर बिन सहित | * | * | * | * | * |
| ९ | अटोक्लेभ भर्टिकल सिङ्गल बिन | * | * | * | * | * |
| १० | स्याडोलेस ल्याम्प सिलिङ्ग टाइप मेजर | ** | ** | ** | ** | ** |
| ११ | स्याडोलेस ल्याम्प सिलिङ्ग टाइप माइनर | १ | १ | २ | २ | २ |
| १२ | स्याडोलेस ल्याम्प स्टयाण्ड मोडेल | ** | ** | ** | ** | ** |

| क्र.स | उपकरण | शैय्या संख्या | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | १६ देखि २४ | २५ देखि ५० | ५१ देखि १०० | १०१ देखि २०० | २०१ देखि २५० |
| १३ | फोकस ल्याम्प अडिनरी | १ | १ | २ | २ | ३ |
| १४ | स्टेरिलाइजरठुलो (इन्सट्रुमेन्ट) | * | * | * | * | * |
| १५ | स्टेरिलाइजरमध्यम (इन्सट्रुमेन्ट.) | * | * | * | * | * |
| १६ | स्टेरिलाइजर सानो (इन्सट्रुमेन्ट) | ३ | ५ | ७ | १० | १२ |
| १७ | बाउल स्टेरिलाइजर-ठुलो | * | * | * | * | * |
| १८ | बाउलस्टेरिलाइजर- मध्यम | * | * | * | * | * |
| १९ | डायाथर्मीमेसिन (इलेक्ट्रिक काउटेरी) | ६ | ७ | २१ | २३ | २५ |
| २० | सक्सन एपारटस- इलेक्ट्रिकल | ३ | ५ | १६ | २० | २५ |
| २१ | सक्सन एपारटस (फुट अपरेटेड) | * | * | * | * | * |
| २२ | डि-ह्युमिफाइडर | * | * | * | * | * |
| २३ | अल्ट्रा भाइलेट लाइट | * | * | * | * | * |
| २४ | इथाइलिन अक्साइडस्टेरिलाइजर | * | * | * | * | * |
| २५ | माइक्रोवेभस्टेरिलाइजर | * | * | * | * | * |

* आवश्यकतानुसार ** ओ.टी. को संख्या अनुसार

**(ङ) एक सय शैय्या भन्दा माथिको अस्पतालमा प्याथोलोजी उपकरण देहाय वमोजिम हुनुपर्नेछः**

१. माइक्रोबायोलोजी, ब्याक्टेरियोलोजी सम्बन्धि उपकरणः

| क.स | उपकरणको विबरण | शैय्या संख्या | |
|---|---|---|---|
| | | १०१-२०० | २०१-२५० |
| १ | इन्क्युबेटर | १ | १ |
| २ | हट एयर ओभन | १ | १ |
| ३ | माइक्रोस्कोप | २ | २ |
| ४ | सेन्ट्रिफ्युज | २ | २ |
| ५ | कार्बन डाइअक्साइड इन्क्युबेटर | १ | १ |
| ६ | एनारोबिक इन्क्युबेटर | १ | १ |
| ७ | बायो सेफ्टी क्याबिनेट | - | - |
| ८ | रेफ्रिजेरेटर | २ | २ |
| ९ | अटोपिपेट | आवश्यकता अनुसार | |
| १० | ग्लासवयर/किट्स/रिएजेन्ट्स कन्ज्युमेबल्स | आवश्यकता अनुसार | |

२. बायोकेमेस्ट्री सम्बन्धि उपकरणः

| क.स | उपकरणको विबरण | शैय्या संख्या | |
|---|---|---|---|
| | | १०१ देखि २०० | २०१ देखि २५० |
| १ | अटोएनालाइजर | - | - |
| २ | सेमीअटो एनालाइजर | १ | १ |
| ३ | केमिकलब्यालेन्स | १ | १ |
| ४ | इलेक्ट्रोलाइट एनालाइजर | २ | २ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ५ | सेन्ट्रिफ्युज | १ | १ |
| ६ | कोलोरीमीटर | १ | १ |
| ७ | हट एयर ओभन | १ | १ |
| ८ | रेफ्रिजेरेटर | १ | १ |
| ९ | माइक्रोपिपेट | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार |
| १० | पि.एच. मिटर | १ | १ |
| ११ | ब्लडग्याँसएनालाइजर | १ | १ |
| १२ | ग्लासवयर/किट्स/ रिएजेन्ट्स कन्ज्युमेबल्स | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार |

## ३. हेमाटोलोजी सम्बन्धि उपकरणः

| क.स. | उपकरणको विबरण | शैय्या संख्या | |
|---|---|---|---|
| | | १०१-२०० | २०१-२५० |
| १ | माइक्रोस्कोप (बाइनाकुलर) | १ | २ |
| २ | ब्लडसेलकाउन्टर (१८ प्यारामिटर वा सो भन्दा माथी) | १ | १ |
| ३ | सेन्ट्रिफ्युज | १ | १ |
| ४ | कोलोरीमीटर | १ | १ |
| ५ | हट एयर ओभन | १ | १ |
| ६ | रेफ्रिजेरेटर | १ | १ |
| ७ | काउन्टिङ्गच्याम्बर | २ | ३ |
| ८ | प्रिन्टर सहितको कम्प्युटर | १ | १ |
| ९ | माइक्रोपिपेट | आवश्यकता अनुसार | |
| १० | कोएगुलोमिटर एगुलेशन प्रोफाइलको लागि | १ | १ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ११ | एच.बि.इलेकेट्रोफोरोसिससेट | | |
| १२ | डिस्टिलेशनप्लान्ट | १ | १ |
| १५ | सि.टी. कोएगुलोमिटर | १ | १ |
| १४ | ग्लासवयर/किट्स/ रिएजेन्ट्सकन्ज्युमेबल्स | आवश्यकता अनुसार | |
| १५ | वाटर बाथ | १ | १ |

४. प्याथोलोजी सम्बन्धि उपकरणः

| क्र.स. | उपकरणको विबरण | शैय्या संख्या | |
|---|---|---|---|
| | | १०१-२०० | २०१-२५० |
| १ | माइक्रोस्कोप | १ | २ |
| २ | माइक्रोटोम (स्लाइडिङ्ग/रोटेटरी) | १ | १ |
| ३ | टिस्युप्रोसेसर | १ | १ |
| ४ | स्टेनर (हिस्टो/साइटो) | १ | १ |
| ५ | इन्क्युबेटर | १ | १ |
| ६ | केमिकलब्यालेन्स | १ | १ |
| ७ | सेन्ट्रिफ्युज | १ | १ |
| ८ | हट एयर ओभन | १ | १ |
| ९ | अटोक्लेभ | १ | १ |
| १० | रेफ्रिजेरेटर | १ | १ |
| ११ | काउन्टिङ्गच्याम्बर | १ | १ |
| १२ | जेनेरेटर | १ | १ |
| १३ | प्रिन्टर सहितको कम्प्युटर | १ | २ |
| १४ | माइक्रोपिपेटस् | आवश्यकता अनुसार | |
| १५ | साइटोसेन्ट्रिफ्युज | १ | १ |
| १६ | स्लाइडक्याबिनेट | १ | २ |

| क्र.स. | उपकरणको विबरण | शैय्या संख्या | |
|---|---|---|---|
| | | १०१-२०० | २०१-२५० |
| १७ | ब्लककक्याबिनेट | २ | ३ |
| १८ | टिस्यु टेक-२ इम्बेडिङ्ग सेन्टर | १ | १ |
| १९ | इम्युनो-हिस्टोकेमेस्ट्री | १ | १ |
| २० | ग्लासवयर/किट्स/ रिएजेन्ट्सकन्ज्युमेबल्स | आवश्यकता अनुसार | |

## ५. माइक्रोबायोलोजी, भाइरोलोजी, सेरोलोजी सम्बन्धि उपकरण:

| क्र.स. | उपकरणको विबरण | शैय्या संख्या | |
|---|---|---|---|
| | | १०१-२०० | २०१-२५० |
| १ | बाइनाकुलरमाइक्रोस्कोप | १ | १ |
| २ | एलाइजा (ELISA) रिडर (वासर सहित) | १ | १ |
| ३ | वाटर बाथ | १ | १ |
| ४ | हट एयर ओभन | १ | १ |
| ५ | रेफ्रिजेरेटर | २ | ३ |
| ६ | रेफ्रिजेरेटेडसेन्ट्रिफ्युज | १ | १ |
| ७ | मल्टीच्यानलमाइक्रोपिपेट | २ | २ |
| ८ | भेरिएबलमाइक्रोपिपेट | आवश्यकता अनुसार | |
| ९ | माइक्रोमिक्सर | १ | १ |
| १० | इन्क्युबेटर | १ | १ |
| ११ | सेन्ट्रिफ्युज | १ | १ |
| १२ | वेटिङ्गब्यालेन्स | १ | १ |

| क.स. | उपकरणको विबरण | शैय्या संख्या | |
|---|---|---|---|
| | | १०१-२०० | २०१-२५० |
| १३ | अटोक्लेभभर्टिकल | १ | १ |
| १४ | डिप फ्रिजर-२०°से | १ | १ |
| १५ | डिप फ्रिजर-८०°से | - | - |
| १६ | लामिनार हुड | १ | १ |
| १७ | बायोसेफ्टीक्याबिनेटक्लास-२ | - | - |
| १८ | भर्टेक्समिक्स्चर | १ | १ |
| १९ | स्टप वाच | २ | २ |
| २० | क्लिन बेन्च हुड | १ | १ |
| २१ | प्रिन्टर सहितको कम्प्युटर | १ | १ |
| २२ | ग्लासवयर/किट्स/रिएजेन्ट्स कन्ज्युमेबल्स | आवश्यकता अनुसार | |
| २३ | पर्याप्त फर्निचरहरु | | |

## च. एनेस्थेसिया उपकरणहरू:

| क.स. | उपकरणको विबरण | शैय्या संख्या | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | १६-५० | ५१-१०० | १०१-२०० | २०१-२५० |
| १ | एनेस्थेटिक ल्यकराङ्गोस्कोप म्यागिल्स ४ ब्लेड भएको एडल्ट बच्चाको | १० | १५ | २५<br>२५ | ३०<br>३० |
| २ | इण्डो ट्राकियल ट्युबसेटस् | १० | १५ | २५ | ३० |
| ३ | म्यागिल्सफोर्सेप्स (२ साइजमा) | १० | १५ | २५ | ३० |
| ४ | इ.टी.टी. सर्किटको लागि ६ | १० | १५ | २५ | ३० |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | वटा कनेक्टर | | | | |
| ५ | इ.टी.टी. कनेक्ट गर्ने ट्युब (T-Piece) | १० | १५ | २५ | ३० |
| ६ | एयर वे (महिला) | १० | २० | ४० | ६० |
| ७ | एयर वे (पुरुष) | १० | २० | ४० | ६० |
| ८ | मुख प्रोप | १० | २० | ४० | ६० |
| ९ | टङ्ग डिप्रेसर | १० | २० | ४० | ६० |
| १० | ०२ सिलेन्डरफर बोयल्स | १० | २० | ४० | ४० |
| ११ | एन-२० सिलेन्डरफर बोयल्स | १० | १५ | २० | २५ |
| १२ | पि.एफ.टी. मेसिन | १ | १ | २ | ३ |
| १३ | बोयल्सएपारटसफ्लुटेक र सर्कल एबजर्भर सहित | ५ | १० | २० | २५ |
| १४ | भेन्टिलेटर | ५ | १० | १५ | २० |
| १५ | मनिटरइ.सि.जी., एन.आइ.बि.पी.,एस.पी.ओ.२ | १० | १५ | २५ | ४० |
| १६ | मनिटर इ.टी.सी.ओ.२ / ग्याँसएनालाइजर ।बि.पी. | ५ | ५ | १० | १५ |
| १७ | ट्रान्सपोर्ट मनिटरइ.सि.जी., एन.आइ.बि.पी., एस.पी.ओ.२ | ५ | ५ | १० | १० |
| १८ | ट्रान्सपोर्ट भेन्टिलेटर | * | * | १ | ३ |
| १९ | फाइब्रिअप्टिकब्रोङ्कोस्कोप<br>एडल्ट<br>बच्चाको | * | * | <br>१<br>१ | <br>२<br>२ |
| २० | रिजनल एनेस्थेसियाको लागि पोर्टेबलयु.एस.जी. | * | १ | १ | २ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| २१ | पोर्टेबलइ.सि.जी. आइ.सि.यु./सि.सि.यु./ओ.टी. | १ | १ | १ | २ |
| २२ | म्याक कोय ल्याराङ्गोस्कोप | १ | २ | ४ | ५ |
| २३ | इन्टुबेटिङएल.एम.ए.३,४ | १ | २ | ४ | ५ |
| २४ | भिडियोल्याराङ्गोस्कोप | १ | २ | ४ | ५ |
| २५ | डबल लुमेन ट्युब | ५ | ५ | १० | १५ |
| २६ | अम्बु ब्याग/मास्क/ रिसेससाइट्रेटर | १० | १५ | २५ | ५० |
| २७ | ग्याँसएनालाइजर | * | * | १ | २ |
| २८ | डीफ ब्रिलेटर | * | २ | ५ | ८ |

## (छ) शैक्षिक उपकरणहरु

| क्र.स. | उपकरणको विबरण | शैय्या संख्या | |
|---|---|---|---|
| | | १०१ देखि २०० | २०१ देखि २५० |
| १ | पर्दा | १ | १ |
| २ | सेतो / रंगिन बोर्ड | १ | १ |
| ३ | रंगिन टिभी | १ | १ |
| ४ | एल.सि.डी. प्रोजेक्टर | १ | २ |
| ५ | कम्प्युटर/ल्याबटप साउण्ड सिस्टम सहित | १ | २ |
| ६ | एक्सटर्नल हार्ड ड्राइभ | १/1 टि.बी. | २/1 टि.बी. |
| ७ | क्यामेरा | १ | २ |
| ८ | इ-लाइब्रेरी | १ | १ |
| ९ | डीजिटल डिस्प्ले बोर्ड | १ | २ |
| १० | इन्टरनेट | | |
| ११ | प्रिन्टर/स्क्यान/फोटोकपी | २ | ३ |

⁎ आवश्यकता अनुसार उपलब्ध हुनुपर्ने

## (ज) लेबरवार्ड, नवजात शिशुरस्पेशल नवजात शिशु युनिट इक्युपमेन्ट

| क्र. स. | उपकरणको विवरण | १६ देखी २४ शैय्या | २५ देखी ५० शैय्या | ५१ देखी १०० शैय्या | १०१ देखी २०० शैय्या | २०१ देखी २५० शैय्या |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | बेबी इन्क्युबेटर | ⁎ | १ | १ | १ | ३ (१लेबर कक्ष र २ नवजात शिशुकक्षमा) |
| २ | फोटोथेरापीयुनिट | ⁎ | १ | १ | २ | ३ |
| ३ | इमरजेन्सी रिससिटेशन बिट-बेबी | १ | १ | १ | २ | ४ |
| ४ | स्टयाण्डर्ड तौल स्केल | १ | १ | १ | १/१ लेबरकक्ष रओ.टी. | १/१लेबरकक्ष रओ.टी. |
| ५ | नवजात शिशुइक्युपमेन्ट | १ | १ | १ | १/१सेट लेबरकक्ष रओ.टी. | १/१सेटलेबरकक्ष रओ.टी. |
| ६ | डबल-आउटलेट अक्सिजनकन्सन्ट्रेटर | ⁎ | १ | १ | १-प्रत्येकलेबरकन्सन्ट्रेटर | १-प्रत्येकलेबरकन्सन्ट्रेटर |

| क्र. स. | उपकरणको विवरण | १६ देखी २४ शैय्या | २५ देखी ५० शैय्या | ५१ देखी १०० शैय्या | १०१ देखी २०० शैय्या | २०१ देखी २५० शैय्या |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ७ | रेडियन्ट वार्मर | * | १ | १ | २ | ३ (१ लेबर कक्ष र २ नवजात शिशुकक्षमा) |
| ८ | रुम वार्मर | * | १ | १ | २ | २ |
| ९ | फिटल डप्लर | १ | १ | १ | २ | २ |
| १० | कार्डियोटोकोग्राफीम निटर | * | १ | १ | २ | ३ |
| ११ | डेलिभरी किट | ३ | ५ | ५ | १० | १५ |
| १२ | इपिसियोटोमी किट | ५ | ५ | ५ | ५ | १० |
| १३ | फोर्सेप्स डेलिभरी किट | ५ | ५ | ५ | ५ | ५ |
| १४ | क्रेनोटोमी सेट | * | १ | १ | १ | |
| १५ | भ्याकुम एक्सट्राक्टर मेटल | * | १ | १ | १ | |
| १६ | सिलास्टिकभ्याकुम एक्सट्राक्टर | * | १ | १ | २ | |
| १७ | पल्सअक्सिमिटरबेबीर एडल्ट | * | १ | २ | १/१ | २/२ |

| क्र. स. | उपकरणको विवरण | १६ देखी २४ शैय्या | २५ देखी ५० शैय्या | ५१ देखी १०० शैय्या | १०१ देखी २०० शैय्या | २०१ देखी २५० शैय्या |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १८ | कार्डियाकमनिटरबेबी र एडल्ट | * | १ | १ | १ | |
| १९ | नेबुलाइजर -बेबी | १ | २ | ३ | ३ | ४ (आइ.सि.यु.र वार्डमा) |
| २० | तौलिने मेसिनएडल्ट | २ | २ | २ | ३ | ६ |
| २१ | तौलिने मेसिनशिशुको लागि | १ | २ | २ | ३ | ४ |
| २२ | सि.पि.ए.पि मेसिन | | | | - | - |
| २३ | अक्सिजनको लागि हेडबक्स | १ | २ | ३ | ४ | ६ |
| २४ | हेमोग्लोबिनो मिटर | १ | १ | १ | १ | १ |
| २५ | ग्लुकोमिटर | १ | १ | १ | १ | १ |
| २६ | जनगुनासो सम्बोधनको व्यवस्था | १ | १ | १ | १ | १ |
| २७ | भित्ते घडी | १ | १ | १ | १ | |
| २८ | बि.पी.एपारटसरस्टेथे स्कोप | २ | २ | २ | २+२ | ३+३ |
| २९ | टर्च | १ | २ | ३ | | ३ |
| ३० | फोकसलाइट | १ | १ | १ | २ | ३ |

## (झ) इक्लामसिया कक्षको लागि इक्युपमेन्टः १०१ देखी २५० शैय्या

| क्र.स. | इक्युपमेन्ट | सङ्ख्या |
|---|---|---|
| १ | आइ.सि.यु.शैय्या | २ |
| २ | इमरजेन्सी रिससिटेशनट्रे (एडल्ट) इन्ट्युबेशन इक्युपमेन्ट समेत | ३ |
| ३ | बि.पी.एपारटस | ३ |
| ४ | कार्डियाकमनिटर | २ |
| ५ | पल्स अक्सिमिटर | २ |
| ६ | एयरवे (फिमेल) | २ |
| ७ | नेबुलाइजर | १ |
| ८ | अक्सिजनसप्लाइ (सेन्ट्रल) | २ |
| ९ | सक्सन एपारटस (इलक्ट्रिकल) | २ |
| १० | सक्सन एपारटस (फुट) | १ |
| ११ | भित्ते घडी | १ |
| १२ | टर्च | १ |
| १३ | इमरजेन्सीकल बेल | १ |
| १४ | स्टेथेस्कोप | २ |

## (ञ) स्पेशल नवजात शिशु स्याहार युनिटको जनरल इक्युपमेन्टः

| क्र.स. | इक्युपमेन्ट | संङ्ख्या |
|---|---|---|
| १ | इलेक्ट्रोनिकतौलिने स्केल | ५ (अत्यावश्यक) |
| २ | इन्फ्यान्टो मिटर | ५ (अत्यावश्यक) |
| ३ | इमरजेन्सीड्रग्सट्रली | ५ (अत्यावश्यक) |
| ४ | प्रोस्युडरट्रली | ५ (अत्यावश्यक) |

| | | |
|---|---|---|
| ५ | भित्ते घडी | हरेककक्षमा१ |
| ६ | रेफ्रिजेरेटर | हरेकयुनिटमा१ |
| ७ | स्पोट ल्याम्प | ५ (अत्यावश्यक) |
| ८ | पोर्टेबलएक्स-रेमेसिन | हरेकयुनिटमा१ (अत्यावश्यक) |
| ९ | आधारभूत सर्जिकल इन्सट्रुमेन्ट जस्तै फाइन सिजर्स, ब्लेड सहितको स्काल्पल, फाइन आर्टरी फोर्सेप्स, सुचर मेटेरियल रनिडल, टावेल आदि | १ सेटप्रति शैय्या (अत्यावश्यक) |
| १० | नेबुलाइजर | १हरेकयुनिटमा |
| ११ | मल्टीच्यानल मनिटर नन-इन्भ्याजिभ बि.पी.मनिटर (३ साइजः ०, १, २ नवजात शिशुप्रोब कम्तिमा ४ वटा) | ४ (ऐच्छिक) |
| १२ | रुमथर्मोमिटर | ४ (अत्यावश्यक) |
| १३ | ए.सि. | १प्रति कोठा |

**(ट) स्पेशल नवजात शिशु स्याहारयुनिटमा डिसइन्फेक्शन इक्युपमेन्टः**

| क्र.स. | इक्युपमेन्ट | सङ्ख्या |
|---|---|---|
| १ | इलेक्ट्रिकहिटर/बोइलर | २ (अत्यावश्यक) |
| २ | वासिङ्गमेसिन छुट्टै ड्रायर सहित | १ (अत्यावश्यक) |
| ३ | इलेक्ट्रोनिकफ्युमिगेटर | २ (अत्यावश्यक) |
| ४ | भ्याकुमक्लिनर | १ (अत्यावश्यक) |
| ५ | डाक्टर र नर्स, नवजात शिशु , कर्मचारी रआमाहरुलाई गाउन | प्रर्याप्त संख्यामा बिभिन्न साइजका (अत्यावश्यक) |

| क्र.स. | इक्युपमेन्ट | सङ्ख्या |
|---|---|---|
| ६ | धुन मिल्ने चप्पल | प्रर्याप्त संख्यामा बिभिन्न साइजका (अत्यावश्यक) |
| ७ | भर्टिकलअटोक्लेभ | १ (अत्यावश्यक) |
| ८ | अटोक्लेभड्रम (ठुलो, मध्यमरसानो साइज) | प्रत्येक साइजको ६/६ वटा (अत्यावश्यक) |
| ९ | डिसइन्फेक्टेन्ट स्प्रेयर | १ (अत्यावश्यक) |
| १० | तरलडिसइन्फेक्टेन्टको लागि कन्टेनर | २ (अत्यावश्यक) |
| ११ | फर्मालिन भ्यापोराइजर | १ (अत्यावश्यक) |
| १२ | हट एयर ओभन | १ (ऐच्छिक) |
| १३ | इथाइलिनअक्साइडस्टेरिलाइजर | १ (ऐच्छिक) |

**(ठ) प्रशासनिक उपकरणहरु**

| क्र. स. | उपकरणको विबरण | शैय्या | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | १६ देखि २४ | २५ देखि ५० | ५१ देखि १०० | १०१ देखि २०० | २०१ देखी २५० |
| १ | कम्प्युटर र इन्टरनेट** | ४ | ५ | ५ | ५ | ५ |
| २ | प्रिन्ट/फोटोकपी/स्क्यान/फ्यक्स सहितकोमेसिन | १ | १ | १ | १ | १ |
| ४ | इन्टरकम (१५लाइन)* | | | | | |
| ५ | इन्टरकम (४०लाइन)* | | | | | |
| ६ | अलराम सिस्टम | १ | १ | १ | २ | २ |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ७ | ल्यबटप | १ | १ | १ | २ | २ |
| ८ | टेलिफोन | २ | २ | २ | २ | २ |
| ९ | पेजिङ्ग सिस्टम | अत्यावश्यक | अत्यावश्यक | अत्यावश्यक | अत्यावश्यक | अत्यावश्यक |
| १० | सार्वजनिक सम्बोधनको व्यवस्था* | १ | १ | १ | १ | १ |
| ११ | पुस्तकालय सेवा | १ | १ | १ | १ | १ |
| १२ | डिजिटलहाजिरी मेसिन | १ | १ | १ | १ | १ |

* आवश्यकता अनुसार उपलब्ध गराउनु पर्ने

** कम्तिमा मेडिकल रेकर्डरलाइ र आइ.डि.एस.पी. लाइ १/१ थान

**(ड) रेफ्रिजेरेशनरए.सि.**

| क्र.स. | उपकरणको विबरण | शैय्या संख्या | |
|---|---|---|---|
| | | १०१-२०० | २०१-२५० |
| १ | रेफ्रिजेरेटर २०० लि. | १० | १२ |
| २ | ब्लडबैङ्क रेफ्रिजेरेटर | १ | १ |
| ३ | आइ.एल.आर. | १ | २ |
| ४ | डिप फ्रिजर | * | * |
| ५ | एयरकन्डिसनर | ९ | १० |
| ६ | सेन्ट्रल ए.सी. ओ.टी.को लागि | ** | ** |

**(ढ) अस्पताल प्लान्टः**

| क्र.स. | उपकरणको विबरण | शैय्या | | |
|---|---|---|---|---|
| | | ५१-१०० | १०१-२०० | २०१-२५० |
| १ | जेनेरेटर ४० / ५० के.भी. | १ | १ | १ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| २ | जेनेरेटर ७५ के.भी. | १ | १ | १ |
| ३ | जेनेरेटर १२५ के.भी. | १ | १ | १+ |
| ४ | पोर्टेबल २.५ के.भी. | १ | १ | २ |
| ५ | सोलार वाटरहिटर * | | | |
| ६ | इन्सिनिरेटर* | | | |
| ७ | सेन्ट्रल सप्लाइ (अक्सिजन, $N_2O$, भ्याकुम * | | | |
| ८ | शव गृह * | | | |
| * आवश्यकता अनुसार प्रदान गर्नुपर्ने + आवश्यकता अनुसार थप्नुपर्ने | | | | |

**(ण) ट्रान्सपोर्ट:**

| क.स. | उपकरणको विबरण | शैय्या संख्या | | |
|---|---|---|---|---|
| | | ५१-१०० | १०१-२०० | २०१-२५० |
| १ | एम्बुलेन्स | १ | २ | २+ |
| २ | भ्यान (परिवार कल्याण) | * | * | * |
| ३ | पिक अप गाडी | * | * | * |
| ४ | मर्चरीभ्यान | १ | १ | २ |
| ५ | प्रशासनिक गाडी | * | * | * |
| ६ | मिनीडोर ३ पाङ्ग्रे | * | * | * |
| ७ | साइकल | * | * | * |
| ८ | कर्मचारी बस | * | * | * |
| ९ | कार्यक्रम भेइकल | * | * | * |
| १० | मोटरसाइकल | * | * | * |

* आवश्यकता अनुसार.

**(त) <u>इमरजेन्सी र अत्यावश्यक ड्रगसः</u>** सम्बन्धित निकायले तोकेबमोजिम हुनेछ ।

**(थ) इमरजेन्सीको अत्यावश्यक इन्सट्रुमेन्ट सूचीः**

| क्र.स. | इक्युपमेन्ट |
|---|---|
| १. | अम्बु (रेसस्सिटेटर) ब्यागरमास्क |
| २. | आर्टरीफोर्सेप्स |
| ३. | ब्लडट्रान्सफ्युजनसेट |
| ४. | बि.पी.इन्सट्रुमेन्ट |
| ५. | क्रिप ब्याण्डेज ४" |
| ६. | क्रिप ब्याण्डेज ६" |
| ७. | डिसेक्सनफोर्सेप्सनन-टुथ |
| ८. | डिसेक्सनफोर्सेप्सदेखिओ.टी.h |
| ९. | डिस्पोजेबलसिरिन्ज३ सि.सि, ५सि.सि, १०सि.सि , २०सि.सि |
| १०. | इण्डोट्र्याकियलट्युब (पेडियाट्रिकर एडल्ट) ३.०-८.५ |
| ११. | ल्यारेङ्गियलमास्कएयरवे ३.०-८.५ |
| १२. | फोलिजक्याथेटर ६एफ-२० एफ, ३ वे |
| १३. | ग्लोभसनं.६, ६.५, ७, ७.५ |
| १४. | आइ.भी. क्यानुला १४G -२४G |
| १५. | आइ.भी. सेट + पेडियाट्रिकबुरेट |
| १६. | आइ.भी. इन्फ्युजनसेट |
| १७. | सि.भि.पी. लाइनसेट |
| १८. | चेस्टट्युब (बिभिन्न साइजका) |
| १९. | नि ह्यामर |
| २०. | ब्लेडसहितकी ल्याराङ्गोस्कोप (एडल्ट, पेडियाट्रिक) |
| २१. | निडलहोल्डर |
| २२. | न्यालसट्युब (एन/जीट्युब) |

| | |
|---|---|
| २३. | सिजर्स (बिभिन्न प्रकारका) |
| २४. | स्टेथस्कोप |
| २५. | सक्सन मेसिन ट्युब |
| २६. | थर्मोमिटर |
| २७. | स्फाइग्नोम्याग्नोमिटर |
| २८. | टङ्गडिप्रेसर |
| २९. | टर्चलाइट |
| ३०. | युरोब्याग |
| ३१. | बिभिन्न साइजका काठको स्पिन्ट |
| ३२. | स्पाइनलबोर्ड -१ |
| ३३. | सर्भिकलकलर १-५ |
| ३४. | पल्सअक्सिमिटर -१ |
| ३५. | ओटोस्कोप -१ |
| ३६. | अप्थालमोस्कोप -१ |
| ३७. | ग्लुकोमिटर -१ |
| ३८. | डिजिटल घडी |

अनुसूची-१२

(नियम १७ सँग सम्बन्धित)

**अस्पतालले पुरा गर्ने न्यूनतम जनशक्ति सम्बन्धी मापदण्ड**

(क) प्रति पच्चीस शैय्याको लागि एक जना एम.डी.जी.पी. चिकित्सक हुनुपर्नेछ। तर एम.डी.जी.पी. चिकित्सक नपाईने अवस्थामा पच्चीस शैय्याको अस्पतालमा गाइने तथा अव्स र बाल रोग बिशेषज्ञ हुनुपर्ने।

(ख) शल्यक्रिया प्रदान गर्ने कक्षमा प्रति शैय्या कम्तीमा एक जना शल्यचिकित्सक, एक जना एनेस्थेटिक्स, एक जना ईन्चार्ज, एक जना शल्यक्रिया सहायक र एक जना नर्स हुनुपर्ने।

(ग) जनरल कक्षमा प्रति चार देखिछ शैय्यामा एक जना स्टाफ नर्सको ब्यवस्था हुनुपर्ने।

(घ) ईमर्जेन्सी तथा पोष्ट अपरेटिभ कक्षमा प्रति दुई शैय्यामा एक जना नर्स हुनुपर्ने।

(ङ) सघन उपचार कक्ष (आई.सी.यू.एन.,आई.सी.यू, सी.सी.यू. आदि) मा प्रति शैय्यामा एक जना स्टाफ नर्सको ब्यवस्था हुनुपर्ने।

(च) प्रसूति कक्षको लेवर वेडमा प्रति वेड दुई जना एस.वी.ए. (Skill BirthAttendants) तालिम प्राप्त नर्स वा मीडवाईफको व्यवस्था हुनुपर्ने।

(छ) सय शैय्या सम्म क्षमताको अस्पतालको हकमा कम्तीमा एक जना मेडिकल रेर्कडर हुनुपर्ने। थप पचास शैय्यामा एक जना मेडिकल रेकर्डर सम्बन्धी जनशक्तिको थप व्यवस्था गर्नु पर्ने।

(ज) गुणस्तरीय सेवा सञ्चालनमा प्रभावकारिता गराउनको लागि पचास शैय्या भन्दा बढीका अस्पतालहरुमा कम्तीमा एक जना अस्पताल व्यवस्थापक (जनस्वास्थ्य वा अस्पताल व्यवस्थापन विषयमा कम्तीमा स्नातक गरेको)

र बायोमेडिकल टेक्निसियन वा ईन्जिनियर, डाईटीसीयन सहायक वा अधिकृत, फोहरमैला व्यवस्थापन गर्ने दक्ष जनशक्ति हुनुपर्ने।

(झ) एकसय शैय्या भन्दा बढी क्षमताको अस्पतालमा सामाजिक सेवा, स्वास्थ्य जन्य फोहरव्यवस्थापन, वातावरणीय तथा जनस्वास्थ्य सेवा इकाईको लागि आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था हुनुपर्ने।

(ञ) एक सय शैय्या भन्दा बढी क्षमताको अस्पतालमा आवश्यक जनशक्ति सहितको हाउस किपीङ ईकाईको व्यवस्था हुनुपर्ने।

(ट) प्रशासनिक, लेखा, सुरक्षा व्यवस्था, बगैचा ब्यवस्थापन लगायत कामका लागि अस्पतालले सेवाको गुणस्तर कायम गर्न आवश्यक संख्यामा जनशक्ति ब्यवस्था गर्नु पर्ने।

(ठ) पचास शैय्या र सो भन्दा माथिको क्षमता भएको अस्पतालमा चौबिसै घण्टा सेवा उपलब्ध गराउने गरी फर्मासिष्ट लगायत आवश्यक संख्यामा जनशक्ति सहितको फार्मेसीको व्यवस्था गर्नुपर्ने।

(ड) अस्पतालमा कम्तीमा दुई तिहाई स्वास्थ्यकर्मीहरु पूर्णकालीन हुनुपर्ने।

(ढ) सरकारी स्वास्थ्यकर्मीहरुबाट सेवा लिनुपर्ने अवस्थामा सम्बन्धित निकायको अनुमति पत्र संलग्न राख्नु पर्ने।

(ण) हरेक स्वास्थ्यकर्मीहरुले सम्बन्धित व्यवसायिक काउन्सिलवाट दर्ता नम्बर लिएको हुनुपर्ने।

(त) विदेशी स्वास्थ्यकर्मी वा स्वयं सेवकले मन्त्रालयको सिफारिसमा सम्बन्धित काउन्सिल तथा निकायहरुवाट स्वीकृति लिनुपर्ने।

अनुसूची-१३

(नियम १८ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

**अस्पतालको विशेष जनशक्ति सम्बन्धी मापदण्ड**

| सि. नं . | सेवा/समूह | १६ देखि २४ शैय्या | २५ देखि ५०शैय्या | ५१ देखि ७४ शैंया | ७५देखि १०० शैंया |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | फिजिसियन | १* | १+१# | २ | २+१# |
| २ | सर्जन | १* | १ | १+१# | २+१# |
| ३ | बालरोग विशेषज्ञ | १* | १ | १+१# | २+१# |
| ४ | हाड जोर्नी तथा नशा रोग विशेषज्ञ | १* | १* | १ | २+१# |
| ५ | स्त्रीरोग विशेषज्ञ | १* | १ | २ | २+१# |
| ६ | यौन तथा छाला रोग विशेषज्ञ | १* | १* | १* | २+१# |
| ७ | प्याथोलोजिष्ट/बायोकेमिष्ट/माइक्रोबायोलोजिष्ट | १* | १ | १ | २+१# |
| ८ | मेडिकल टेक्नोलोजिष्ट | १* | १* | १ | २+१# |
| ९ | ल्याव टेक्निसियन | १ | १+१# | १+२# | २+१# |
| १० | ल्याव असिस्टेन्ट | १ | १+१# | २+१# | ३+१# |
| ११ | रेडियोलोजिष्ट | १ | १* | १ | १+१# |
| १२ | रेडियोग्राफी टेक्नोलोजिष्ट/रेडियोग्राफी अधिकृत/वरिष्ठ रेडियोग्राफर | १ | ३+१# | ४+२# | ५+२# |
| १३ | नाक, कान, घाटीरोग सर्जन | १* | १* | १* | १# |
| १४ | नेफ्रोलोजिष्ट | १* | १* | १* | १* |
| १५ | अप्थल्मोलोजिष्ट | १* | १* | १* | १# |
| १६ | एनेस्थेटिष्ट | १* | १* | १* | १+१# |
| १७ | डेन्टल/बि.डि.एस. | १* | १# | १ | १ |

| सि. नं . | सेवा/समूह | १६ देखि २४ शैय्या | २५ देखि ५०शैय्या | ५१ देखि ७४ शैंया | ७५देखि १०० शैंया |
|---|---|---|---|---|---|
| १८ | मुटुरोग विशेषज्ञ | १* | १* | १* | १^ |
| १९ | स्नायूरोग विशेषज्ञ | १* | १* | १* | १* |
| २० | मानसिक रोग विशेषज्ञ | १* | १* | १* | १# |
| २१ | एम.डि.जी.पि. | १*! | १*! | १+१* | १+२* |
| २२ | मेडिकल अधिकृत (एम.बी.बी.एस) | ४ | ६ | ७ | ९ |
| २३ | मे.सू/निर्देशक | १* | १* | १ | १ |
| २४ | मेट्रोन | १* | १ | १ | १@ |
| २५ | सहायक मेट्रोन | १* | १* | १ | २ |
| २६ | सिष्टर/बि.एन. | १ | २ | ३ | ४ |
| २७ | स्टाफ नर्स | ५ | १० | १५ | २५ |
| २८ | अनमी | ५ | ७ | ७ | ७ |
| २९ | हे.अ/सिअहेव | २ | ३ | ३ | ४ |
| ३० | अहेव | ३ | ४ | ४ | ५ |
| ३१ | फिजियोथेरापिष्ट | १* | १* | १* | १ |
| ३२ | दन्त सहायक | १* | १* | १ | १+१* |
| ३३ | हाउस किपर | १ | १ | १ | २ |
| ३४ | अस्पताल प्रशासक | १* | १ | १ | १ |
| ३५ | सहायक प्रशासक | ~ | ~ | ~ | ~ |
| ३६ | लेखा अधिकृत | | १ | १ | १ |
| ३७ | मेडिकल रेकर्डर | १ | १ | २ | २ |
| ३८ | लेखापाल/स.लेखापाल | १ | ~ | ~ | ~ |

| सि. नं . | सेवा/समूह | १६ देखि २४ शैय्या | २५ देखि ५०शैय्या | ५१ देखि ७४ शैंया | ७५देखि १०० शैंया |
|---|---|---|---|---|---|
| ३९ | रिसेप्सोनिष्ट | ~ | ~ | ~ | ~ |
| ४० | स्टोर किपर | ~ | ~ | ~ | ~ |
| ४१ | फर्मासिष्ट/फार्मेसि सहायक | १# | १ | १ | २ |
| ४२ | इसिजी टेक्निसियन | १* | १* | १+१* | १+१# |
| ४३ | डाइटिसियन | १* | १* | १* | १+१* |
| ४४ | वार्ड एटेन्डेन्स महिला/पुरुष | ~ | ~ | ~ | ~ |
| ४५ | सुरक्षा गार्ड | ~ | ~ | ~ | ~ |
| ४६ | अडियोलोजी असिस्टेन्ट | १* | १* | १* | १* |
| ४७ | स्पिच थेरापिष्ट | १* | १* | १* | १* |
| ४८ | एनेस्थेसिया असिस्टेन्ट | १* | १ | १+१* | २ |
| ४९ | ईमर्जेन्सी फिजीसियन | | १* | १+१# | १+२# |
| ५० | ईमर्जेन्सी प्यारामेडिक्स | १+१# | १+२# | ३+२# | ३+३# |
| ५१ | ईमर्जेन्सी नर्स | १+१# | २+२# | ३+२# | ३+३# |

* = ऐच्छिक

# = पार्ट टाइम

^ = भेन्टिलेटर सहितको आइ.सि.यु भएमा

! = यदि गाइनेकोलोजिष्टरपेडियाट्रिसियन नभएमा अनिवार्य

@ = नर्सिङ्ग बिषयमा स्नातकोत्तर गरेको

~ = आवश्यकता अनुसार

| सेवा/समूह | पद/नाम | १०१ देखि २०० शैय्या | २०१ देखि २५० शैय्या |
|---|---|---|---|
| मेडिकल डाक्टर | अस्पताल सुपरीटेन्डेन्ट | १ | १ |
| | सहायक अस्पताल सुपरीटेन्डेन्ट | - | - |
| | फिजिसियन | ३+१* | ५+१* |
| | सर्जन | ३+१* | ५+१* |
| | एनेस्थेसिष्ट | २ | ४+१# |
| | रेडियोलोजिष्ट | २ | २ |
| | प्याथोलोजिष्ट | २ | ३ |
| | माइक्रोवायोलोजिष्ट | १ | १ |
| | बायोकेमिष्ट | १ | १ |
| | वालरोग विशेषज्ञ | २+२# | ४+१# |
| | हाड तथा जोर्नी विशेषज्ञ | २+१# | ३+१# |
| | स्त्री रोग विशेषज्ञ | ४ | ६ |
| | यौन तथा छाला रोग | १ | २ |
| | मुटुरोग विशेषज्ञ | १ | २ |
| | स्नायु रोग विशेषज्ञ | १ | २ |
| | मानसिक रोग विशेषज्ञ | १ | २ |
| | अन्य विषयगत विशेषज्ञ | १ | २ |
| | ईमर्जेन्सी फिजीसियन | २+१# | २+२# |
| | मेडिकल अधिकृत | १०+२# | १२+२# |

| | | | |
|---|---|---|---|
| प्यारामेडिक्स/प्राविधिक | ईमर्जेन्सी प्यारामेडिक्स | ४+१# | ४+२# |
| | ल्याव टेक्नोलोजिष्ट | ४ | ५ |
| | ल्याव टेक्निसियन (ल्याव, ब्लड वैंक) | ५ | ७ |
| | ल्याव सहायक टेक्निसियन | ४ | ६ |
| | रेडियोथेरापि टेक्नोलोजिष्ट | १ | १+१* |
| | रेडियोथेरापि टेक्निसियन | १+ | २+ |
| | मेडिकल फिजिसिष्ट | १* | १# |
| | सहायक मेडिकल फिजिसिष्ट | २ | ३ |
| | रेडियोग्राफीक अधिकृत | ३ | ४ |
| | रेडियोग्राफर | ५ | ६ |
| | फिजियोथेरापिष्ट | १ | १ |
| | फिजियोथेरापि टेक्निसियन | १ | २ |
| | फिजियोथेरापि सहायक | २ | २ |
| | अप्थलमोलोजिष्ट | १ | २ |
| | फुड एण्ड न्यूटीसनिष्ट सहायक | १ | २ |
| | फुड एण्ड न्यूटीसन सहायक | १ | २ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | अनुसन्धान तथा परामर्श अधिकृत ( जनस्वास्थ्य) | १ | २ |
| | फार्मेसिष्ट | २ | ४ |
| | साइटोटेक्निसियन | १ | २ |
| | ईसिजि टेक्निसियन | २ | २ |
| | ईको टेक्निसियन | २ | २ |
| | ओ.टी. सहायक | ३ | ५ |
| | मेडिकल रेकर्ड अधिकृत | १ | १ |
| | मेडिकल रेकर्ड सहायक | - | - |
| | सूचना प्रविधि अधिकृत | १ | १ |
| | सूचना प्रविधि सहायक | - | - |
| | एटेन्डेण्ट (ल्याव, व्लड बैंक, वार्ड, ओ.पी.डी.) | - | - |
| | सरसफाई सहायक | - | - |
| | बायोमेडिकल इन्जिनियर | १* | १ |
| | बायोमेडिकल टेक्निसियन | १ | १+१* |
| | ईलेक्टिसियन | ~ | ~ |
| | लिफ्ट अपरेटर | ~ | ~ |
| | प्लम्वर | ~ | ~ |
| | बगैचे | ~ | ~ |
| नर्सिङ | मेट्रोन | १ | १ |
| | सहायक मेट्रोन | २ | २ |
| | नर्सिङ सुपरभाईजर | १ | २ |
| | नर्सिङ अधिकृत | ५ | १० |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | स्टाफ नर्स/इमर्जेन्सी नर्स | ५०+२५# | १००+२५# |
| प्रशासन तथा मानव संसाधन व्यवस्थापन | अस्पताल प्रशासक/व्यवस्थापक | १ | १ |
| | सहायक अस्पताल प्रशासक/व्यवस्थापक | ~ | ~ |
| | प्रशासकीय अधिकृत | १ | २ |
| | प्रशासन सहायक | ~ | ~ |
| | रिसेप्सनिष्ट | ~ | ~ |
| | ड्राईभर | ~ | ~ |
| | सुरक्षा गार्ड | ~ | ~ |
| | सहयोगिवा एटेन्डेन्ट | ~ | ~ |
| | लेखा अधिकृत | १ | १ |
| | सहायक लेखा | ~ | ~ |
| | लेखापाल | ~ | ~ |
| | सहायक लेखापाल | ~ | ~ |
| | स्टोर अधिकृत | १ | १ |
| | स्टोर सहायक | ~ | ~ |

* = ऐच्छिक

# = पार्ट टाइम

+= यदि अंकोलोजी सेवा उपलब्ध भएमा

~ = आवश्यकता अनुसार

## अनुसूची - १४

### (नियम १९सँग सम्बन्धित)

### स्वास्थ्य क्लिनिक, पोलिक्लिनिकको न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार सम्बन्धी मापदण्ड

१. बिरामीको जाँच गर्ने कोठा भन्टिलेटेड वा वातानुकुलित हुनुपर्ने र सेवा अनुसारको छुट्टाछुट्टै कोठा हुनुपर्ने (कम्तीमा १४ वर्ग मिटरको) - १

२. बिरामी बस्ने ठाउँ (कुर्ने ठाउँ) - १

३. बिरामी जाँच्ने टेबुल - १

४. चिकित्सकको लागि टेबुल - १

५. चिकित्सकको लागि कुर्सी - १

६. बिरामी बस्ने टुल - १

७. शौचालयको व्यवस्था - १

८. टेलिफोन - १

९. स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी सूचनामूलक पोष्टर तथा अन्य सामाग्री

१०. पिउने पानीको आपूर्ति भएको हुनुपर्ने ।

११. सेवा र बिषय अनुसारको आवश्यक औजार उपकरणहरुको व्यवस्था हुनुपर्नेछ।

१२. बिरामीको सम्पूर्ण विवरण राख्नको लागि कम्प्यूटर वा रजिष्टर हुनुपर्नेछ ।

१३. क्लिनिकमा प्रयोग गरिने सम्पूर्ण औजारहरु अनिवार्यरुपमा निर्मलीकृत गर्ने व्यवस्था हुनुपर्नेछ ।

१४. क्लिनिकमा काम गर्ने अन्य व्यक्तिको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणप्रत्र र सम्बन्धित परिषद्मा अनिवार्य रुपमा दर्ता प्रमाण पत्र क्लिनिकमा राखेको हुनुपर्नेछ ।

१५. सेवा शुल्क र आयकर प्रमाणपत्र सवैले देख्ने ठाउँमा राख्नुपर्नेछ ।

१६. क्लिनिकले उपलब्ध गराएको सेवा सम्बन्धी मासिक प्रतिवेदन सम्बन्धित स्वास्थ्य कार्यालयमा पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।

## अनुसूची - १५

### (नियम २० को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)

### रेडियोलोजी तथा इमेजिङ सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्य संस्थाले पुरा गर्नुपर्ने मापदण्ड

**(क) एक्सरेको लागिः**

१. एउटा एक्सरे मेसिन इन्सटल गर्नको लागि कम्तीमा २२५ स्क्वायर फिटको कोठा उपलब्ध हुनुपर्नेछ।

२. एक्सरे गर्ने कोठाको वाल थिकनेस (क) ९ इन्च प्लास्टर अफ पेरिस सहितको वा (ख) २० एमएम लिड ब्यारियर सहितको ६ इन्च वा (ग) २.० एम एम लिड थिकनेस हुनुपर्नेछ । साथै झयाल, ढोका तथा भित्ताबाट हुने विकीकरणको चुहावट हुन नसक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गरेको हुनुपर्नेछ।

३. एक्सरे सेवा प्रदान गर्ने व्यक्तिकोलागि एक्सरे कोठा भित्र ०.५ एमएमको एप्रोन तथा विकिरण सुरक्षण विधिको व्यवस्था हुनुपर्नेछ।

४. रेडियोलोजिमा कार्यरत कर्मचारीहरुको लागि रेडियसन डोज मोनिटर उपलब्ध हुनुपर्नेछ र समय समयमा रेडियसन सर्भे मोनिटरिङ गर्नुपर्नेछ।

५. आँखा, जनेन्द्रिय, थाइराइड ग्रन्थीआदिको सुरक्षाको लागि लिड ग्लास/ग्लोभस/लिड एप्रोनको व्यवस्था हुनुपर्नेछ।

६. एक्स-रे एक्स्पोज गर्ने कोठा डार्करुम र प्रतिक्षा गर्ने कक्ष छुट्टाछुट्टै हुनुपर्नेछ।

७. रेडियोलोजि तथा इमेजिङ कक्षमा जनसाधारणाले देख्ने ठाउँमा एक्स-रे विकिरणले स्वास्थ्यमा खराव असर पर्न सक्छ भन्नेबारे सूचना टाँस गर्नुपर्नेछ। साथै सूचनामा गर्भवती महिला तथा बालबालिकालाई अनावश्यक बिकिरणबाट बच्न अनुरोध गर्नुपर्नेछ।

८. प्रचलित कानून अनुसार रेडियोलोजी सम्बन्धी मेशिन नेपाल भित्र ल्याउन र सञ्चालन गर्नुपर्नेछ।

**(ख)सी.टी. स्क्यान र एम.आर.आईः**

सी.टी. स्क्यान र एम.आर.आई जस्ता उपकरण जडान गर्दा उत्पादन गर्ने कम्पनीले तोकेको निर्देशिकाको पूर्णरुपमा पालना गर्नुपर्ने र न्यूनतम पूर्वाधारहरु देहाय बमोजिमको हुनुपर्नेछः-

१. सी.टी. स्क्यान र एम.आर.आई राख्ने कोठाको साईज कम्तीमा १६"२० फीटको हुनुपर्नेछ ।

२. सी टी स्क्यानको लागि विकिरण लिकेज हुन नदिनका लागि माथी एक्सरेको लागि उल्लेख भए बमोजिम पूर्वाधारहरुको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।

३. एम.आर.आई. को कोठाको लागि वाह्य चुम्बकीय असर नपर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।

४. कन्ट्रोल रुम कम्तीमा १०"१२ फीटको हुनुपर्नेछ।

५. सी टी स्क्यान मेशिन गुणस्तरयुक्त र स्पाइरल (हेलिकल) हुनुपर्नेछ।

६. एम आर आई ०.५ टेस्लावा ०.२ टेस्लाभएमा एम.आर.आई / एन्जिओग्राफी सुविधा भएको हुनुपर्नेछ ।

७. प्रचलित कानून अनुसाररेडियोलोजी सम्बन्धी मेशिन नेपाल भित्र ल्याउन र सञ्चालन गर्नुपर्नेछ।

(ग) **रेडियोलोजी सेवाको लागि आवश्यक जनशक्ति तथा योग्यताः**

रेडियोलोजी सेवाको लागि आवश्यक जनशक्ति तथा योग्यता देहाय बमोजिम हुनुपर्नेछः-

१. रेडियोलोजिष्टः मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट चिकित्सा शास्त्रमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरी रेडियोलोजी विषयमा एम डी, डी एम आर डी ,एफ आर सी आर वा सो सरह कोर्ष उतीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ ।

२. रेडियोलोजी एण्ड ईमेजिङ्गको रिपोर्टिङ्ग रेडियोलोजिष्टहरुले मात्र गर्न पाउनेसाथै रेडियोलोजिकल ईन्टरभेनसनल प्रोसिडरहरु पनि रेडियोलोजिष्टले नै गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।

३. रेडियोलोजी सेवाको लागि आवश्यक जनशक्ति वा योग्यता निम्न बमोजिम हुनुपर्नेछः-

(क) मेडिकल फिजिसिष्ट वा मेडिकल फिजिक्स बिषयमा स्नातक वा स्नातकोत्तर उर्तीण गरेको

(ख) वायोमेडिकल ईन्जीनीयर, बायोमेडिकल ईन्जीनीयरिङ्ग विषयामा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट स्नातक तह उतीर्ण ।

(ग) सिनियर रेडियोग्राफीक टेक्नोलोजिष्टः सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर रेडियोग्राफी गरी कम्तीमा स्नातकतहमा ३ वर्ष काम गरेको।

(घ) रेडियोग्राफीक अधिकृत (रेडियोग्राफिक टेक्नोलोजिष्ट):- चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान वा नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त अन्य संस्थानबाट रेडियोग्राफीक विषयमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने। साथै नेपाल स्वास्थ्य व्यावसायिक परिषदमा दर्ता हुनुपर्ने ।

(ङ) रेडियोग्राफरः चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानबाट वा नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त अन्यसंस्थाबाट रेडियोग्राफी बिषयमा प्रमाण पत्र तह उतीर्ण गरेको हुनुपर्ने ।

**(घ) विकिरण मापन तथा सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्थाः**

१. विकिरण सुरक्षा व्यवस्थित गर्न एक्सरे युनीटहरुको गुणस्तर नाप गर्नलाई चाहिने आवश्यक उपकरण खरीद गरी मन्त्रालयले तोकेको निकायमा राख्ने र अनुगमन तथा निरीक्षणमा प्रयोग गर्ने र गुणस्तर, मात्रा अनुगमन गर्ने। विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार कुनै काम गर्ने व्यक्तिमा विकिरणको मात्रा २० मिलिसिभर्ट (Milisievert) प्रति वर्ष को मापदण्ड अनुसार देखिएमा उपयुक्त क्षतिपूर्तिको व्यवस्था सम्बन्धित संस्थाले मिलाउनु पर्नेछ ।

२. अल्ट्रासोनोग्रामको प्रयोगसम्बन्धमा रेडियालोजिष्टहरु बाहेक आफ्नो क्षेत्रमा मात्र प्रयोगमा ल्याउने गरी मान्यता प्राप्त संस्थबाट कम्तीमा ३ महिनाको अल्ट्रासोनोग्राम तालिम प्राप्त गरेको स्त्री तथा प्रसूति रोग सम्बन्धी बिशेषज्ञहरुले प्रयोग गर्न पाउनेछन्।सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने निम्न बमोजिमको उपकरणहरुको व्यवस्था हुनुपर्नेछः

(क) इमर्जेन्सी सेवामा चाहिने औषधि लगायत औजार, उपकरणहरुको व्यवस्था हुनुपर्ने ।

(ख) स्टेचर, ह्वील चियरको व्यवस्था हुनुपर्ने।

(ग) शौचालयको राम्रो व्यवस्था हुनुपर्ने।

(घ) रेकर्डिङ्ग तथा रिपोर्टिङ्गको लागि छुट्टै कोठाको व्यवस्था हुनुपर्ने।

(ङ) बैकल्पिक बिद्युतको लागि जेनेरेटरको व्यवस्था हुनुपर्ने।

(च) बिरामीको लागि र बिरामी कुरुवा बस्नको लागि कोठा लगायत बेञ्चको व्यवस्था हुनुपर्ने।

(छ) स्टोर, रिपोर्ट डिस्ट्रीव्यूसनको लागि छुट्टाछुट्टैकोठाको व्यवस्था हुनुपर्ने।

(ज) वातानुकुलन मेसिनको व्यवस्था हुनुपर्ने, एक जना कम्तीमा रेडियोलोजि विषयमा प्रविणता प्रमाण पत्र तह उर्तीण गरेको व्यक्तिको व्यवस्था हुनुपर्नेछ।

(झ) विकिरण क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिलाई अनिवार्य रुपमा रेडियसन भत्ताको व्यवस्था हुनुपर्नेछ।

**(ङ) रेडियोलोजी सेवाको लागि न्यूनतम उपकरण तथा जनशक्ति पूर्वाधारहरुः**

| सि.न. | विवरण | क्लिनीक | १६ - २४ शैय्या | २५ - ५० शैय्या | ५१ - १०० शैय्या | १०१-२०० शैय्या | २०१-२५० शैय्या |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | एक्सरे मेशीन | १०० एमए- १ | ३०० एमए-१ | ३०० एमए-१ | ५०० एमए-१ ३०० एमए-१* | ३०० एमए देखि ५०० एमए सम्म- १+१ | ३०० एम ए देखि ५०० एम ए सम्म —२ +२* |
| २ | एक्सरे मेशिन पोर्टेवल मोवाईल | स्वेच्छिक | १०० एम ए-१ | १०० एमए-१ | १०० एमए-१ | १ | २ |
| ३ | एक्सरे मेशिन इमेज इन्टेन्सिफाएर | | | | | १ | १ |
| ४ | अल्ट्रासाउण्ड मेशिन कलर ड्रपलेर र गाइडेड बायोप्सी सहित | स्वेच्छिक | २ | १ | १ | २ | २ |
| ५ | सि.आर./डि.आर. प्रोसेसर | स्वेच्छिक | १+१ | १+१ | १+२ | १+१ | १+२ |
| ६ | स्पाइरल सि.टी. स्क्यान | स्वेच्छिक | १* | १* | १* | १* | १* |
| ७ | ०.५टेस्ला एम.आर.आई.मेसिन | स्वेच्छिक | १ | १ | १ | १ | १ |

| सि.न. | विवरण | क्लिनीक | १६ - २४ शैय्या | २५ - ५० शैय्या | ५१ - १०० शैय्या | १०१-२०० शैय्या | २०१-२५० शैय्या |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ८ | पि.ई.टी. स्क्यान * | स्वेच्छिक | १* | १* | १* | १* | १* |
| ९ | मेमोग्राफी मेसिन | स्वेच्छिक | १ | १ | १ | १ | १ |
| | **जनशक्ति** | | | | | | |
| १ | रेडियोलोजिष्ट | आशिंक समय | आशिंक समय | १ | १ | २ | ४ |
| २ | सिनियर रेडियोग्राफिक टेक्नोलोजिष्ट | आशिंक समय | आशिंक समय | १ | २ | २ | ४ |
| ३ | रेडियोग्राफिक अधिकृत | १ | १ | २ | २ | २ | ४ |
| ४ | रेडियोग्राफर | २ | २ | ३ | ३ | ३ | ४ |
| ५ | रेडियोग्राफिक अधिकृत | १ | १ | २ | २ | ३ | ४ |
| ६ | वायोमेडिकल ईञ्जिनीयर | - | स्वेच्छिक | स्वेच्छिक | स्वेच्छिक | १ | २ |
| ७ | मेडिकल फिजिसिष्ट | - | स्वेच्छिक | स्वेच्छिक | स्वेच्छिक | १ | २ |

** सि.टी. स्क्यान कम्तिमा १२८ स्लाइस एम.आर.आई. १.५ टेस्लाको हुनुपर्नेछ।

*आवश्यकता अनुसार

अनुसूची -१६

(नियम २३ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

## आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा सम्बन्धी स्वास्थ्य संस्थाको आधारभूत मापदण्ड

(क) आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दा वा चिकित्सा व्यवसाय गर्दा सम्बन्धित बिषयमा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट स्नातक वा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी नेपाल आयुर्वेद चिकित्सा परिषदमा दर्ता भएको हुनुपर्नेछ ।

(ख) पञ्चकर्म सेवा केन्द्रमा सम्बन्धित बिषयमा कम्तीमा बि.ए.एम.एस वा सो सरह उपाधि प्राप्त व्यक्तिबाट वमन, विरेचन, शिरोविरेचन, आस्थापन, अनुवासन वस्ति र रक्तमोक्षण (जलौका प्रविधि) र अन्य रक्तमोक्षण क्रियाको लागि शल्य चिकित्सामा स्नातकोत्तर गरेको र उत्तरवस्तिको लागि स्त्री तथा प्रसुति तन्त्र विषयमा स्नातकोत्तर गरेको हुनुपर्नेछ।शालाक्य तन्त्र सम्बन्धी चिकित्साकर्म (क्रियाकल्प) सेवा प्रदानका लागि शालाक्य तन्त्रमा स्नातकोत्तर गरेको हुनुपर्नेछ।

(ग) आयुर्वेद स्वास्थ्य संस्था स्थापना तथा सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार, औजार-उपकरण र सेवाको गुणस्तर सुनिश्चिताको आधारमा मात्र संस्थाको स्वीकृति दिन सकिनेछ।

(घ) रोग निदानार्थ आवश्यक पर्ने ई.सि.जी., इ.इ.जी, प्याथोलोजी, रेडियोलोजी तथा अन्य आवश्यक सेवाहरु सञ्चालन गर्नुपरेमा सम्बन्धित बिषयको जनशक्ति र सो सम्बन्धी भौतिक पूर्वाधार, औजार उपकरण र नीति नियमको पालना गर्नुपर्नेछ।

(ङ) इन्ट्रिग्रेटेड (बैकल्पिक चिकित्साका विधा समेत) क्लिनिक, नर्सिङ्ग होम वा अस्पताल भनी स्वीकृतिका लागि माग भएमा कुन कुन बिषय र सेवा दिने

उद्देश्य राखिएको हो, सो प्रष्ट उल्लेख गरि सोही बमोजिमका जनशक्ति, औजार उपकरण र भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।

(च) बिरामीको उपचारको क्रममा आवश्यकता अनुसार उपयुक्त स्थानमा प्रेषण (रिफर) गर्नुपर्नेछ।

(छ) आयुर्वेद स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीलाई संक्रमण सुरक्षा सम्बन्धी आवश्यक तालिम दिनुपर्नेछ।

(ज) संस्थामा काम गर्ने चिकित्सक सरकारको बहालवाला कर्मचारी भएमा सम्बन्धित सरकारी निकायको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्नेछ।

(झ) आयुर्वेद चिकित्सा विद्यामा स्वास्थ्य रक्षा, रोग निवारण, औषधि द्रव्य काष्ठौषधि, रसौषधिको प्रयोग गरिने चिकित्सा सेवा, परामर्श सेवा र आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवामा उल्लेखित पूर्वकर्म अन्तर्गतका निराग्नी स्वेद (जल, वायु, सूर्यकिरण, पार्थिव तत्वको प्रयोग), अग्नि स्वेदन, अभ्यङ्ग, सत्वावजय चिकित्सा (योगाभ्यास, ध्यान आदि) को माध्यमबाट रोगको रोकथाम वा दीर्घजीवनको लागि सञ्चालन गरिने संस्थाहरुले आयुर्वेद स्वास्थ्यकर्मीहरु, भौतिक पूर्वाधार, आवश्यक औजार उपकरण र तोकिएको मापदण्ड पूरा गरि जुन सुकै नाममा सञ्चालन भएतापनि आधार ग्रन्थ सहित अनुमति प्रदान गर्ने निकायबाट अनुमति लिएर मात्र सञ्चालन गर्न पाइनेछ।

## अनुसूची - १७

## आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा प्रणाली अन्तर्गतका सेवाहरु

## (नियम २३ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)

(क) आतुर विकार प्रशमन (रोग उपचार)

१. युक्ति व्यापाश्रय चिकित्सा (निदान सेवा)

२. संशमन चिकित्सा (औषधि चिकित्सा)

३. संशोधन चिकित्सा (पञ्चकर्म शोधन चिकित्सा)

४. दैव व्यापाश्रय चिकित्सा

५. सत्वावजय चिकित्सा

६. शस्त्र-प्रणिधान चिकित्सा

७. योगाभ्यास कर्म

८. जनपदोद्ध्वंशगत रोगको चिकित्सा कर्म

(ख) स्वास्थ्य प्रवर्द्धनात्मक, स्वास्थ्य रक्षा तथा प्रतिरोधात्मक स्वास्थ्य सेवा

१. प्रकृति विनिश्चय (वात, पित्त, कफ) र परामर्श

२. स्वस्थवृत्त पालन-ऋतुचर्या, दिनचर्या, रात्रिचर्या, पथ्यापथ्य, आहार विहार

३. रसायन सेवा

४. वाजीकरण सेवा

५. पञ्चकर्म तथा क्रियाकल्प सेवा

६. योगाभ्यास

अनुसूची - १८

(नियम २३ को उपनियम (४) सँग सम्बन्धित)

**आयुर्वेद स्वास्थ्य क्लिनिक/पोलिक्लिनिक सम्बन्धी मापदण्ड तथा पूर्वाधारहरु**

१. आयुर्वेद पोलिक्लिनिक सेवा सञ्चालन गर्दा एउटै व्यवस्थापन अन्तर्गत रही तीन वा सो भन्दा बढी सेवा प्रदान गर्नुपर्ने र औषधि सेवाको व्यवस्था समेत हुनुपर्नेछ।

२. स्वास्थ्य जाँच गर्ने तथा परामर्श दिने व्यक्ति कुनै पनि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तीमा पनिबि.ए.एम.एस. वा सो सरहको चिकित्सा सम्बन्धी उपाधि प्राप्त गरी नेपाल आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् दर्ता भएको हुनुपर्नेछ ।

३. कुनै एक सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक न्यूनतम भौतिक सुविधाहरु निम्न अनुसारको हुनुपर्नेछः-

क) बिरामीको जाँच गर्ने भेन्टिलेटेड कोठा सेवा अनुसारको छुट्टाछुट्टै हुनुपर्नेछ (कम्तीमा १४x १० वर्गफिट)

ख) बिरामी बस्ने ठाउँ (कुर्ने ठाउँ)

ग) बिरामी जाँच्ने टेवुल

घ) चिकित्सकको लागि कुर्सी

ङ) चिकित्सकको लागि टेबुल

च) बिरामी बस्ने कुर्सी/टुल

छ) बिरामी कुर्न बस्ने बेन्चहरुको व्यवस्था

ज) शौचालयको व्यवस्था (महिला, पुरुष)

झ) टेलिफोन ।

४. आवश्यक औजार उपकरणहरु निम्न अनुसारको हुनुपर्नेछः-

क) थर्मोमिटर - १

ख) तौल लिने मेशिन - १

ग) उचाई नाप्ने मेशिन - १

घ) टङ्ग डिप्रेशर (डिस्पोजेबल) - आवश्यकता अनुसार

ङ) ब्लड प्रेशर जाँच्ने मेशिन - १

च) स्टेथोस्कोप - १

छ) ई.एन.टी. सेट - १

ज) प्रोक्टोस्कोप - २

झ) एनोरेक्टल प्रोव - आवश्यकता अनुसार

ञ) सिरिन्ज - आवश्यकता अनुसार

ट) टर्चलाइट - १

ठ) पञ्जा -आवश्यकता अनुसार

ड) मास्क, एप्रोन- आवश्यकता अनुसार

ढ) किड्नी ट्रे-२

ण) रङ्ग अनुसारका फोहर फाल्ने बाल्टीन-आवश्यकता अनुसार

त) मेटालिक टङ्ग डिप्रेसर-२

थ) मेजरिङ्ग टेप-२

द) ट्युनीङ्ग फोर्क (५१० हर्जको) -१

ध) गोनियो मिटर-१

न) एनिमा पट-१

५. अन्य व्यवस्था (थप मापदण्ड):

क) विशेषज्ञ सेवा र बिषय अनुसारको आवश्यक औजार उपकरणहरुको व्यवस्था हुनुपर्नेछ ।

ख) बिरामीको सम्पूर्ण विवरण राख्नको लागि एउटा रजिष्टर हुनुपर्नेछ ।

ग) क्लिनिकमा प्रयोग गरिने सम्पूर्ण औजारहरु अनिवार्य रुपमा निर्मलिकृत गरिएको हुनुपर्नेछ

घ) क्लिनिकमा काम गर्ने व्यक्तिले आफ्नो योग्यताको प्रमाणपत्र तथा नेपाल आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् को दर्ता नं., सेवा शुल्क र आयकर प्रमाणपत्र सबैले देख्ने ठाउँमा राख्नुपर्नेछ ।

ङ) मासिक प्रतिवेदन नियम अनुसार सम्बन्धित जिल्लाको आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, आयुर्वेद चिकित्सालयमा पठाउने व्यवस्था हुनुपर्नेछ ।

## अनुसूची -१९
## (नियम २३ को उपनियम (५) सँग सम्बन्धित)
## आयुर्वेद पूर्वकर्म, पञ्चकर्म क्लिनिक वा सेवा केन्द्र सम्बन्धी मापदण्ड तथा पूर्वाधारहरु

१. **भौतिक पूर्वाधारः** आयुर्वेद पञ्चकर्म सेवा प्रदान गर्ने केन्द्र, हेल्थ क्लव र हेल्थ रिसोर्टहरु सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने अभ्यङ्ग, स्वेदन, स्नान, वमन, विरेचन, शिरोविरेचन, वस्ति आदि उपचार कक्षहरु र सोका लागि देहायका सामग्रीहरुको व्यवस्था हुनुपर्नेछ ।यसका साथै औषधि निर्माण कक्ष, प्रकृति परीक्षण, सत्वावजय चिकित्सा, योग ध्यान एवं अन्य सहायकहरुका लागि आवश्यक कक्षहरु हुनुपर्नेछ। साथै उपयुक्त किसिमका पुस्तकालय, शौचालय आदिको व्यवस्था हुनुपर्नेछ।

क) अभ्यङ्ग कक्ष

ख) स्वेदन कक्ष (ग्यास सिलिण्डर कक्ष बाहिर हुनुपर्ने)

ग) अभ्यङ्ग टेबुल

घ) सर्वाङ्ग स्वेदन बक्स

ङ) नाडि स्वेदन यंत्र

च) वस्ति यंत्र सेट

छ) वमन टेबुल सहित वमन कक्ष

ज) शौचालय संलग्न रहेको विरेचन कक्ष

झ) विरेचन कुर्सी

ञ) नस्य कुर्सी

ट) शिरोधारा टेबुल सहित सेट

ठ) शिरो बस्ति सेट

ड) जानु बस्ति, कटि बस्ति आदि सेट

ढ) कटि स्वेदन टब

ण) अवगाह स्वेदन टब

त) संसर्जन कर्मका लागि भोजनालय

२. **पञ्चकर्म सेवाहरुः** यी सेवा केन्द्रहरु व्यवस्थित रुपमा सञ्चालित गरिनुपर्नेछ।यी केन्द्रहरुबाट दिइने सेवाहरु आयुर्वेद चिकित्सा सिद्धान्त अनुसार रसायन, वाजीकरण, स्वास्थ्य प्रवर्द्धनात्मक, प्रतिरोधात्मक, पुनःस्थापन एवं उपचारात्मक कर्ममा आधारित रहनुपर्नेछ। रसायन, वाजीकरण सेवा पनि दिनुपर्नेछ। पञ्चकर्म र सो सम्बन्धी सेवाहरु निम्नानुसार गर्नुपर्नेछः-

**(क) पञ्चकर्म**

(१) पूर्वकर्महरुः स्नेहन, स्वेदन, अभ्यङ्ग, पिण्डस्वेद, नाडी र पिचु आदि ।

(२) संसर्जन, रसायन कर्म

(३) प्रधानकर्महरुः वमन, विरेचन, वस्ति (अनुवासन, आस्थापन, शिरोविरेचन,रक्तमोक्षण जलौका)

नोटः पञ्चकर्मको प्रधानकर्म सञ्चालनका लागि अन्तरंग सेवा सञ्चालन स्वीकृति अनिवार्य हुनेछ।

**(ख) पश्चात् कर्म**

**(ग) अन्य कर्म**

(१) अभ्यङ्ग, स्वेदन, २३ प्रकार स्वेद वाह्य वस्ति, शिरोधारा, शिरो वस्ति, तेल, स्नान, लेप, कटिस्नान, पादस्नान आदि कर्महरु ।

(२) सत्वावजय कर्मः सत्वावजय, योग, ध्यान, नाद चिकित्सा आदि कर्महरु ।

(३) क्रियाकल्प चिकित्सा कर्मः नेत्र सेक, अवगुण्डन, पिण्डि, तर्पण, पुटपाक, अन्जन, कर्णधुपन, कर्णप्रमार्जन, नासापिचुवर्ति, धुपन आदि कर्महरु ।

३. **आवश्यक जनशक्तिहरूः** आयुर्वेद चिकित्सा अन्तर्गत पञ्चकर्म र सम्बन्धित कुनै पनि कर्महरु दक्ष अनुभवी आयुर्वेद चिकित्सकहरुको मातहतमा रहेर मात्र दिइनु पर्नेछ । निम्नानुसार योग्यता भएका जनशक्तिहरुबाट उपरोक्त सेवाहरु सञ्चालन गर्नु पर्नेछः—

(क) आयुर्वेद चिकित्सकः आयुर्वेद चिकित्सा प्रणालीमा स्नातक वा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्तगरी नेपाल आयुर्वेद परिषदमा दर्ता भएको हुनुपर्छ।

(ख) पञ्चकर्म चिकित्सा सहायकः आयुर्वेद चिकित्सा प्रणालीमा प्रमाणपत्र तह वा आयुर्वेद स्वास्थ्य सहायक तह उत्तीर्ण गरी न्यूनतम ३ महिनाको पञ्चकर्म तालिम प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ ।

(ग) पञ्चकर्म सह-सहायकः कम्तीमा एस. ई.ई. .पास गरी आयुर्वेद चिकित्सकको मातहतमा रही सो सम्बन्धी आवश्यक कर्महरुको तालिम सहितको २ वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको ।

(घ) अभ्यङ्गकर्ता (महिला र पुरुष दुवै): कम्तीमा एस. ई.ई. कक्षा पढी २ वर्षसम्म आयुर्वेद चिकित्सकको मातहतमा वसी अभ्यङ्गकर्ताको रुपमा अनुभव प्राप्त गरेको ।

४. आयुर्वेद अभ्यङ्ग कर्म मात्र दिइने केन्द्रहरुबाट विश्रान्ती अभ्यङ्ग कर्म मात्र दिन सक्नेछन् र सो कर्मका लागि न्यूनतम सुपरिवेक्षण प्राविधिक निरीक्षण टोलीद्वारा समय समयमा गरिनेछ।

**५.** पूर्वकर्म पञ्चकर्म चिकित्सा गर्दा प्रयोग हुने औषधि तथा अन्य द्रव्यः

(क) क्वाथ, फाण्ट, अर्क, स्वरस

(ख) अवलेह, पाक, खण्ड, कृसरा

(ग) स्नेह, प्रस्तर, मृदिका, जल, तेज, धुम्र, वास्प, कम्वल, वस्त्र, पट्ट, जल आदि ।

**६.** पश्चातकर्ममा प्रयोग हुने द्रव्य तथा निर्मित औषधि व्यवस्थाः

(क) सात्विक आहार, ऋृतु तथा दिनचर्या, ब्रम्हचर्या पालन

(ख) औषधि-चूर्ण, वटी, फान्ट, अवलेह

(ग) आसव, अरिष्ट

(घ) लौह, मण्डुर

(ङ) तेल, घृत

(च) रस, रसायन

(छ) लेप, मलहम

(ज) भष्म, पिष्टी ।

अनुसूची - २०

(नियम २३ को उपनियम (६) सँग सम्बन्धित)

## आयुर्वेद अस्पतालको सेवा तथा पूर्वाधार सम्बन्धी मापदण्ड

| सि.नं. | विवरण | ५-१५ शैय्या सम्म | १६—२४ शैय्या सम्म | २५—५० शैय्या सम्म |
|---|---|---|---|---|
| **१ भौतिक पूर्वाधार** | | | | |
| क. | जग्गा मापदण्डः सडकसँग जोडिएको हुनुपर्ने (प्रति शैय्या ५० व.मि.) | ✓ | ✓ | ✓ |
| ख. | सवारी साधन आवत जावत तथा पार्किङ्गको लागि पर्याप्त ठाउँ हुनुपर्ने | ✓ | ✓ | ✓ |
| ग. | प्रवेशद्वार र निकासद्वार - गेट छुट्टाछुट्टै हुनुपर्ने | | ✓ | ✓ |
| घ. | सञ्चार, बिजुली , शौचालय (महिला, पुरुष) अपाङ्ग मैत्री तथा खानेपानीको व्यवस्था हुनुपर्ने | ✓ | ✓ | ✓ |
| **२ सेवा** | | | | |
| वहिरङ्ग | | ✓ | ✓ | ✓ |
| अन्तरङ्ग | | ✓ | ✓ | ✓ |
| **३ जनशक्ति** | | | | |
| क. | आयुर्वेद चिकित्सामा स्नातकोत्तर उपाधि (एम.डि./एम.एस.) | आवश्यकता अनुसार | १ | ३ |

| सि.नं. | विवरण | ५-१५ शैय्या सम्म | १६–२४ शैय्या सम्म | २५–५० शैय्या सम्म |
|---|---|---|---|---|
| ख. | चिकित्सक (बि.ए.एम.एस.) वा सो सरह | ३ | ४ | ५ |
| ग. | आयुर्वेद सहायक (प्रमाणपत्र तह) सो सरह | ३ | ४ | ५ |
| घ. | आयुर्वेद सहायक कार्यकर्ता (ए.ए.एच.डब्लु) वा सो सरह | ५ | ६ | ८ |
| ङ. | पञ्चकर्म चिकित्सक | आवश्यकता अनुसार | १ जना (सेवा सञ्चालन भएमा) | २ जना (सेवा सञ्चालन भएमा) |
| च. | अभ्यङ्गकर्ता | २ जना (महिला १ जना र पुरुष १ जना) | ४ जना (महिला २ जना र पुरुष २ जना) | ६ जना (महिला ३ जना र पुरुष ३ जना) |
| छ. | नर्सिङ्ग अधिकृत | - | - | १ |
| ज. | स्टाफ नर्स | २ | ३ | ६ |
| झ. ञ. | अ.न.मि. | ४ | ५ | ८ |
| ट. | ल्याव टेक्नोलोजिष्ट | स्वैच्छिक | स्वैच्छिक | १ |
| ठ. | ल्याव टेक्निसियन | स्वैच्छिक | १ | १ |
| ड. | ल्याव असिस्टेण्ट | १ | १ | १ |
| ढ. ४ | रेडियोलोजि/ यु.एस.जी. | | | |

| सि.नं. | विवरण | ५-१५ शैय्या सम्म | १६–२४ शैय्या सम्म | २५–५० शैय्या सम्म |
|---|---|---|---|---|
| ण. | रेडियोलोजिष्ट | - | - | स्वैच्छिक |
| त. | रेडियोग्राफर | स्वैच्छिक | स्वैच्छिक | १ |
| थ. | हेल्पर | स्वैच्छिक | स्वैच्छिक | १ |
| **५ कर्मचारी प्रशासन** | | | | |
| क. | अधिकृत | - | स्वैच्छिक | १ |
| ख. | नायव सुब्बा | स्वैच्छिक | १ | १ |
| ग. | लेखापाल | स्वैच्छिक | १ | १ |
| घ. | सहलेखापाल | १ | स्वैच्छिक | स्वैच्छिक |
| ङ. | कम्प्यूटर अपरेटर | १ | १ | १ |
| च. | इलेक्ट्रिसियन | १ | १ | १ |
| छ. | कार्यालय सहयोगी/माली | ५ | ५ | १० |
| ज. | भान्छे | १ | २ | २ |
| झ. | ड्राइभर | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार |
| ञ. | कुचिकार | १ | १ | १ |
| ६ | **उपकरण** | | | |
| क. | स्टेथेस्कोप (प्रत्येक उपचार कक्षमा) | ४ | ६ | १० |
| ख. | बि.पी. सेट (प्रत्येक उपचार कक्षमा) | २ | ५ | १० |
| ग. | डिजिटल थर्मोमिटर (आवश्यकता अनुसार) | ३ | ५ | १० |
| घ. | तौलिने मेसिन | २ | ३ | ४ |
| ङ. | उचाई नाप्ने साधन | १ | १ | १ |

| सि.नं. | विवरण | ५-१५ शैय्या सम्म | १६–२४ शैय्या सम्म | २५–५० शैय्या सम्म |
|---|---|---|---|---|
| | (स्टेडियोमिटर) | | | |
| च. | टर्चलाइट | ३ | ३ | ६ |
| छ. | कटन, गज, ब्यान्डेज | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार |
| ज. | एप्रोन | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार |
| झ. | ग्लोभस | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार |
| ञ. | एक्स-रे भ्यु बक्स | १ | २ | ४ |
| ट. | अक्सिजन सिलेन्डर | २ | ४ | ६ |
| ठ. | अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर | १ | २ | ४ |
| ड. | ड्रम सेट | ४ | ६ | ८ |
| ढ | अटोक्लेभ | १ | २ | ३ |
| ण | सर्जिकलसेट | १ | ३ | ५ |
| त. | Suture सेट (differ ई.एन.टी. size) | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार |
| थ. | फोर्सेप | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार |
| द. | आर्टरीफोर्सेप | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार |
| ध. | कटिङ्गसिजर्स | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार |
| न. | कटिङ्गसेट | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार |

| सि.नं. | विवरण | ५-१५ शैय्या सम्म | १६–२४ शैय्या सम्म | २५–५० शैय्या सम्म |
|---|---|---|---|---|
| प. | बल्न्टसिजर्स | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार |
| फ. | सार्पसिजर्स | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार |
| ब. | ल्यान्सेट | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार |
| भ. | स्काल्पल र निडल होल्डर | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार |
| म. | ड्रेसिङ्गसेट | | | |
| य. | किड्नीट्रे, स्मलट्रे, लार्ज बाउल | ४ | ६ | १० |
| र. | डाइसेक्टिङ्गफोर्सेप, थम्बफोर्सेप (टुथ्डर अनटुथ्ड) | ४ | ६ | १० |
| ल. | ड्रेसिङ्गट्रली | २ | ३ | ४ |
| व. | ड्रेसिङ्गमेटेरियल्स, कटन | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार |

| सि.नं. | विवरण | ५-१५ शैय्या सम्म | १६-२४ शैय्या सम्म | २५-५० शैय्या सम्म |
|---|---|---|---|---|
| श. | जाइलोकेन र डिस्पोनेबलसिरिन्ज | ५० | १०० | २०० |
| ष. | क्याथेटरसेट | | | |
| स. | प्लेन, फोलिजरम्याटलिकोट | १० | २० | ३० |

| सि.नं. | विवरण | ५-१५ शैय्या सम्म | १६-२४ शैय्या सम्म | २५-५० शैय्या सम्म |
|---|---|---|---|---|
| | क्याथर | | | |
| ह. | डाइग्नोष्टिकसेट | | | |
| **सामान्य** | | | | |
| | टङ्ग स्प्याचुला (काठको) | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार |
| | टर्चलाइट/इमरजेन्सीलाइट | ३ | ४ | ५ |
| **बिशिष्टिकृत** | | | | |
| | ई.एन.टी.सेट | १ | २ | ३ |
| | गाइनोकोलोजिकल जाँच सेट, डी एण्ड सीसेट, ककस, सिम्सस्पेकुलम, इमेमासेट | २ | ५ | १० |
| | नियोनेटल केयर सेट | १ | १ | २ |
| | म्याकिन्टोस सिट, क्यालिज प्याड | ६ | ६ | ८ |
| **अन्य** | | | | |
| | प्रोटोस्कोप | ४ | ६ | १० |
| | ल्यार्‍याङ्गोस्कोप | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार |
| | अप्थ्यालमोस्कोप | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार |
| | टोनोमिटर | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार |

| सि.नं. | विवरण | ५-१५ शैय्या सम्म | १६-२४ शैय्या सम्म | २५-५० शैय्या सम्म |
|---|---|---|---|---|
| | थुडिकम न्याजल स्पेकुलम | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार |
| **इमरजेन्सी केस व्यवस्थापनका लागि आवश्यक औजार तथा उपकरणहरु** | | | | |
| | नेबुलाइजर | १ | १ | १ |
| | न्यल्स ट्युब | १ | २ | ४ |
| | ग्याँस्ट्रिक ल्याभेजसेट | २ | २ | ३ |
| | शैय्यापर्दा | ३ | ३ | ४ |
| | मास्क | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार |
| | डिस्पोजेबल हेडक्याप | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार |
| | इयर सिरिन्जिङ सेट | २ | २ | २ |
| | उडन स्पिन्ट | ४ | ४ | ६ |
| | यूरोब्याग | ४ | ६ | १० |
| **(ख) अन्तरङ्ग सेवा** | | | | |
| | वार्डः पुरुष कोठा १० x २० स्क्वायर फिट | २ | ४ | ८ |
| | महिला कोठा १० x २० स्क्वायर फिट | २ | ४ | ८ |
| | चिकित्सा कोठा १०x१० स्क्वायर फिट | २ | ४ | ५ |
| | शौचालय (पुरुष तथा महिलाका लागि छुटाछुटै) | २ | ३ | ४ |

| सि.नं. | विवरण | ५-१५ शैय्या सम्म | १६-२४ शैय्या सम्म | २५-५० शैय्या सम्म |
|---|---|---|---|---|
| | वास वेशिन तथा पानी पर्याप्त | | | |
| | ह्विलचेयर- स्ट्रेचर/ट्रली | १ | २ | ६ |
| | चार्ट/लकर/फाइल केवीनेट | २५ | २५ | ५० |
| | बेड प्यान/शैय्या संख्याको आधारमा | ✓ | ✓ | ✓ |
| | कुरुवा बस्ने टुल (शैय्या संख्याको आधारमा) | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | | |
| | चिकित्सक कक्ष | १ | २ | २ |
| | नर्सेज डयूटी रुम १० x १५ स्क्वायर फिट | १ | २ | २ |
| | बिरामी ओसार्ने एम्बुलेन्स | स्वैच्छिक | स्वैच्छिक | ! |
| (ग) **औषधी स्टोरको पूर्वाधार** | | | | |
| | भेन्टिलेशनयुक्त १० x १५ स्क्वायर फिटसाइजको कोठा | १ | १ | १ |
| | बिरामी पूर्जा दर्ता गर्ने कक्ष | १ | १ | १ |
| | औषधी वनाउने टेबुल कुर्सी | १ | १ | १ |
| | बिरामीकालागि सोधपुछ तथा सहयोग कक्ष | १ | १ | १ |
| | भान्साघर | आवश्यकता | आवश्यकता | आवश्यकता |

| सि.नं. | विवरण | ५-१५ शैय्या सम्म | १६-२४ शैय्या सम्म | २५-५० शैय्या सम्म |
|---|---|---|---|---|
| | | अनुसार | अनुसार | अनुसार |
| **बहिरंग विभाग (ओ.पि.डि.)** | | | | |
| | बिरामी दर्ता कक्ष<br>बिरामी जाच्ने कोठा<br>लेखा प्रशासान कक्ष | १<br>१<br>१ | १<br>२<br>२ | १<br>४<br>२ |
| | आकस्मिक सेवा सुविधा अक्सिजन सेट आकस्मिक सेवामा आवश्यक अन्य उपकरण बिशेषज्ञ सेवाको हकमा सोहि अनुसारका जनशक्ति कक्ष र आवश्यक उपकरण हुनुपर्ने | आवश्यकता अनुसार | ३ सेट हरेकका ३/३सेट आवश्यकता अनुसार | ४ सेट हरेकका ४/४ सेट आवश्यकता अनुसार |
| | प्रयोगशाला कोठा | १ | १ | २ |
| | मनोपरामर्श एवं जीवनशैली कोठा | १ | १ | १ |
| | योगासन, प्राणायाम,ध्यान आदिका लगि (१६X ३२ ब.मि.=) | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार | १ |
| | पूर्वकर्म सेवाको लागि प्रत्येक सेवाको अलग अलग कक्ष | | | |

| सि.नं. | विवरण | ५-१५ शैय्या सम्म | १६-२४ शैय्या सम्म | २५-५० शैय्या सम्म |
|---|---|---|---|---|
| | • अभ्यङ्ग कक्ष | २ | २ | ४ |
| | • स्वेदन कक्ष (नाडि स्वेद लगायत १३ प्रकारका स्वेदनकालागि अलग अलग कक्ष | २ | २ | ४ |
| | • अभ्यङ्ग टेबुल | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार |
| | • सर्वाङ्ग स्वेदन यंत्र | २ | २ | ४ |
| | • नाडि स्वेदन यंत्र लगायत विविध १३ प्रकारका स्वेदनका लागि अलग अलग आवश्यक यंन्त्र | २ | २ | ४ |
| | • कटि तथा जानु स्वेदन यन्त्र | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार |
| | • अवगाह स्वेदन यन्त्र | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार |
| | • निराग्नी स्वेद को लागि कम्मल, मृदिका, पथ्थर, जल, तेज, पार्थिव तत्व आदिको व्यवस्था | आवश्यकता अनुसार | १ | आवश्यकता अनुसार |
| | • पञ्चकर्म सेवाको लागि सामाग्री सेट | १ | १ | आवश्यकता अनुसार |
| | • वमन टेबुल सहित वमन कक्ष | २ | २ | १ |
| | | १ | १ | |

| सि.नं. | विवरण | ५-१५ शैय्या सम्म | १६-२४ शैय्या सम्म | २५-५० शैय्या सम्म |
|---|---|---|---|---|
| | • विरेचननीय आशन<br>• शिरोविरेचनको लागि कक्ष तथा साधन<br>• शिरोधारा टेबुल सहित सेट<br>• शिरो बस्ति यन्त्र | १<br>१<br><br>१<br><br>१ | १<br>१<br><br>१<br><br>१ | २<br>२<br>२<br><br>१<br><br>१ |
| | पञ्चकर्म सेवा (५ वटै सेवाका लागि अलग अलग कक्ष हुनुपर्ने ) | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार |
| | पुर्नस्थापना कक्ष | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार |
| | फलफुल सहित स्वच्छ वातावरण र औषधियुक्त हर्वेरियम समेत हुनुपर्ने | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार | १ |

# अनुसूची - २१

## (नियम २३ को उपनियम (७) सँग सम्बन्धित)

## होमियोप्याथिक चिकित्सा सेवा स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी आधारभूत मापदण्ड

१) होमियोप्याथिक स्वास्थ्य क्लिनिक/पोलिक्लिनिकमा स्वास्थ्य जाँच गर्ने तथा परामर्श दिने व्यक्ति कुनै पनि मान्यता प्राप्त शिक्षण सँस्थाबाट कम्तीमा पनि स्नातक वा सो सरहको उपाधि प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ र सम्बन्धित व्यावसायिक परिषदमा दर्तावाल हुनुपर्नेछ।

२) होमियोप्याथिक स्वास्थ्य क्लिनिक-पोलिक्लिनिकमा भौतिक पूर्वाधारहरु निम्नानुसार हुनुपर्नेछः-

(क) बिरामी जाँच गर्ने उपयुक्त कोठा

(ख) बिरामी कुर्ने बेन्च र कुर्सी

(ग) बिरामी जाँच गर्ने टेबुल र स्टुल

(घ) शौचालय

३) होमियोप्याथिक स्वास्थ्य क्लिनिक-पोलिक्लिनिकमा आवश्यक स्वास्थ्य उपकरणहरु समेत हुनुपर्नेछ

(क) स्टेथेस्कोप

(ख) बि.पी. सेट

(ग) ई.एन.टी. सेट

(घ) थर्मोमिटर

(ङ) एक्सरे भ्यू बक्स

(च) तौलिने मेसिन

(छ) उचाई नाप्ने साधन

(ज) टर्च

(झ) टङ्ग डिप्रेसर

(ञ) प्रोक्टोस्कोप

(ट) गज, कटन, ब्यान्डेज

(ठ) बाल्टीन, जग

(ड) बिरामीको विवरण राख्ने रजिष्टर

(ढ) क्याथेटराइजेसन सेट

४) होमियोप्याथिक स्वास्थ्य क्लिनिक-पोलिक्लिनिकमा देहाय अनुसारका जनशक्ति रहनु पर्नेछः

(क) होमियोप्याथिक चिकित्सक -१ (कम्तीमा होमियाप्याथिमा स्नातक तह वा सो सरह)

(ख) सहायक होमियोप्याथिक चिकित्सक -१ (कम्तीमा होमियोप्याथिकमा प्रमाणपत्र तह वा सो सरह)

(ग) होमियोम्याथिक सहायक -१ (मान्यता प्राप्त संस्थाबाट होमियोप्याथिमा तालिम प्राप्त गरेको)

५) होमियोप्याथिक स्वास्थ्य क्लिनिक-पोलिक्लिनिकमा देहायका सेवा रहनेछ।

(क) उपचार

(ख) परामर्श

(ग) होमियोप्याथिक इमर्जेन्सी सेवाः

(घ) होमियोप्याथिकमा इमर्जेन्सी सेवा २४ सै घण्टा सीमित सेवा खुल्ला राख्न सकिनेछ

६) होमियोप्याथिक स्वास्थ्य क्लिनिक-पोलिक्लिनिकमा देहायका भौतिक पूर्वाधार रहनेछ।

(क) २०×१५ साईजको भेन्टिलेशन तथा शौचालययुक्त कोठा

(ख) चिकित्सक बसने टेवुल र कुर्सी -१ थान

(ग) स्टाफ नर्स बस्ने कुर्सी -१ थान

(घ) बिरामी बस्ने कुर्सी, टुल -१ थान

(ङ) अपरेशन टेबुल -१ थान

(च) ह्याङगिङ्ग लाइट -१ थान ( १०० वाट)

(छ) र्याक -१ थान

(ज) हिटर -१ थान

(झ) स्टेरिलाइजेसनसेट-१ थान

(ञ) शौचालयमा पर्याप्त मात्रामा पानी उपलब्ध भएको

७) होमियोप्याथिक स्वास्थ्य क्लिनिक-पोलिक्लिनिकमा देहायका उपकरण रहनेछ।

(क) स्टेथोस्कोप

(ख) बि.पि. सेट

(ग) ग्लोभस

(घ) एक्स-रे भ्यु बक्स

(ङ) थर्मोमिटर

(च) तौलिने मेसिन

(छ) उचाइ नाप्ने साधन

(ज) प्लास्टिकएप्रोन

(झ) ड्रेसिङ्गसेट

(ञ) स्टिचिङ्गसेट

(ट) टर्च

(ठ) मास्क

(ड) क्याप

(ढ) गज, कटन, ब्यान्डेज

(ण) अक्सिजनसिलेन्डर, सक्सन मेसिन

८) होमियोप्याथिक स्वास्थ्य क्लिनिक-पोलिक्लिनिकले देहायका सेवा प्रवाह दिनेछ।

(क) ड्रेसिङ्ग

(ख) स्टिचिङ्ग

(ग) साधारण घाउ चोटपटक उपचार

९) होमियोप्याथिक स्वास्थ्य क्लिनिक-पोलिक्लिनिकमा रहने जनशक्तिः

(क) चिकित्सक -१ जना

(ख) स्टाफ नर्स —१ जना

(ग) कार्यालय सहयोगी —१ जना

# अनुसूची -२२

## (नियम २३ को उपनियम (८) सँग सम्बन्धित)

## होमियोप्याथिक अस्पताल स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड

| सि.न. | विवरण | ५-१५ शैय्या सम्म | १६—२४ शैय्या सम्म | २५—५० शैय्या सम्म |
|---|---|---|---|---|
| १ | भौतिक पूर्वाधारहरु | अस्पताल भवन आफ्नै वा भाडामा, पार्किङ्ग स्थल, खुल्ला जग्गा, अस्पताल प्रवेशमाग, यातायातको सुविधा, प्रतिक्षालय, सोधपुछ कक्ष आदि आवश्यकता अनुसार उपलब्ध भएको | | |
| २ | **सेवा** | | | |
| | क) बहिरङ्ग सेवा | √ | √ | √ |
| | ख) अन्तरङ्ग सेवा | √ | √ | √ |
| ३ | **जनशक्ति** | | | |
| | चिकित्सक (स्नातकोत्तर तह) | स्वैच्छिक | स्वैच्छिक | १ |
| | चिकित्सक (स्नातक तह) | २ | ४ | ६ |
| | सहायक | ३ | ४ | ५ |
| | स्टाफ नर्स | स्वैच्छिक | २ | ४ |
| | अ.न.मी. | २ | ४ | ६ |
| | ल्याब टेक्नोलोजिष्ट | स्वैच्छिक | स्वैच्छिक | स्वैच्छिक |
| | प्याथोलोजिष्ट, ल्याब टेक्निसीयन | स्वैच्छिक | स्वैच्छिक | १ |
| | ल्याब एसिस्टेन्ट | १ | १ | २ |
| | रेडियोलोजिष्ट, रेडियोग्राफर | स्वैच्छिक | स्वैच्छिक | १ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | वार्ड ब्वाई | १ | १ | २ |
| | प्रशासन अधिकृत | ‘ | ‘ | १ |
| | नायब सुब्बा | १ | १ | १ |
| | सहलेखापाल | १ | १ | १ |
| | कम्प्युटर सहायक | १ | १ | १ |
| | कार्यालय सहयोगी/पाले | ४ | ४ | ५ |
| | भान्छे/टहलुवा | ३ | ३ | ३ |
| | माली | १ | १ | १ |
| | सवारी चालक<br>कुचीकार | १<br>२ | १<br>२ | १<br>३ |
| ४ | उपकरण | | | |
| | स्टेथोस्कोप | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार |
| | बि.पी. सेट | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार |
| | एक्स-रे भ्यु बक्स | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार |
| | थर्मोमिटर | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार |
| | तौलिने मेसिन | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार |
| | उचाई नाप्ने साधन | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार |
| | एप्रोन | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ग्लोभस | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार |
| | अक्सिजनसेट | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार |
| | क्याथेटराइजेसनसेट | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार |
| | टर्च | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार |
| | गज, कटन, ब्यान्डेज | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार |
| | र अन्य आवश्यक सामाग्रीहरु | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार |
| **५** | **अन्तरङ्ग सेवा** | | | |
| | पुरुष कोठा | १७x१०' | १७x१०' | १७x१२' |
| | महिला कोठा | १७x१०' | १७x१०' | १७x१२' |
| | चिकित्सा कोठा | १४x१०' | १४x१०' | १४x१०' |
| | शौचालय, वास बेशिन तथा पानी पर्याप्त | २ | २ | ३ |
| | ह्विल चेयर-स्टेचर/ट्रली | २ | २ | ३ |
| | चार्ट/लकर/फाइल | ५ | १० | १५ |
| | बेड प्यान (शैय्या संख्याको आधारमा) | ५ | १० | १५ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | कुरुवा बस्ने टुल | ५ | १० | १५ |
| | चिकित्सक आराम गर्ने बेड | १ | १ | १ |
| | नर्स ड्युटी रुम १४ “१० | १ | १ | १ |
| | बिरामी ओसार्ने एम्बुलेन्स | स्वेच्छिक | स्वेच्छिक | स्वेच्छिक |
| | कम्प्युटर तथाप्रिन्टर | २ | ३ | ४ |
| ६ | **औषधि स्टोरको पूर्वाधार** | | | |
| | भेन्टिलेशनयुक्त १४“१० साईजको कोठा | १ | १ | १ |
| | बिरामीको पुर्जा दर्ता गर्ने टेबुल, कुर्सी | १ | १ | १ |
| | औषधि बनाउने टेबुल, कुर्सी | १ | १ | १ |
| | बिरामी पुर्जा दर्ता गर्ने रजिष्टर | १ | १ | १ |
| | बहिरङ्ग सेवाको लागि विरामिहरुको पर्खने कोठा | २५x१४' | २५x१४' | ३०x१४' |
| | बहिरङ्ग सेबाको लागि बिरामीजाँच्ने कोठा | १४x१०' | १४x१०' | १४x१०' |

# अनुसूची -२३

## (नियम २३ को उपनियम (९) सँग सम्बन्धित)

## एक्युप्रेशर क्लिनिक वा पोलि एक्युप्रेशर क्लिनिक सञ्चालन सम्बन्धी आधारभूत मापदण्ड

**१. दक्ष जनशक्तिः**

(क) कुनै विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धित बिषयमा आवश्यक योग्यता (डाक्टर उपाधि) प्राप्त गरेको व्यक्तिहरु।

(ख) कुनै पनि मान्य प्राप्त संघ संस्थाबाट आवश्यक तालिम (डाक्टर वा सो सरहको उपाधि) प्राप्त गरेका व्यक्तिहरु।

**२. अर्धदक्ष जनशक्तिः**

(क) कुनै पनि मान्यता प्राप्त संघ संस्थाबाट एक वर्ष वा सोभन्दा बढी तालिम प्राप्त व्यक्तिहरु।

(ख) दक्ष जनशक्तिका साथमा न्यूनतम तीन वर्षसम्म अनुभव प्राप्त गरेको कुरा दक्ष जनशक्तिले प्रमाणित गरेको व्यक्तिहरु।

**३. पूर्वाधार**

(क) बिरामी जाँच गर्ने कोठा

(ख) एक्यूप्रेसर थेरापिष्टहरुको लागि मेच र टेबुल

(ग) दक्ष एक्यूप्रेसर थेरापिष्ट (उपचारक)

(घ) अर्धदक्ष एक्यूप्रेसर थेरापिष्ट (उपचारक) -१ जना

(ङ) कार्यालय सहायक -१ जना

(च) स्वीपर -१ जना

**४. आवश्यक उपकरणहरुः**

(क) एक्यूप्रेशर जाँच गर्ने मेशिन

(ख) तौल लिने मेशिन

(ग) एक्यूप्रेशर गर्ने जिमका मेशिनहरु

(घ) शक्ति सञ्चार गर्ने उपकरणहरु

(ङ) इलेक्ट्रोनिक एक्यूप्रेशर मेशिन

(च) स्पाइनल रोलर

(छ) फेसियल रोलर र अन्य व्यायामका उपकरणहरु

**५. संस्थागत रुपमा खोलिने क्लिनिकका पूर्वाधार**

(क) प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत प्राप्त निकायको अनुमति लिएर मात्र स्वास्थ्य क्लिनिक सञ्चालन गर्नुपर्छ।

(ख) स्वास्थ्य क्लिनिक सञ्चालन गर्न माथि उल्लेखित व्यवस्था हुनु अनिवार्य छ।

(ग) चिकित्सक उपचारक लगायत काम गर्ने जनशक्तिले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको हुनुपर्छ।

(घ) बिरामी भर्ना गरेर पनि उपचार गर्न सकिनेछ।

(ङ) बिरामी भर्ना गर्न स्वास्थ्य क्लिनिकमा निम्न लिखित थप व्यवस्था हुनुपर्दछः-

(च) बिरामी राख्ने कोठा

(छ) बिरामी सुत्ने बेड, आवशयक ओड्ने ओछ्याउने सामान

(ज) सफा र प्रदूषणमुक्त कोठा

(झ) स्नान घर

(ञ) सफा पानी

(ट) सन्तुलित भोजन आदि

(ठ) बिरामी सुत्ने वेड एकले अर्कालाई नछुने गरी कम्तीमा २-३ फिटकोदूरीमा राख्ने

(ड) शौचालय

(ढ) प्रदेश सरकारबाट अनुमति लिएर सञ्चालित सबै एक्यूप्रेशर स्वास्थ्य क्लिनिकले सामाजिक विकास मन्त्रालय अस्पताल विकास तथा चिकित्सा महाशाखामा  संस्था दर्ता गरेको हुनुपर्नेछ।

**६. एक्युप्रेसरका विशेष मापदण्ड**

(क) एक्यूप्रेशर प्राकृतिक चिकित्सा बिषयमा प्रचार-प्रसार तथा अनुसन्धान मात्र गर्ने उद्देश्यले पनि संस्था खोली सञ्चालन गर्न सकिनेछ।

(ख) सम्बन्धित बिषयको अनुसन्धान गर्ने आवश्यक योग्यता प्राप्त गरेको जनशक्ति हुनुपर्नेछ।

(ग) प्रचार गर्दा एउटा बिषयसंग अर्को बिषय बाझ्ने गरी तथा एकलेअर्कालाई हानी पुऱ्याउने प्रचार गर्नु हुँदैन।

(घ) एक्यूप्रेशरको लागि प्रदेशसरकार सरकारको स्वीकृति प्राप्त संस्थाबाट प्रमाणित गरेर मात्र यस सम्बन्धी बिक्री बितरणमा वजारमा ल्याउनु पर्नेछ। जस्तैः जिम आईटमका सामग्रीहरु।

(ङ) समय परिस्थिति र स्थान अनुसार उपचारमा प्रयोग हुने उपकरणको विकासक्रम अनुसार परिवर्तन हुन सक्नेछ।

अनुसूची - २४

(नियम २३ को उपनियम (१०) सँगसम्बन्धित)

## एक्यूपञ्चर अस्पताल सञ्चालन सम्बन्धी आधारभूत मापदण्ड

| सि.नं. | विवरण | ५-१५ शैय्या सम्म | १६-२४ शैय्या सम्म | २५-५० शैय्या सम्म |
|---|---|---|---|---|
| १ | **भौतिक पूर्वाधारहरु जनरल अस्पताल सरह** | | | |
| २ | **सेवा** | | | |
| | मोक्सिबुसन | ✓ | ✓ | ✓ |
| | एक्यूपञ्चर | ✓ | ✓ | ✓ |
| ३ | **जनशक्ति** | | | |
| | क) स्नातकोत्तर | ० | १ | २ |
| | ख) स्नातक | १ | २ | ३ |
| | ग) एक्यूपञ्चर सहायक | २ | ३ | ६ |
| | घ) नर्सिङ्ग स्टाफ | ० | २ | ३ |
| | ङ) प्रशासनिक कर्मचारी | जनरल अस्पताल सरह | | |
| | च) कार्यालय सहयोगी | १ | २ | ४ |
| ४ | उपकरण | | | |
| | क) एक्यूपञ्चर निडिल | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार |
| | ख) मोक्सा स्टिक | आवश्यकता | आवश्यकता | आवश्यकता |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | अनुसार | अनुसार | अनुसार |
| | ग) कपिङ्ग | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार |
| | घ) अटोक्लेभ | १ | १ | २ |
| | ङ) स्टेथोस्कोप | १ | २ | ३ |
| | च) थर्मोमिटर | १ | २ | ३ |
| | छ) रेकर्ड रजिष्टर | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार |
| | ज) अन्य व्यवस्था | जनरल अस्पताल सरह | | |
| नोटः अस्पताल स्थापना तथा सञ्चालनका नीति तथा नियमहरु जनरल अस्पताल सरह हुनुपर्नेछ । | | | | |

## अनुसूची - २५

## (नियम २३ को उपनियम (११) सँग सम्बन्धित)

## प्राकृतिक चिकित्सा अस्पतालका पूर्वाधार तथा मापदण्ड

१) प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने अस्पताल वा चिकित्सा व्यावसायीले सम्बन्धित विषयमा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट न्युनतम स्नातक तह (बि.एन.वाई.एस) वा सो सरहको प्रमाण पत्र सम्बन्धित परिषद्मा दर्ता भएको चिकित्सक अनिवार्य राख्नुपर्नेछ। प्रदेश सरकारको बहालवाला कर्मचारी भएमा सम्बन्धित कार्यालयको पुर्व स्वीकृति लिनुपर्नेछ।

२) प्राकृतिक चिकित्सा अस्पतालमा काम गर्ने प्राकृतिक उपचारक (चिकित्सा सेवा संग सम्बन्धित) हरुलाई काममा लगाउनु पुर्व आवश्यक प्राकृतिक उपचार सम्बन्धी, आधारभूत स्वास्थ्य तथा प्राथमिक उपचार तालिम सोहि अस्पताल व्यवस्थापनले दिनुपर्नेछ।

३) प्राकृतिक चिकित्सा का अस्पतालले दक्ष जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार, प्राकृतिक प्रविधि (औजार उपकरण) र गुणस्तरिय सेवाको विस्तार गरेर मात्र संस्था विस्तार गर्न माग गर्नु पर्छ।शाखा विस्तारका लागि पनि आवश्यक पूर्वाधार पुगेमा स्वीकृति दिइनेछ।

४) विरामीको उपचारको सिलसिलामा आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञ चिकित्सक, विशेषज्ञ सेवाप्रदानगर्ने अस्पताल वा अन्य उपयुक्त स्थानमा प्रेषण (रिफर) गरि पठाउन सकिनेछ।

५) इन्ट्रिग्रेटेड (सम्युक्त वा एकिकृत) क्लिनिक/पोलीक्लिनिक/नर्सिङ्गहोम/ अस्पताल वा अन्य स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्था स्थापना र सञ्चालन गर्ने भनि स्वीकृतिका लागि माग भएमा चिकित्सा पद्दतिहरु तथा सेवाहररु

उल्लेख गरि सोहि बमोजिमका आवश्यक जनशक्ति, उपकरण र भौतिकपूर्वाधारको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।

६) रोग निदानार्थ वा उपचारमा आवश्यक पर्ने (प्याथोलोजी, रेडीयोलोजी, विभिन्न चिकित्सा पद्यति एवं थेरापी तथा अन्य) सेवा थप गरि सञ्चालन गर्नु परेमा सम्बन्धित विषयको जनशक्ति, भौतिकपूर्वाधार एवँ उपकरण सम्बन्धी नियमको पालना गर्नुपर्नेछ।

७) प्राकृतिक चिकित्सामा प्रतिरक्षात्मक, प्रर्वधनात्मक, उपचारात्मक, पुर्नस्थापनात्मक र चैतन्यबोद्यात्मक सेवा प्रदानगर्दा विश्वमा स्वीकृत प्राकृतिक स्वास्थ्य चिकित्साका विभिन्न प्रविधि युक्त सेवाहरु सञ्चालन गर्न सकिने छ । विश्वविद्यालयहरुले प्राकृतिक वा इन्ट्रिग्रेटेड वा मल्टिडिसिप्लिनरी चिकित्साका पाठ्यक्रममा समावेश गरेका स्वास्थ्य सेवाका विषयहरुमा सेवा प्रदान गर्न सकिने छ।

८) प्राकृतिक चिकित्सा अन्तर्गत रहने मुख्य सेवाहरु देहाय बमोजिम रहनेछनः

(क) आकाश चिकित्सा (उपवास/चैतन्यवोध एवं अन्य)

(ख) जल चिकित्सा

(ग) अग्नि चिकित्सा

(घ) वायु चिकित्सा

(ङ) माटो चिकित्सा (माटो, बालुवा, ढुङ्गा, खनीज आदि)

(च) मालिस चिकित्सा (तेल, लेप, चुर्ण, खनीज आदि)

(छ) योग चिकित्सा तथा अध्यात्म चिकित्सा

(ज) फिजियोथेरापी

(झ) अक्युपञ्चर, अक्युप्रेशर, तथा मोग्जिव्युसन

(ञ) पोषण चिकित्साः भोजन, कल्प, रसाहार, फलाहार, खाद्य, खनिज, वनस्पति, सप्लिमेण्ट एवम् अन्य

(ट) क्रोमो एवं म्याग्नेटो थेरापी

९) प्राकृतिक चिकित्सा शैय्यागत मापदण्डहरू देहाय बमोजिम हुनुपर्नेछः

| सि.नं. | विवरण | ५-१५ शैय्या | १६ देखि २४ शैय्या | २५देखि ५० शैय्या |
|---|---|---|---|---|
| १ | आवश्यक अस्पताल भवन एवं खुल्ला जग्गा (५५ वर्ग मी. प्रति शैय्या) | ✓ | ✓ | ✓ |
| २ | प्रवेश मार्गः अस्पतालसम्म मोटर सजिलै जाने, फर्कने र रोक्न सक्ने सुविधा हुनुपर्ने छ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ३ | प्रतिक्षालय, सोधपुछ/ सम्पर्कर सूचना/ टेलिफोनसेवा हुनुपर्ने प्रतिक्षालयमा बस्ने ठाउँ पर्याप्त पानीको व्यवस्था भएको शौचालय महिला र पुरुषको लागि (अलग) | २ | २ | ६ |
| ४ | ह्वील चियर/ट्रली/स्टेचर | १ | २ | ४ |
| ५ | बहिरंग विभाग(ओ.पि.डि.) | | | |
| | बिरामी जाँच्ने कोठा | १ | २ | ३ |
| | व्यवस्थापन कक्ष | १ | १ | २ |
| ६ | आकस्मिक सेवा सुविधा अक्सिजन सेट, आई.भि.सेट, आकस्मिक सेवामा आवश्यक | आवश्यकता अनुसार | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | अन्य उपकरण | | | |
| ७ | प्रयोगशाला कोठा | १ | १ | १ |
| ८ | उपचारका सामग्री (माटो, पानीआदिको गुणस्तर जाँच गर्ने कोठा) | १ | १ | १ |
| ९ | मनोपरामर्श एवं जीवनशैली र स्वास्थ्य प्रशिक्षण कोठा | १ | १ | ३ |
| १० | योगासन, प्राणायाम, ध्यान आदिका लागि आवश्यक हल | १० | २० | ७५ |
| ११ | फिजियोथेरापी युनिट | १ | १ | १ |
| १२ | उपचार सेवाका कोठा (जल चिकित्सा, अग्नि चिकित्सा, माटो चिकित्सा, वायु चिकित्सा, सूर्य किरण चिकित्सा, क्रोमो एवं म्याग्नेटो चिकित्सा, मालिस, अक्युपन्चर, अकुप्रेसर तथा मोक्जिव्युसन, पोषण, उपवास चिकित्सा सेवाका लागि) उपचारको प्रकृति अनुसार साना ठूला | १० | १५ | २० |
| १३ | भोजनालय (चिकित्सकले दिएको भोजन तालिका अनुसारको भोजन दिन सक्ने भोजनालय, भोजन एवं पोषण | १ | १ | २ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | विशेषज्ञका लागि आवश्यक कोठा) संस्था अनुसार बनाईएका कोठाहरु | | | |
| १४ | पुनर्ताजगी कक्ष- चिकित्सक, सहायक चिकित्सक आदिको लागि<br>महिला/पुरुष छुट्टाछुट्टै | १ | १ | २ |
| १५ | शैय्या/कोठा | २ | २ | ६ |
| १६ | विशेष सघन उपचार कोठा (१ जना बिरामी मात्र राख्ने), | २ | २ | ८ |
| १७ | २/२ जना बिरामी राख्ने सुविधाभएको कोठा, | | २ | ४ |
| १८ | ४/४ जना बिरामी राख्ने सुविधाभएको कोठा | | १ | २ |
| १९ | ६/६ जना बिरामी राख्ने सुविधा<br>भएको कोठा | | १ | २ |
| २० | शौचालय एवं स्नान कोठा | ३ | ६ | १० |
| २१ | फुल विरुवा प्रशस्त भएको बगैंचा | १ | १ | १ |
| २२ | उपकरण | | | |
| | सम्पूर्ण शरीरको वाष्पस्नान यन्त्र | २ | ३ | ८ |
| | स्थानीय वाष्पस्नान यन्त्र | २ | ३ | ८ |
| | कटिस्नान टव | २ | ४ | १० |
| | रीढस्नान टव | २ | ४ | ९ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | एनीमा (Enema) | ४ | ८ | २० |
| | विभिन्न प्रकारका पट्टिहरु (चिसो पट्टि) | ५ | १० | २५ |
| | सेकका यन्त्रहरु | २ | ४ | ८ |
| | माटो चिकित्सामा प्रयोग हुने उपकरणहरु सेटमा | १ | ३ | ५ |
| | षट्कर्ममा प्रयोग हुने उपकरणहरु | आवश्यकता अनुसार | १० | २५ |
| | मालिसमा प्रयोग हुने उपकरणहरु | आवश्यकता अनुसार | १ | ३ |
| | पानीलाई विभिन्न तापक्रममा ल्याउने एवं वाफ बनाउने यन्त्र थर्मोमिटर (पानीको तापक्रम र शरीरको तामक्रम नाप्न) | आवश्यकता अनुसार | १० | ३० |
| | रक्तचाप नाप्ने यन्त्र (बि.पी.सेट) | २ | ४ | ६ |
| | नाक,कान, घाँटी जाच्ने यन्त्र (ई.एन.टी.सेट) | १ | २ | ३ |
| | तौल नाप्ने यन्त्र (तौलिने मेसिन) | १ | २ | ३ |
| २३ | **जनशक्ति** | | | |
| | प्राकृतिक चिकित्सक | १ | २ | ३ |
| | योगथेरापिष्ट | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार |
| | अकुपञ्चरिष्ट | आवश्यकता | आवश्यकता | आवश्यकता |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | अनुसार | अनुसार | अनुसार |
| | फिजियोथेरापिष्ट | १ | १ | २ |
| | नर्सिङ स्टाफ -अ.न.मी /स्टाफ नर्स | २ | ३ | ५ |
| | उपचार सहयोगी | १ | २ | ३ |
| | लेखापाल | १ | १ | १ |
| | प्रशासकिय प्रमुख | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार |
| | निरिक्षक (सुपरभाइजर) | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार |
| | रिसेप्सनिस्ट | १ | १ | २ |
| | कार्यालय सहयोगी | १ | १ | २ |
| | माली | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार |
| | चौकिदार | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार | आवश्यकता अनुसार |
| २४ | एलोप्याथी, आयुर्वेद तथा अन्य चिकित्सक | स्वैच्छिक | स्वैच्छिक | स्वैच्छिक |
| २५ | हेल्थ (आकस्मिक तथा प्राथमिक उपचार) स्टोर वा पोषण सप्लीमेण्ट स्टोर | स्वैच्छिक | स्वैच्छिक | स्वैच्छिक |
| २६ | प्रयोगशाला | स्वैच्छिक | १ | १ |
| २७ | युटिलीटी स्टोर | स्वैच्छिक | स्वैच्छिक | स्वैच्छिक |
| २८ | एक्सरे, रेडीयोलोजी र इमेजिङ | स्वैच्छिक | स्वैच्छिक | स्वैच्छिक |
| २९ | आकश्मिक कक्ष | स्वैच्छिक | स्वैच्छिक | स्वैच्छिक |

अनुसूची - २६

(नियम २३ को उपनियम (१२) सँग सम्बन्धित)

**प्राकृतिक चिकित्सा क्लिनिक/पोलिक्लिनिक मापदण्ड तथा पूर्वाधारहरु**

१. क्लिनिक तथा पोलिक्लिनिक सञ्चालन गर्दा दिइने सेवाहरु प्राकृतिक चिकित्सा अन्तर्गत रहेका चिकित्सा सेवामा आधारित हुने छन् । स्वास्थ्य जाँच गर्ने तथा परामर्श दिने व्यक्ति कुनै पनि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाहरुबाट कम्तीमा बि.एन.वाई.एस. वा सो सरहको प्राकृतिक चिकित्सा सम्बन्धी शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र वा त्यस पश्चातका अन्य उपाधि प्राप्त गरी सम्बन्धित परिषद्मा दर्ता भएको हुनुपर्ने छ।

२. सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक न्युनतम भौतिक सुविधाहरु निम्नाअनुसारको हुनुपर्ने छ।

क) विरामीबस्ने ठाउँ

ख) विरामी जाँच्ने टेवल/कोठा

ग) चिकित्सकको लागि कुर्सी एवं टेवल

घ) विरामी बस्ने कुर्सी

ङ) रोलक्रम प्रतिक्षा गर्न वस्ने कुर्सी वा बेन्च

च) शौचालय

छ) टेलिफोन (आवश्यक भए मात्र)

ज) अन्य सुविधा एवं स्तरीयता (स्वैच्छिक)

३. आवश्यक औजार उपकरणहरु एवं अन्य निम्नानुसारको हुनुपर्नेछ ।

क) थर्मोमिटर-१

ख) तौल एवं उचाई नाप्ने मेसिन -१

ग) ब्लडप्रेशर नाप्ने मेसिन -१

घ) स्टेथेस्कोप -१

ङ) ई.एन.टी. सेट -१

च) टर्चलाइट -१

छ) एक्स-रेभ्यु बक्स-१

ज) मास्क, पञ्जा, एप्रोन - आवश्यकता अनुसार

झ) सेवा र विषयअनुसार मालिशचिकित्सा, जलचिकित्सा, फिजियोथेरापी, एकुपन्चर, पोषण, योग चिकित्साएवं अन्य उपकरण आवश्यकता अनुसार हुनुपर्ने छ ।

अनुसूची - २७

(नियम ३१ सँग सम्बन्धित)

## स्वास्थ्य संस्था स्थापना, नवीकरण वा स्तरोन्नती सम्बन्धी दस्तुर

अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाको हकमा देहाय बमोजिम दस्तुर लाग्नेछः-

| सि.नं. | संस्थाको किसिम | शुल्क निर्धारण इकाई | स्थापनाका तथा स्तरोन्नती लागि दस्तुर रकम रु. | नवीकरणका लागि दस्तुर रकम रु. |
|---|---|---|---|---|
| १ | अस्पताल तथा नर्सिङ्ग होम | शैय्या संख्या | प्रतिशैय्या रु. ५,०००।- | प्रतिशैय्या रु. १,०००।- |
| २ | डायग्नोस्टिक सेन्टर | सेवाको प्रकार | प्रति सेवा रु.१५,०००।- | प्रति सेवा रु. १,५००।- |
| ३ | पोलिक्लिनिक/क्लिनिक | सेवाको प्रकार | प्रति सेवा रु. १०,०००।- | प्रति सेवा रु. १,०००।- |
| ४ | आयुर्वेद अस्पताल/ वैकल्पिक चिकित्सा | शैय्या संख्या | प्रति शैय्या रु. २,०००।- | प्रति शैय्या रु. १,०००।- |
| ५ | आयुर्वेद क्लीनीक | सेवाको प्रकार | प्रति सेवा रु २५०० ।- | प्रति सेवा रु ५००।- |

प्रयोगशालाको हकमा देहाय बमोजिमको दस्तुर लाग्नेछः-

| सि.न. | प्रयोगशालाको किसिम | स्थापना तथा स्तरोन्नतीको लागि दस्तुर रु | नवीकरणको लागि दस्तुर रु |
|---|---|---|---|
| १ | ई समुहका प्रयोशालाहरु | ५,००० | १,००० |

| | | | |
|---|---|---|---|
| २ | डि समुहका प्रयोगशालाहरु | १०,००० | २,००० |
| ३ | सि समुहका प्रयोगशालाहरु | १५,००० | ३,००० |
| ४ | बी समुहका प्रयोगशालाहरु | २०,००० | ४,००० |
| ५ | ए समुहका प्रयोगशालाहरु | ३०,००० | ६,००० |

**आज्ञाले,**

**डा. गोपिकृष्ण खनाल**

**सचिव**